# कुरुक्षेत्र

जनवरी : 1974

मूल्य : 50 पैसे

# बस्तर का आदिवासी क्षेत्र विकास के पथ पर

आदिवासी जिला बस्तर की दन्तेवाड़ा तहसील का छोटा सा 'गामवाडा-गांव जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहीं रहते हैं श्री भांडा बल्द उगा। आज भांडा को अपने खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़कने वाली मशीन का प्रयोग करते हुए देखकर आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि भांडा बस्तर के उन आदिवासियों में से है जिनके लिए किसी भी विकास योजना का कोई महत्व नहीं होता तथा जो सहज उपलब्ध भोजन से ही सन्तुष्ट रहते हैं। किन्तु भांडा मध्य प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्र में आने वाले स्वर्णिम विहान का प्रतीक है जिसके लिए आदिवासी विकास अभिकरण, दन्तेवाड़ा लगभग पिछले एक साल से प्रयत्नशील है।

दन्तेवाड़ा आदिवासी विकास अभिकरण देश के उन छः मार्गदर्शक आदिवासी विकास अभिकरणों में से एक है जिन्हें केन्द्रीय शासन ने एक निश्चित समय के भीतर आदिवासी क्षेत्रों के सुनियोजित बिकास के लिए स्थापित किया है ताकि आदिवासियों को भी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा के साथ-साथ आगे बढ़ने के योग्य बनाया जा सके। बस्तर जिले की एक अन्य तहसील कोंटा में भी इसी प्रकार का एक अभिकरण स्थापित किया गया है।

## विकास की योजनाएं

दन्तेवाड़ा अभिकरण का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में आर्थिक विकास की विभिन्न योजनाएं प्रारम्भ करना है। साथ ही, आदिवासी परिवारों को उनके विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, उन्हें आवश्यक साधन, तकनीकी मार्गदर्शन व प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, विकास के हर कदम पर उनकी देखभाल करना, उनके उत्पादन के उचित विक्रय की व्यवस्था करना आदि बातें भी इस अभिकरण के ही कार्यक्षेत्र में आती हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अभिकरण को 2 करोड़ रु० देने का प्रावधान किया है। इस राशि में से 50 लाख रु० की राशि क्षेत्र के प्रमुख मार्गों व 30 लाख की राशि ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्यों पर व्यय होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत और विकास आदि जैसे समाज सेवा कार्यों के लिए भी 50 लाख रु० का अतिरिक्त प्रावधान केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत खाद व बीज का वितरण, बागबानी व साग-सब्जी उत्पादन, पौध संरक्षण, प्रदर्शन व भूमि सुधार के कार्य प्रमुख हैं। पशुपालन योजना के अन्तर्गत आदिवासियों को डेअरी एवं मुर्गीपालन इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता दी जाएगी तथा ग्रामों में उन्नत नस्ल के मुर्गे, बकरे एवं सुअर बांटे जाएंगे।

लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सिंचाई कुओं के निर्माण, डीजल पम्पों के प्रदाय, मुंडा बांधों के निर्माण एवं छोटे छोटे बांध बांधने के कार्यक्रमों को भी सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रखा गया है। परियोजना क्षेत्र में सहकारी ढांचे एवं विपणन व्यवस्था को नए सिरे से सुनियोजित करने का भी वृहत् कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

[ शेष आवरण पृष्ठ IV पर

# कुरुक्षेत्र

वर्ष 19 पौष 1895 अंक 3


इस अंक में पृष्ठ


सहकारिता की सफलता में व्यवस्थापन कुशलता 2
**वी० आई० राजगोपाल**
पंचायती राज की सफलता के बिना
ग्राम-राज्य का सपना अधूरा 4
**कृष्ण कुमार कौशिक**
गांवों के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं 6
**एस० नविकरन**
वृद्धि केन्द्र अनुसन्धान की उपलब्धियां 7
**डा० एस० एम० शाह**
ग्रामों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं 9
**भारत भूषण डोगरा**
सोनगढ़ का लुगदी-कागज कारखाना 11
**डा० कमलाकान्त हीरक**
परिवेश से जूझता बोध (कविता) 12
**डा० श्यामसिंह शशि**
शिक्षा के विकास से बेरोजगारी का उन्मूलन 13
**डी० पी० नायर**
'स्वप्न गीत' (कविता) 14
**कुमारिल पन्त**
पारिवारिक अर्थव्यवस्था के लिए अभिशाप 15
**ओम् प्रकाश चौहान**
बैंगन की खेती 17
**सुन्दर लाल त्रिपाठी**
मध्यप्रदेश के गांवों में पेयजल की पूर्ति 18
दुलारपाली में खुशहाली का नवप्रभात 20
**नरेन्द्र पारख**
हाड़ौती का प्रसिद्ध चन्द्रभागा पशुमेला 21
गरीबों के रक्त का यह शर्मनाक व्यावसाय क्यों ? 22
**राजेन्द्र कुमार अग्रवाल**
साहित्य समीक्षा 24
पहला सुख निरोगी काया 25
सहयोगियों की राय 26
सवेरा (कहानी) 27
**देवेन्द्र आर्य**
रीती गागर उछला पानी (रूपक) 30
**मदनमोहन 'कमल'**
केन्द्र के समाचार 33
राज्यों के समाचार 34



दूरभाष 382406

एक प्रति 50 पैसे : वार्षिक चन्दा 5 रुपए
सम्पादक : पी० श्रीनिवासन
सह० सम्पादक : महेन्द्रपाल सिंह
उपसम्पादक : त्रिलोकी नाथ
आवरण पृष्ठ : पी० के० सेनगुप्ता


# बेचारे दीन हीन खेतिहर मजदूर

देश के सभी भागों में खेतिहर मजदूर एक उपेक्षित वर्ग है और उसमें अन्य क्षेत्रों के मजदूरों की तरह सौदेबाजी की शक्ति नहीं है। यही कारण है कि वह हमेशा पिटता-कुचता रहा है और गांवों के सबल वर्ग के लोग उससे बेगार भी लेते रहे हैं। किसी जमाने में उन्हें मजूरी के रूप में केवल ढ़ाई सेर अनाज दिया जाता था और उसी में वे अपने छोटे-बड़े परिवार का भरण-पोषण करते थे। किन्तु अब स्थिति वैसी तो नहीं है और अब बेगार भी उनसे नहीं ली जाती पर उनमें अन्य क्षेत्रों के मजदूरों की तरह संगठन शक्ति न होने के कारण अपने हितों की रक्षा करने की सामर्थ्य नहीं। इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कदम उठाया है और दिसम्बर मास से प्रदेश के 54 लाख खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर एक सराहनीय कार्य किया है।

वैसे तो भारत सरकार ने खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा और बेरोजगारी के समय में उन्हें रोजगार देने के लिए लघु किसान विकास अभिकरण, खेतिहर मजदूर एजेंसी, ग्रामीण रोजगार योजना आदि अभिकरणों के माध्यम से अनेक उपाय काम में लिए हैं पर निहित स्वार्थ वर्ग के लोग बीच में आ धमकते हैं और इन दीन-हीन वर्ग के लोगों के लिए जो साधन-सुविधाएं मुहैया की जाती हैं उन्हें वे हड़प लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग का कथन है कि इन अभिकरणों के माध्यम से भी इन लोगों को उचित लाभ नहीं पहुंच पाया है। दूसरी बात यह कि जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटी-छोटी जोतों का इतना विखण्डन हुआ है कि इनके मालिक भी खेतिहर मजदूर बन गए हैं। पिछले दशक में खेतिहर मजदूरों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। देश में इन मजदूरों की संख्या अन्य सभी क्षेत्रों के मजदूरों की अपेक्षा अधिक है और इन्हें अभी तक जो साधन-सुविधाएं उपलब्ध हो सकी हैं वे "ऊंट के मुंह में जीरा" के समान हैं। आकड़ों से ज्ञात होता है कि रुपए की कीमत 36 पैसे के बराबर रह गई है। ऐसी हालत में रोजाना की मजदूरी पर जिन्दगी गुजारने वालों की मुसीबत का अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है। नियोजन राज्य मन्त्री श्री मोहन धारिया ने राज्य सभा में स्वीकार किया था कि देश के न्यूनतम आय वाले 30 प्रतिशत व्यक्तियों की स्थिति में अब तक कोई पर्याप्त सुधार नहीं किया जा सका है। रोजाना की मजदूरी करने वाले इन 30 प्रतिशत में खेतिहर मजदूर सबसे निचली श्रेणी में हैं। आज मंहगाई और अभाव के जमाने में इन्हें इनकी किस्मत पर छोड़ देना उचित नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की दिशा में जो कदम उठाया है, अन्य प्रदेशों की सरकारों को भी वैसा ही करना चाहिए। इसके अलावा, पांचवीं योजना में इस वर्ग के लोगों के लिए अधिकाधिक साधन सुविधाएं उपलब्ध करने की व्यवस्था होनी चाहिए।"

**महेन्द्रपाल सिंह**

# सहकारिता की सफलता में व्यवस्थापन कुशलता का महत्व

वी० आई० राजगोपाल

हमारे राज्य में सहकारिता का विकास अन्य राज्यों की अपेक्षा नया है। प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना किसी नए विचार को फैलाने में आना स्वाभाविक है। राज्य के सहकारी विकास के प्रारम्भिक वर्षों में निश्चय ही इनका सामना करना पड़ा है। चार पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता के प्रसार के लिए जिन विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया गया है और जिन सहकारी संगठनों का गठन हुआ है उनसे हम अपेक्षाकृत कम लाभ प्राप्त कर सके हैं। इसके यह अर्थ नहीं कि इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं। यह कहने का मेरा मतलब सिर्फ यह है कि सहकारी संगठनों के गुणात्मक विकास की दिशा में हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है जिसके अभाव में सहकारी संगठन सफल बन कर अपने सदस्यों की सेवा सही अर्थों में नहीं कर सकेंगे।

हमें सहकारी संगठनों के असन्तोषजनक रूप में कार्य करने के कारणों की गहराई से खोज करके उन कारणों को दूर करने में अपनी शक्ति लगानी होगी। वैसे तो इसके अनेक कारण गिनाए जा सकते हैं, परन्तु इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण सहकारी संगठनों के व्यवस्थापकीय गुणों का रहा है। "क्वालिटी आफ मैनेजमेंट" की ओर हम ध्यान नहीं दे पाए हैं। आमतौर पर हम अभी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमारे सहकारी संगठनों में व्यावसायिक कुशलतायुक्त सेवाओं की आवश्यकता है। व्यावसायिक कौशल को सहकारिता से दूर रख कर हम उसकी बहुत मंहगी कीमत चुका रहे हैं। हमारी संस्थाएं आशाजनक परिणाम नहीं ला पा रही है। उसके मूल में यह कारण ही मुख्य रहा है।

## विकास और कुशलता

पिछले कुछ समय में व्यवस्थापन के क्षेत्र में विभिन्न पहलुओं; जैसे आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक संगठन, वित्तीय एवं अन्य नियन्त्रण, व्यवस्थापन सूचना पद्धति आदि के विषय में कुछ ध्यान दिया जाने लगा है। इस ओर जब तक पूरा ध्यान नहीं दिया जाता तब तक सहकारी क्षेत्र कोई खास अच्छी कामयाबी नहीं दिखला सकेगा, ऐसा मेरा मत है। विकास और कुशलता दोनों को एक साथ चलाना आवश्यक है। 'विकास पहले और कुशलता बाद में' सिद्धान्त घातक सिद्ध होगा। जितना महत्व विकास को दिया जाता रहा है उतना महत्व कुशलता को भी यदि मिलता रहता तो सहकारी संगठनों की मजबूती और सफलता की कहानी कुछ और ही होती। हमें चाहिए कि हम जो भी विकास का कार्यक्रम अपनाएं उसके साथ साथ कार्य-कुशलता के लिए समुचित उपाय भी करते चलें, तभी सहकारी क्षेत्र आशाजनक परिणाम दे सकेगा।

हमारे निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर अन्तर होता है, चाहे वह प्रबन्ध संचालन के स्तर पर हो या क्रियान्विति के स्तर पर। हमें चाहिए कि क्रियान्विति स्तर पर संचालन का कार्य व्यावसायिक कुशलतायुक्त व्यक्तियों को लगा कर किया जाए, जिससे कि प्रबन्ध समिति दैनिक प्रशासनिक कार्यों से छुटकारा पाकर नीतियों और उनकी क्रियान्विति के लिए अपनाई जाने वाली नीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर सके।

## पहल के परिणाम

इन आधारों पर सहकारी विभाग द्वारा पिछले कुछ समय से कार्य किया जा रहा है। यद्यपि इसे अभी एक शुरुआत ही कहा जा सकता है परन्तु इसके परिणाम आशाजनक रहे हैं। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक में व्यवस्थापन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रबन्ध संचालक के पद का निर्माण कर उस पर रिजर्व बैंक आफ इण्डिया' के एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इस व्यवस्थापकीय परिवर्तन के अच्छे परिणाम सामने आए हैं। विभाग के अधिकारियों एवं सहकारी नेतृत्व के मिले जुले कठोर प्रयासों और व्यावसायिक कुशलता के परिणामस्वरूप इस वर्ष सहकारी ऋणों की वसूली सन्तोषजनक हो सकी है और अवधि पार ऋणों की मात्रा में कमी आई है। पिछले अनेक वर्षों से राज्य के अनेक केन्द्रीय सहकारी बैंकों की रिजर्व बैंक से ऋण सीमा स्वीकृत नहीं हो पा रही थी, जबकि इस वर्ष केवल एक बैंक को छोड़ कर सभी की ऋण सीमा स्वीकृत हो सकी है। इससे ऋण वितरण की मात्रा में आशाजनक वृद्धि हो सकेगी। केवल अप्रैल से जुलाई तक के चार माहों में ही 12 करोड़ रुपये से अधिक अल्प व्यय मध्य कालीन ऋण वितरित किए गए हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल के अन्तिम वर्ष में 30 करोड़ रुपये के अल्प व्यय मध्य कालीन ऋण वितरण के लक्ष्य से अधिक ऋण वितरण की सम्भावनाएं हैं।

इसी प्रकार से दीर्घकालीन ऋण वितरण के क्षेत्र में गत वर्ष तक 15 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए और इस वर्ष 8 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जाने का लक्ष्य है। चौथी योजना के अन्त तक 20 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण वितरित करने के लक्ष्य के विपरीत 24 करोड़

रुपये के ऋण वितरित होने की आशा है।

भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और यह आशा की जाती है कि जिन जिन क्षेत्रों के लिए कृषि पुनर्वित्त निगम से लघु सिंचाई आदि की परियोजनाएं स्वीकृत होकर आने को हैं वहां की भूमि विकास बैंकों में अवधि पार ऋणों की मात्रा 25 प्रतिशत तक रह जाएगी।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ में व्यवस्थापन कुशलता लाने के लिए प्रबन्ध संचालन पद का निर्माण कर उस पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की नियुक्ति की गई है। इस व्यवस्था से संघ की कार्य-व्यवस्था में गतिशीलता आई है। संघ के रासायनिक खाद की पुरानी बकाया की वसूली में पहल हुई है। रासायनिक खाद के वितरण की व्यवस्था को मजबूत बनाया गया है। कन्ट्रोल की चीनी का वितरण संघ को मिला है। इसके अलावा, वनस्पति घी के वितरण के कार्य में संघ उपभोक्ता संघ के साथ कार्य कर रहा है। संघ को राज्य से चने के निर्यात के लिए एकमात्र एजेण्ट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, पड़ौसी राज्यों से मक्का, बाजरा व ज्वार जैसे मोटे अनाज को खरीद कर राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में वितरण करने का कार्य संघ को मिला है।

## प्रशिक्षित कर्मचारी

यही नहीं, जिलास्तर के सहकारी संगठनों में भी उपलब्ध व्यावसायिक कुशलता, अभिरुचि और सम्बन्धित प्रशिक्षण के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है ताकि वे इन संगठनों को अच्छी तरह चला कर अपेक्षित परिणाम पाने में सहायक बन सकें।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के ऋण निरीक्षकों, भूमि विकास बैंकों के सचिवों, शाखा सचिवों, भूमि मूल्यांकन अधिकारियों व सुपरवाइजरों एवं क्रय विक्रय समितियों के व्यवस्थापकों के पदों के लिए उचित स्तर के अधिकारियों के पेनेल तैयार कर दिए गए हैं ताकि उन्हीं में से इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इससे व्यावसायिक कुशलता लाने में सहायता मिल सकेगी।

## शक्तियों को हस्तान्तरण

क्रियान्वित स्तर पर अधिकारियों को अधिक शक्ति एवं कार्य करने की स्वतन्त्रता, कार्यक्रम की सफलता के लिए आवश्यक है। इस दृष्टि से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ और राजस्थान राज्य सहकारी आवास वित्त सोसायटी के प्रबन्ध संचालकों और मुख्य व्यवस्थापकों को राजस्थान सहकारी अधिनियम की धारा 19 (3) व (4) 30, 31, 70, 71, 73, 117, 118 व धारा 120 के अन्तर्गत निहित रजिस्ट्रार की शक्तियों को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, धारा 105, 106 व 110 की रजिस्ट्रार की शक्तियों का उपयोग भूमि विकास बैंक के प्रबन्ध संचालक व मुख्य व्यवस्थापक को प्रदान करने का भी प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया जा चुका है।

केन्द्रीय सहकारी बैंकों के व्यवस्थापकों एवं अधिशासी अधिकारियों को अपना कार्य अधिक कुशलतापूर्वक निभाने की दृष्टि से सहकारी अधिनियम की धारा 117 व 118 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को शक्तियां प्रदान करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है।

इसके अलावा, राज्य सरकार को यह भी निवेदन किया गया है कि वह जिलाधीशों में रजिस्ट्रार की 'अपिलेट' शक्तियां निहित करें ताकि अपील के लिए समितियों को रजिस्ट्रार के पास दूर चलकर न आना पड़े और जिला स्तर पर यह सुविधा उन्हें प्राप्त हो सके।

इसी सन्दर्भ में सहकारी नेतृत्व से भी यह निवेदन है कि उन्हें संस्थाओं के दैनिक व्यवस्थात्मक कार्यों में हस्तक्षेप न करके नीतियों के निर्धारण व उनको लागू करने के उपायों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी शक्ति व प्रभाव का उपयोग करना चाहिए। इन दोनों के मध्य इस प्रकार के तालमेल से, मैं समझता हूं कि सहकारी संगठन सफलता के स्तर पर पहुंच कर सदस्यों को अपेक्षित सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ हो सकेंगे। हम सभी को आज इस दिशा में विचार करने और कदम उठाने की जरूरत है। □

## कृषि विकास के लिए ऋण

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक भोपाल ने 72-73 में प्रदेश के 43 जिला सहकारी भूमि विकास बैंकों के माध्यम से कृषि विकास कार्य के लिए 11.96 करोड़ रु० के दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए हैं। इस राशि में से 839 लाख रुपये कुआं निर्माण, 24 लाख रुपये नलकूप निर्माण, 207 लाख रुपये पम्प सेट खरीदने तथा 122 लाख रुपये ट्रैक्टर खरीदने व अन्य कृषि मशीनों के लिए एवं 4 लाख रुपये भूमि सुधार हेतु दिए गए हैं।

# पंचायती राज की सफलता के बिना ग्राम-राज्य का सपना अधूरा

कृष्ण कुमार कौशिक

पंचायती राज के बारे में लोगों के दिलों में इधर नई-नई धारणाओं और मान्यताओं ने जन्म लिया है। कोई पंचायती राज को भ्रष्टाचार का नमूना बताता है तो कुछ खुला इल्जाम लगा रहे हैं कि पंचायतो ने गांवों की सुख-शान्ति को मनमुटाव, पार्टीबाजी, सिरफुटोबल और खर्चीली मुकदमेबाजी में बदल दिया है। किसी ने पंचायतों को अधिक अधिकार देने की बात कही है तो कुछ ने ब्लाक प्रमुख के पद को ही खत्म करने का सुझाव दिया है। कुछ इस बात पर जोर देते हैं कि 'ग्राम-राज्य' का सपना पंचायती राज से ही साकार हो सकता है।

लेकिन जब हमने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के कुछ उच्चाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों, ग्राम स्तरीय कर्मचारियों, क्षेत्र समितियों के नवनिर्वाचित प्रमुखों और ग्राम पंचायत के प्रधानों की राय जानने के लिए उनसे भेंट की तो पंचायती राज के विषय में उनके विचार नीचे लिखे मिले।

## ग्रामीण योजनाएं

बुलन्दशहर जिले के कलक्टर श्री अजीतकुमार दास से हमने पूछा कि "पंचायती राज का नाम सुनते ही लोग नाक-भौं सिकोड़ने लगते हैं तो क्या पंचायती विभाग पर हर साल करोड़ों रुपयों का सरकारी खर्च बेकार जा रहा है? जब पंचायतें स्वयं मुर्दा हैं तो उनसे गांवों के भले की क्या उम्मीद हो सकती है। इसलिए पंचायतों को खत्म कर क्यों न कोई नई व्यवस्था अपनाई जाए?"

कलक्टर साहब हमें आश्चर्य-भरी नजर से देखते कुछ उत्तेजित से होकर बोले—"समझ में नहीं आता लोग प्रजातन्त्र को किन मायनों में लेते हैं। बाहरी कुछ देशों में जहां कम्युनिज्म है वहां की बात कुछ और है। वहां व्यक्ति के विकास, उनकी धारणाओं और मान्यताओं से परे समाज और राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन अपने देश में हमने जिस प्रजातान्त्रिक पद्धति को अपनाया है उसमें व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी को पूरा महत्व दिया गया है।"

"गांधी जी चाहते थे कि आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिए और देश की हुकूमत में छोटे से छोटे व्यक्ति की साझेदारी होनी चाहिए। इसका स्वरूप हमें गांव पंचायतों में पूरी तरह देखने को मिलता है। आजादी से पहले गांव हुकूमत से चाहते थे कि वह उनकी समस्याओं को महसूस करे और राहत पहुंचाए, पर आज हुकूमत गांवों से चाहती है कि वे अपनी पंचायतों के जरिए अपने विकास की योजनाएं खुद बनाएं और सरकारी सहयोग से उन योजनाओं को अमल में लाएं। इसलिए जो लोग पंचायतों को खत्म करने की बात कहते हैं उनका प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली में विश्वास नहीं लगता।"

"कलक्टर साहब? यह बात तो मान ली ठीक है, पर देखने-सुनने में आता है कि पंचायत पदाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। गांव समाज की सम्पत्ति के रक्षक होते हुए भी उसे खुर्दबुर्द कर डालते हैं। सरकारी कर्मचारियों से मिली भगत कर गांव सभा कोष को विकास कार्यों पर खर्च न कर खुद डकार जाते हैं। गांव के सब लोगों को फायदा पहुंचाने की बजाए वे सिर्फ अपनी पार्टी के लोगों के नफे-नुकसान को सोचते हैं। क्या इससे पंचायती राज की निष्ठा पर आंच नहीं आती?"

"सरकार में भी ईमानदार और बेईमान सब तरह के लोग हो सकते हैं। उसी तरह पंचायतों के प्रधान-पंचों को बेईमान या ईमानदार नहीं कहा जा सकता। जहां पदाधिकारी ईमानदार हैं वहां की पंचायतें अपने गांवों को बहुत आगे ले गई हैं।"

"शहरों या कस्बों की म्युनिसिपलटी और टाउन एरिया कमेटियों को सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है जिससे वे अपने नगर या कस्बे में विकास के काम करा सकती हैं, पर उत्तर प्रदेश में पचायतों को तो सरकार से कुछ भी आर्थिक सहायता नहीं मिलती। क्या पंचायतों की नाकामयाबी का यह खास कारण नहीं?"

"पंचायतों के पास ग्राम समाज की सम्पत्ति है जिससे वे अपनी आमदनी के साधन जुटा सकती हैं। 8 फीसदी से कम परती या बंजर जमीन में वे फलदार बाग लगा सकती हैं, पोखरों नालों में मछली पालन कर सकती हैं। एक्ट के मुताबिक लोगों पर टैक्स लगाकर आमदनी बढ़ा सकती है।

"पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है?" जिलाधिकारी से हमने पूछा।

"यदि प्रधान और पदाधिकारी पढ़े-लिखे और ईमानदार हों और साथ ही उन्हें एक्ट व रूल्स की जानकारी हो तो कोई कारण नहीं कि लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी या बी० एल० डब्ल्यू० पंचायती सम्पत्ति या पंचायत के पैसे पर नजर उठा जाएं। बेईमानी तब शुरू होती है जब प्रधान और कर्मचारी मिलीभगत कर बैठते हैं। पदाधिकारियों को चाहिए कि वे पंचायत के हिसाब-किताब और सम्पत्ति पर नजर रखें।"

अतिरिक्त जिलाधिकारी (नियोजन) बुलन्दशहर, श्री एम० पी० जैन ने

पंचायती राज के बारे में कहा—"कल तक गांव वाले अपने लेखपाल और पतरौल से भी अपनी बात करने से डरते थे। उन्हें 'माई-बाप' समझते थे। पंचायती राज की बदौलत आज उन्हें यह हक हासिल है कि किसी भी अधिकारी से जवाबदेही कर सकते हैं। पंचायती राज में गांववासियों में राजनैतिक चेतना और जागरूकता आई है, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी हुआ है।"

## प्रजातान्त्रिक प्रणाली

ब्लाक प्रमुख, सिकन्दराबाद श्री प्रताप सिंह और ब्लाक प्रमुख, बिसरख श्री जगतसिंह का कहना था—"प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए और जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। जो लोग पंचायती राज को खत्म करने की बात करते हैं क्या वे संसद और विधान मण्डलों को खत्म करने के हक में भी हैं? नहीं, क्योंकि वे एम० पी०, एम० एल० ए० तो बनना चाहते हैं, पर गांव वालों के बीच रहकर उनके सुख-दुख में भागीदार बन कर अपनी सेहत खराब नहीं करना चाहते।"

"पंचायत खत्म करने की बात वही लोग सोचते हैं जो यह महसूस करते हैं कि स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के नेतृत्व और उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण असेम्बली या संसद के चुनावों में हवाई नेतागिरी को अब या तो भारी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा या चुनाव जीतने के लिए पंचायत और पंचायती राज के स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के सामने एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी।"

"पंचायतों में पहले जैसा उत्साह नहीं। चुनाव के समय जरूर हलचल दिखाई देती है, पर बाद में मेम्बर पंचायतों की मीटिंग तक में नहीं आते। क्यों?"

## उपेक्षावृत्ति

"इस मामले में बहुत हद तक सरकार को दोषी कहा जा सकता है। पंचायतों को स्वावलम्बी बनकर गांवों को अच्छा प्रशासन देना चाहिए। पर जब तक पंचायतें अपने पैरों पर खड़ी होने लायक न हो जाएं सरकार उन्हें भरपूर आर्थिक सहायता दें। इसे भी छोड़िए, मजाल है म्युनिसिपेलिटी या टाउन एरिया की चुंगी दिए बिना गांव के किसी किसान की गाड़ी निकल जाए, पर पंचायतों की हद में लगाए शहरियों के भट्टों व कारखानों पर लाखों रुपयों का पंचायत टैक्स बकाया है, उसे वसूल कराने में कोई सरकारी अधिकारी दिलचस्पी नहीं लेता। पंचायतों को टैक्स वसूली में तहसील के स्टाफ का सहयोग नहीं मिलता। सरकारी अधिकारी पंचायत प्रस्तावों पर अमल करने की जरूरत नहीं समझते। ऐसी हालत में पंचायत पदाधिकारियों में उदासीनता आनी स्वाभाविक है। पंचायतों और क्षेत्र-समितियों के नए नेतृत्व से आशा है कि वह पंचायतों और पंचायती राज को कामयाब बनाने के लिए संगठित रूप में प्रयास करेगा।"

खण्ड विकास अधिकारी, सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) श्री विनोद चन्द्र शर्मा की पंचायती राज के बारे में राय थी—"क्षेत्र समिति को खण्ड विकास अधिकारी की सहायता के लिए सलाहकार समिति के में रूप रखा जाए न कि सुपरवाइजरी बोडी के रूप में। इससे खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र पर समिति का कोई पदाधिकारी अनुचित दबाव नहीं डाल सकेगा और अधिकारी दलगत राजनीति के ऊपर रहकर अपने विवेक से काम कर सकेगा। पंचायत एक्ट संशोधन कर बी० डी० ओ० को अधिकार दिया जाए कि वह पंचायत के बेईमान पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर सकें।"

## प्रधानों की राय

नवयुवक प्रधान श्री रामसिंह, ग्राम सभा कासना और श्री महेन्द्रसिंह, ग्राम सभा लतीफ़पुर, विकास खण्ड दनकौर (बुलन्दशहर) ने कहा—"कोई भी संस्था उसके पदाधिकारियों को दीन-ईमान पर निर्भर करती है। यही बात पंचायतों के लिए भी है। जो प्रधान पंचायतों में खाने-कमाने की इच्छा लेकर आते हैं वे अपने लोगों की निगाह में तो गिर ही जाते हैं, सरकारी अधिकारी-कर्मचारी भी उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते।"

"यह ठीक है कि बिना आर्थिक सहायता पंचायतें निर्माण कार्य कराने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके ईमानदार और निष्ठावान पदाधिकारी सामाजिक और राजनैतिक न्याय तो दे ही सकते हैं। सच्चे और अच्छे नेतृत्व व संकल्प शक्ति के पीछे गांववासी गांवों की खुद काया पलट कर सकते हैं। तब अधिकारी और जननेता गांवों की ओर स्वयं दौड़े आएंगे। यदि ग्राम सभा के सब मेम्बर एक जगह बैठकर समुद्र को भी पाटने का फैसला कर लें तो वह काम उनके लिए भारी नहीं होगा।

श्री हरीसिंह, पंचायत सेवक, न्याय पंचायत केन्द्र चोला, बुलन्दशहर का सुझाव था—"यदि सरकार पंचायतों में भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है तो ग्राम समाज सम्पत्ति के रख-रखाव व भूमि आवंटन की जिम्मेदारी लेखपाल की बजाए पंचायत सेवक को दे जिससे तहसील के अफसर—अहलकारों की मिली भगत से प्रधान ग्राम समाज सम्पत्ति खुर्द-बुर्द न कर सकें। इसके अलावा, पंचायतों के निरीक्षण का अधिकार पंचायत सेवक को भी मिले ताकि वह यदि किसी पंचायत में गड़बड़ी देखें तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने की लिख-पढ़ी कर सकें।"

"न्याय पंचायतों की सहायता के लिए सरकार की ओर से एक कानूनी सलाहकार नियुक्त किया जाए।"

## एक ही बात

इन सबके विचारों में हमने एक ही बात पाई कि पंचायती राज व्यवस्था के बिना प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति की जड़ें ग्रामीण जन-मानस में उतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकतीं जितनी अपेक्षित हैं या इसके लिए यह भी आवश्यक है कि पंचायती राज को यदि सफलीभूत बनाना है तो पंचायतों को स्वावलम्बी और अधिकार सम्पन्न बनाना होगा। ●

# गांवों के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं *

एस० नक्किरन

राष्ट्रीयकृत बैंकों का नारा ही बन गया है ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक सुविधाएं। बड़े बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उपरान्त ग्रामीण तथा बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोलने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा उसके विकास पर रिजर्व बैंक की प्रथम वार्षिक रिपोर्ट में ठीक स्थानों पर बैंकों की शाखाएं खोले जाने के महत्व का उल्लेख किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में बैंकों की शाखाएं खोले जाने के क्षेत्र में उचित विकास नहीं हो रहा है, कुछ क्षेत्रों में बैंकिंग की आवश्यकता से अधिक सुविधाएं हैं, जबकि अन्य क्षेत्र बैंकिंग की दृष्टि से कम विकसित या अविकसित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं न केवल क्षेत्रीय अन्तर को दूर करने के लिए खोली जाती हैं बल्कि हरित क्रान्ति से किसानों को हुई अतिरिक्त आय के सदुपयोग के लिए भी उन्हें खोला जाता है। 1962 से रिजर्व बैंक ने व्यावसायिक बैंकों को और अधिक शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया है और धीरे-धीरे 'विकास कार्यक्रम' पर अमल किए जाने को महत्व दिया है। दिसम्बर 1970 में समाप्त होने वाले त्रिवर्षीय विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने पर बल दिया गया था। मई 1968 में व्यावसायिक बैंकों से यह कहा गया था कि वे कम से कम 50 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में खोलें। 9 नवम्बर, 1971 के रिजर्व बैंक के एक परिपत्र के अनुसार, ग्रामीण अथवा अर्ध नागरिक क्षेत्रों में 60 प्रतिशत से अधिक शाखाओं वाले बैंकों को इस सिद्धान्त के अनुसार लाइसैंस जारी किए गए थे कि यदि 1 अक्तूबर, 1971 के बाद ग्रामीण या अर्धशहरी क्षेत्रों में दो कार्यालय खोले जाएंगे तो एक कार्यालय शहरी क्षेत्र में खोला जाएगा तथा एक कार्यालय राजधानी में अथवा किसी बन्दरगाह में। जहां तक अन्य बैंकों का प्रश्न है इनके लिए यह सिद्धान्त बनाया गया था कि ग्रामीण या अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3 कार्यालय खोले जाने पर वे एक कार्यालय शहरी क्षेत्र में खोलेंगे तथा एक कार्यालय राजधानी में या किसी बन्दरगाह में। जुलाई 1969 से 1972 तक राष्ट्रीयकरण के बाद 5,375 शाखाएं खोली गई थीं। इनमें से 3,416 शाखाएं बैंक रहित क्षेत्रों में खोली गईं (63.5 प्रतिशत)। अल्प विकसित राज्यों में 31.6 प्रतिशत नई शाखाएं खोली गईं। 1971-72 में 1,612 नई शाखाएं खुल जाने से प्रत्येक बैंक के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या जून 1971 के अन्त में 46,000 से घटकर जून 1972 में 40,000 रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाओं का अनुपात जून 1972 के अन्त में 38.7 प्रतिशत हो गया।

## ऋण देने की व्यवस्था

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक बैंक केवल कृषि के लिए ही ऋण देते हैं। गांवों में छोटे पैमाने पर तथा कुटीर उद्योगों के लिए ऋण देने की व्यवस्था बहुत कम है। बैंकों के दृष्टिकोण से केवल शहरी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों को ही छोटे पैमाने पर लगाया गया उद्योग कहा जा सकता है। 1970-71 के दौरान कृषि के लिए प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता में 27 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई तथा अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता में 14 करोड़ रुपये की कमी हो गई। जून 1971 में समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान कृषि के लिए कुल जमा का केवल 6.8 प्रतिशत या 3 अरब 60 करोड़ रुपये ही ऋण स्वरूप प्रदान किए गए। इसलिए व्यावसायिक बैंकों द्वारा कृषि पर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अन्य बैंकों की तो बात ही क्या।

मुख्य समस्या यह है कि कृषि के लिए ऋण देने की व्यवस्था करने के अतिरिक्त, व्यावसायिक बैंक हमारे गांवों के भाग्य परिवर्तन के लिए किस प्रकार सामने आएं। हमारे गांवों में वर्तमान स्थिति यह है कि वहां पर विकास कार्य की अवहेलना हो रही है। हमारे गांवों में केवल गरीबी, असुविधाएं तथा पिछड़ापन ही नहीं है बल्कि उनमें पीने के पानी, सड़क तथा सफाई जैसी आवश्यक सुविधाओं का भी अभाव है। प्रसिद्ध बैंकर श्री तलवार ने कहा है कि 'शहरों से गांवों की ओर चलो,' इस नारे पर कोई ध्यान नहीं देता। भारतीय ग्रामों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं का अभाव है। कुछ गांवों में पीने का अच्छा पानी उपलब्ध नहीं है। परिवहन तथा संचार-व्यवस्था अत्यन्त अल्प विकसित अवस्था में है। अनेक गांवों तक वर्षा ऋतु में पहुंच असम्भव हो जाती है क्योंकि अनेक नदियों पर पुल नहीं बनाए जा सके हैं। पर्वतीय तथा वन क्षेत्रों में स्थित अनेक ग्राम इतने दुर्गम हैं कि शान्ति और व्यवस्था केवल मनुष्य की आन्तरिक अच्छाई पर ही निर्भर है तथा पुलिस की सुरक्षा उपलब्ध नहीं हो पाती। धन लाना-ले जाना एक समस्या बन जाता है। इस प्रकार गांवों की आधारभूत समस्याएं स्वयं बैंकों के विकास में बाधक होती है। पर्याप्त धन देकर पंचायतों की सहायता करके बैंक गांवों का काफी विकास कर सकते हैं।

## आर्थिक सहायता

ग्राम पंचायतें ग्रामीण समृद्धि का आधार हैं। वे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने गांवों का भाग्य परिवर्तन कर सकते है। लगभग सभी राज्यों में पृथक् पृथक् पंचायत अधिनियम पारित करके उन्हें कुछ अधिकार दे दिए गए हैं तथा उनके कुछ कर्त्तव्य निर्धारित कर दिए गए है। उनका प्रमुख कर्त्तव्य है पीने का पानी, स्वास्थ्य, सफाई तथा अच्छी सड़कें इत्यादि उपलब्ध करना। प्रथम और सर्वप्रमुख समस्या जिस पर अधिक

[ शेष पृष्ठ 8 पर

# वृद्धि केन्द्र अनुसन्धान की उपलब्धियां

डा० एस० एम० शाह

इस पत्र में मैं ग्रामीण विकास के आयोजन के कुछ विशेष पहलुओं को रखना चाहता हूं। हरियाणा (थानेसर), असम (पानिटोला), पश्चिम बंगाल (मेमारी-1); उत्तर प्रदेश (गाजीपुर), त्रिपुरा (विलासगढ़) और मेघालय (भोई) से इकठ्ठे किए गए आंकड़ों को ही मैंने अपने अध्ययन का आधार बनाया है।

इन खण्डों से प्राप्त किए गए आंकड़ों के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना वास्तव में छोटे किसानों के लिए योजना बनाना ही है। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूर्णतः उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाना होगा। चुने हुए गांवों में अधिकतर जोतें 1.99 हैक्टेयर से कम ही थीं। उदाहरण के तौर पर गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) खण्ड में 67 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से भी छोटी थीं और 20 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच के आकार की थीं। मेमारी (पश्चिम बंगाल) में 45 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से छोटी थीं और 29 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच में थी। पानिटोला (असम) में 42 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से छोटी जोतें थीं और 34 प्रतिशत किसानों के पास 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच की जोतें थीं। बिसालगढ़ (त्रिपुरा) में 1 हैक्टेयर से छोटी जोतों की संख्या 62 प्रतिशत थी जबकि 27 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच की थीं। भोइ (मेघालय) में 50 प्रतिशत जोतों का आकार 1 हैक्टेयर से भी कम था और 22 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच के आकार की थीं। थानेसर (हरियाणा) में हालत कुछ अच्छी थी। वहां 19 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टयर से कम थीं और 22 प्रतिशत जोतें 1 हैक्टेयर से 1.99 हैक्टेयर के बीच की थीं।

कृषि के ढांचे में एक असन्तोष जनक बात यह है कि पीछे कृषि का जो ढांचा बना उससे स्थिति किसान के दर्जे से नीचे की ओर गिरावट की रही है और जहां एक ओर किसानों की संख्या में कमी आई वहां दूसरी ओर खेतिहर मजदूरों की संख्या में बृद्धि हुई है।

जोतें छोटी होने और खेतिहर मजदूरों संख्या में बढ़ोत्तरी होने के कई कारण हो सकते हैं पर, उन छोटे किसानों को और खेतिहर मजदूरों को अधिक रोजगार दिलाना जरूरी है। यह ग्रामीण समस्या का मूल है। इस सन्दर्भ में ग्रमीण रोजगार की जोरदार योजना, जो छोटे कृषकों और कृषि श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए बनाई गई थी, बहुत उपयोगी रही है। खेती की पूरी तकनीक को ऐसा बनाना होगा कि छोटे किसानों को लाभ पहुंचे। यहां आर्थिक और पारिस्थितिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। इस दिशा में चम्पारन (बिहार), काम-रूप (असम), रायपुर (मध्यप्रदेश), बर्दवान (पश्चिम बंगाल) और चिकम-गलौर (मैसूर) में तालाबों में मछलीपालन के विकास के लिए किए गए प्रयत्न उत्साह-वर्द्धक हैं। इन चुने हुए जिलों में से दो—चम्पारन और बर्दवान—में वृद्धि केन्द्र भी हैं। मत्स्य विकास अभिकरणों का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज देने वाली किस्मों की मछलियों का सघन विकास करना है। इजरायल, मलेशिया, इण्डो-नेशिया और जापान में सघन प्रणालियां अपनाकर ही अधिक मत्स्य-उत्पादन लिया जाता है। जलाशयों को अच्छी तरह भर दिया जाता है तथा खूब अच्छी तरह से उर्वरक और खाद्य-सामग्री डाली जाती है। भारत में औसत मत्स्य उत्पादन 600 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है, हालांकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में 2,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उत्पादन भी लिया जाता है। इजरायल में मत्स्य उत्पादन का वार्षिक औसत 10,000 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है और मलेशिया, इण्डोनेशिया तथा जापान में यह 3,500 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर है। जापान में नहरों में भी मछली-पालन किया जाता है तथा हमारे देश में भी इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। साथ ही, धान के खेतों में जहां भी 9 इंच से अधिक पानी हो, मछलीपालन अपनाया जा सकता है।

## अधिक विपणन

अध्ययन के अन्तर्गत खण्डों में पिछले 12 महीनों में किए गए कुल उत्पादन और विपणन के आंकड़ों से पता चलता है कि भोई (मेघालय) में कुल उत्पादन के 51 प्रतिशत का विपणन किया गया। इसी तरह गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत बाजार में बेचा गया। इस दिशा में हरियाणा में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य हुआ है तथा थानेसर में 78 प्रतिशत उत्पादन की बिक्री की गई। मेमारी (पश्चिम बंगाल) में 57 प्रतिशत उत्पादन बेचा गया। बिसालगढ़ (त्रिपुरा) में कुल उत्पादन का 35 प्रतिशत बेचा गया।

इन आंकड़ों से पता लगता है कि इन खण्डों में मण्डियों के संगठन को मजबूत बनाना होगा।

कृषि वस्तुओं के विपणन के लिए माल लाने-लेजाने के साधन पूरी तरह विकसित नहीं हैं जिसका नतीजा यह है कि हमारी मण्डियां भी विकसित नहीं हो सकी हैं। ग्रामीण विकास के आयोजन में यह एक महत्वपूर्ण समस्या है।

पिछले दशक में गांवों में साईकल का आने जाने के साधन के रूप में प्रयोग बढ़ा है, यह अच्छी बात है। 1960-70 के दौरान गाजीपुर में साईकिलों की संख्या 3,105 से बढ़कर 8,527 हो गई। हरियाणा में यह बढ़ोत्तरी कई गुना रही (2,148 से बढ़कर 8,063)। त्रिपुरा में साईकिलों की संख्या 1,076 से बढ़कर

3,590 हो गई। इसी तरह असम में साईकिलों की संख्या 1,416 से बढ़कर 3,772 हो गई। ट्रक, ट्रैक्टर आदि अन्य किसी भी साधन के प्रयोग में इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वृद्धि केन्द्रों में साईकिल की मरम्मत के लिए अधिक दुकानें खोलनी होंगी।

1960-70 की अवधि में संस्थाओं के विकास में एक और महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी हुई है और वह है सभी खण्डों में परचून की दुकानों की संख्या में बढ़ोत्तरी। परचून की दुकानों की संख्या भोइ में 56 से 178, गाजीपुर में 295 से 417, थानेसर में 207 से 332, मेमारी में 204 से 414, बिसालगढ़ में 194 से 339 तथा पानिटोला में 110 से 197 हो गई।

## खामियां

शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी आंकड़ों से पता लगता है कि अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले खण्डों में रहने वाले लोगों की अवस्था कितनी बुरी है। स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों में से विद्यार्थी बच्चों का प्रतिशत हर खण्ड में भिन्न है। माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत पानिटोला में 57, बिसालगढ़ में 52 और गाजीपुर में 47 था। हरियाणा में यह प्रतिशत आश्चर्य जनक रूप से ज्यादा है (113 प्रतिशत)। विद्यालय की क्षमता को देखकर और स्कूल जाने की उम्र वाले बच्चों तथा वास्तव में पढ़ने वाले बच्चों के अनुपात को देखकर मौजूदा क्षमता तो माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में पढ़ रहे बच्चों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए पानिटोला में स्कूल की क्षमता 2,710 विद्यार्थियों की है जबकि वहां 2,289 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। 5 किलोमीटर के क्षेत्र में स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों की संख्या 9,109 थी। बिसालगढ़ में माध्यमिक विद्यालय की क्षमता 6,637 विद्यार्थियों की है जबकि वहां 6,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वहां स्कूल जाने वाली उम्र के बच्चों की संख्या 20,858 है। इसका अर्थ है कि देश में शिक्षा के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति के लिए स्कूलों की क्षमता बढ़ानी होगी।

स्वास्थ्य के मामले में प्राईवेट डाक्टरों की तुलना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सहायता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्रों में सुविधाएं हैं। थानेसर में 1,000 की आबादी के पीछे प्राथमिक केन्द्रों की संख्या 4.9 थी तथा सहायता प्राप्त स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 5.6 थी जबकि 1,000 की आबादी के पीछे प्राईवेट डाक्टरों की संख्या 17.19 थी। मेमारी में स्थिति बुरी नहीं थी, वहां 1,000 की आबादी के पीछे प्राईवेट डाक्टरों की संख्या 17.5 थी जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या 19.7 थी और सहायता केन्द्रों की संख्या 29 थी।

गांवों के लिए बैंकों द्वारा ऋण सुविधाएं ..... / पृष्ठ 6 का शेषांश

ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है. पीने के पानी की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना है। अधिकांश भारतीय ग्रामों में इस सुविधा का अभाव है और उस पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अगली समस्या हो सकती है कि सड़क सम्बन्धी सुविधाएं किस प्रकार उपलब्ध की जाएं।

व्यावसायिक बैंक ग्रामों की प्रमुख आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण दे सकते हैं। पर्याप्त स्रोतों के अभाव के कारण ग्राम पंचायतें मौलिक सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ नहीं है। बैंक या तो पंचायतों को ऋण दे सकते हैं या पंचायत यूनियनों के द्वारा उन्हें धन उपलब्ध कर सकते हैं। ऋण सम्बन्धी योजनाओं में पंचायत यूनियन के 5 विकास अधिकारियों के आयुक्त को भी शामिल किया जाना चाहिए। इससे ऋणों के वितरण, उपयोग तथा पुनः अदायगी पर बारीक नियन्त्रण रखा जा सकेगा। पंचायतों की आवश्यकताएं जानकर अल्प-कालीन अथवा दीर्घ-कालीन ऋणों का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। ऋण किस्तों में दिए जा सकते हैं। किस्तों में ऋण देने से कार्य अधिक अच्छे ढंग से चल सकता है। बैंकर निम्नलिखित सावधानियां बरत सकते हैं :

1. पंचायतों को ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में एक प्रस्ताव पारित करना चाहिए और शीघ्र अदायगी पर बल दिया जाना चाहिए।

2 पंचायतों को अपनी आय के स्रोतों की पूरी जानकारी देनी चाहिए और उनके द्वारा बैंकों की किस्तों की पुनः अदायगी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

3. कोषों का उचित प्रबन्ध करने के लिए पंचायतों को आयुक्त को कुछ अधिकार देने चाहिए। इसका अर्थ हो सकता है धन का तुरन्त प्रयोग। इस प्रकार नेताओं द्वारा धन के दुरुपयोग की सम्भावना को कम किया जा सकता है।

4. पंचायतों को व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेने का अधिकार देने के लिए राज्य पंचायत अधिनियम में उचित संशोधन किए जाने चाहिए।

5. राज्य सरकारों को इस योजना का नैतिक और जन-धन से समर्थन करना चाहिए।

# ग्रामों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं

भारत भूषण डोगरा

किसी भी राष्ट्र की सम्पन्नता की झलक उसकी जनशक्ति में देखी जा सकती है। संख्या की दृष्टि से तो भारत की जनशक्ति प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, किन्तु हमारे लोगों की कार्यक्षमता बहुत कम है। उदाहरण के लिए कुछ समय पूर्व किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के प्रति खेतिहर श्रमिक का औसत कृषि उत्पादन 140 डालर के लगभग बैठता है। विश्व के विकसित राष्ट्रों की तुलना में तो यह औसत बहुत कम बैठती ही है, टर्की तथा ब्राजील जैसे अन्य अल्प विकसित राष्ट्रों की प्रति खेतिहर उपज भी क्रमशः 326 तथा 229 डालर है जो भारत की तुलना में कहीं अधिक बैठती है।

भारतीय लोगों की कार्यक्षमता के इतना कम होने का मुख्य कारण है यहां के लोगों के स्वास्थ्य का नीचा स्तर। जहां स्वास्थ्य के इस निम्न स्तर का सबसे बड़ा कारण हमारे देश के लोगों की अतीव निर्धनता है, वहां स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के अभाव ने इस समस्या को और भी गम्भीर रूप दे दिया है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों, नर्सों तथा दाइयों आदि की बहुत कमी है।

1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, स्वास्थ्य-सेवाओं की इतनी कमी थी कि इस दृष्टि से इसे एक अकालग्रस्त देश कहा जा सकता था। भोर कमेटी की रिपोर्ट (1946) में कहा गया था कि यदि इस समय की 37 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या को न्यूनतम अनिवार्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवानी हों तो डाक्टरों की संख्या में सौ गुनी तथा दाइयों की संख्या में बीस गुनी वृद्धि करनी होगी।

उस समय से अब तक डाक्टरों की संख्या में अत्यन्त द्रुत गति से वृद्धि हुई है। 1947 में भारत में 16 मेडिकल कालेज थे जिनमें प्रतिवर्ष 1,200 विद्यार्थी दाखिला लेते थे। आज भारत में एक सौ से अधिक मेडिकल कालेजों में प्रति वर्ष 13,000 विद्यार्थी प्रवेश करते हैं।

कहने को तो डाक्टरों की संख्या में इतनी द्रुत गति से वृद्धि हुई है, किन्तु वास्तव में भारतीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है, क्योंकि डाक्टरों की वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ी है। तीसरी योजना के अन्त तक भारत में नर्सों की संख्या केवल 45,000 थी। किसी भी देश में नर्स तथा डाक्टर 3 : 1 के अनुपात में होने चाहिए जबकि भारत में यह अनुपात 1 : 2 है। स्पष्ट है कि डाक्टरों की कमी से भी अधिक गम्भीर समस्या नर्सों के अभाव की है।

स्वास्थ्य-सेवाओं के अभाव की समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ग्रामों तथा नगरों के बीच उनका असमान वितरण। जहां भारत की 80% जनता ग्रामों में वास करती है, वहां देश के केवल 20% डाक्टरों की पहुंच ग्रामों में है। हमारे अस्पतालों के कुल बिस्तरों में से केवल 30% का उपयोग हमारे ग्रामीण भाई कर सकते हैं। शेष 70% शहरी इलाकों के लिए सुरक्षित हैं। हमारे ग्रामों के 330 प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में कोई भी डाक्टर नहीं है, 3,200 केन्द्रों में केवल एक डाक्टर है तथा 1,500 अन्य केन्द्र केवल दो डाक्टरों की सहायता से चल रहे हैं। वैसे प्रत्येक केन्द्र में छः डाक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए।

समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए समान आर्थिक एवं सामाजिक अवसर उपलब्ध कराने की आकांक्षा रखने वाले देश में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के क्षेत्र में आखिर इतनी असमानता क्यों है? प्रायः इसके लिए मेडिकल कालेजों से प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में निकलने वाले युवा डाक्टरों को दोष दिया जाता है, किन्तु क्या वे वास्तव में ही इस स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं?

हमारे मेडिकल कालेजों की शिक्षा एक ग्रामीण अर्थ-व्यवस्थाओं पर आधारित न होकर एक औद्योगिक रूप से विकसित देश की आवश्यकताओं पर आधारित है। यूरोप और अमेरिका के देशों में प्रचलित मेडिकल शिक्षा का अन्धाधुन्ध अनुसरण हमारे मेडिकल कालेजों में किया जाता है। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवीनतम जटिल आविष्कारों से तो अवगत हो जाता है, किन्तु अपने ही गांवों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को पहचानने में असमर्थ रह जाता है।

मेडिकल कालेजों के पंचवर्षीय पाठ्यक्रम में से केवल तीन महीने विद्यार्थी को ग्रामों में कार्य करना होता है। इस छोटे से समय में, और वह भी अनिवार्य सुविधाएं और प्रोत्साहन के अभाव में, विद्यार्थी से गांवों की स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं को ठीक से समझने की उम्मीद रखना ही व्यर्थ है। हमारी वर्तमान मेडिकल शिक्षा प्रणाली में ग्रामीण आवश्यकताओं पर कितना बल दिया जाता है इसका अनुमान तो इस तथ्य से ही हो जाता है कि ये कालेज बजट के 0.08% से भी कम भाग को ग्रामों में स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च करते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हमारे मेडिकल कालेजों का वातावरण किसी भी स्थिति में युवा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए तैयार नहीं करता है।

इस गलत शिक्षा प्रणाली में शिक्षित किए जाने के बावजूद यदि कोई जागरूक डाक्टर किसी ग्राम को अपना कार्य-क्षेत्र बनाने का निश्चय करता है, तो विभिन्न

परिस्थितियां कहां तक उसके पक्ष में होती हैं ?

प्राय: डाक्टरों से हमारा समाज यह अपेक्षा करता है कि वे समाज-सेवा तथा देशभक्ति की पुनीत भावनाओं से प्रेरित होकर, अपने आर्थिक हित-अहित की परवाह न करके ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य सुधारने के कार्य में अपने को अर्पित कर दें। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमारे बहुत से युवा डाक्टरों के हृदय में भी ऐसी आकांक्षा अनेक बार जाग्रत होती है किन्तु साथ ही उन्हें जीवन के कठोर सत्यों का सामना भी करना पड़ता है। अपने परिवार के उत्तरदायित्व से वे न तो मुंह मोड़ सकते हैं तथा न ही उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि आर्थिक लाभ के अर्जन की दृष्टि से हमारे शहर ग्रामों की अपेक्षा कहीं अधिक उपयुक्त होते हैं। ग्रामों का निर्धन वर्ग तो डाक्टर की फीस देने में वैसे ही असमर्थ रहता है तथा जो दो चार धनी परिवार होते हैं, वे गांव के सादे डाक्टर की अपेक्षा शहर के किसी विशेषज्ञ से अपना इलाज करवाना अपनी शान के अधिक अनुकूल समझते हैं। इसके इलावा, आवास-स्थान की समस्या तथा बच्चों की शिक्षा की समस्या से अनेक अन्य झंझट होते हैं जो गांव आने पर डाक्टर को मोल लेने पड़ते हैं।

इन व्यक्तिगत कठिनाइयों के अलावा डाक्टर को अनेक व्यावसायिक झंझटों को भी सामना करना पड़ता है। आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा को निरक्षर ग्रामवासी सन्देह की दृष्टि से देखते हैं। परिवार के किसी सदस्य को कोई रोग हो जाए तो सर्वप्रथम उसका घरेलू इलाज किया जाता है, फिर झाड़-फूंक वाले बाबा की बारी आती है तथा इसके बाद किसी देसी हकीम या वैद्य के पास रोगी को ले जाया जाता है। अन्त में जब इन तीनों प्रकार की चिकित्सा-प्रक्रियाओं के असफल रहने पर रोगी डाक्टर के पास पहुंचता है, उसका रोग बहुत बढ़ चुका होता है। यदि डाक्टर रोगी को ठीक नहीं कर पाता है तो लोगों का उस पर से विश्वास उठ जाता है। इतना ही नहीं, रोगी का इलाज अपने ढंग से करने के लिए भी डाक्टर स्वतन्त्र नहीं होता। जरा-जरा सी बात के लिए उसे रोगी के अभिभावकों या परिवार के मुखिया से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकारी डिस्पेन्सरियों अथवा प्राईमरी स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करने वाले डाक्टरों को तो चिकित्सा के लिए अनिवार्य साज-सामान की कमी की समस्या से भी जूझना पड़ता है। नर्सों और दाइयों की कमी उनके लिए एक अलग ही सिरदर्द बना रहता है।

इन सब कठिनाइयों के बीच डाक्टरों को ग्रामों में कार्य करना पड़ता है तथा फिर भी उनसे उम्मीद की जाती है कि वे ग्रामीण स्वास्थ्य के मोर्चे पर डटे रहें। इस मोर्चे पर वे डटेंगे तो अवश्य लेकिन तभी जब उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं और सुख-सुविधाओं को सुलझाने का कोई प्रयास किया जाएगा।

इस क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत है मेडिकल शिक्षा पद्धति को भारतीय ग्रामों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने की। अपनी शिक्षा के दौरान विद्यार्थियों को ग्रामीण स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को समझने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब कि विद्यार्थियों को ग्रामों में काम करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए। प्रत्येक मेडिकल कालेज को किसी स्वास्थ्य केन्द्र के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए तथा इस कालेज के छात्रों को इससे सम्बन्धित केन्द्र में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना चाहिए। मेडिकल कालेजों में कुछ सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के इच्छुक छात्रों के लिए रिजर्व रहनी चाहिए। गांवों में काम करने को तत्पर छात्रों को छात्र-वृत्ति आदि प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले डाक्टरों को सरकार की ओर से आर्थिक अनुदानों द्वारा मदद मिलनी चाहिए। ग्राम में उनके रहने के लिए पक्के मकान की व्यवस्था भी सरकार को करनी पड़ेगी। सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा का साज-सामान उचित मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए ताकि डाक्टर ग्रामवासियों की ठीक-ठीक चिकित्सा कर उनका विश्वास जीत सके। अकाल मृत्यु की स्थिति में डाक्टर के परिवार के लिए पेन्शन, जीवन-बीमा आदि की सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम के शिक्षित वर्ग को भी चाहिए कि गांव के निरक्षर लोगों में चिकित्सा सम्बन्धी जो अन्धविश्वास प्रचलित हैं, उन्हें दूर करने में डाक्टर की सहायता करें।

देश के जिन क्षेत्रों में स्थायी डिस्पेन्सरियां या स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए जा सके हैं अथवा बहुत कम मात्रा में स्थापित किए गए हैं, वहां चलते-फिरते अस्पतालों द्वारा चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इन चलते-फिरते अस्पतालों में तम्बुओं, बिस्तरों तथा चिकित्सा का साज-सामान उपलब्ध होता है। यदि इन चलते-फिरते अस्पतालों में डाक्टरों के साथ-साथ नर्सिंग और डाक्टरी के विद्यार्थियों को भी भेजा जाए, तो वे भी ग्रामीण चिकित्सा सम्बन्धी अमूल्य अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। हर्ष का विषय है कि भारत सरकार द्वारा ऐसा ही एक कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। यह कार्यक्रम ग्रामीणों में भी बहुत लोकप्रिय हो रहा है।

कुछ समय पूर्व एकेडमी आफ मेडिकल साइंसेस के समावर्त्तन समारोह में बोलते हुए केन्द्रीय योजना मन्त्री श्री डी०पी० धर ने बताया कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण अंग ग्रामीण जनता की स्वास्थ्य सम्बन्धी मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे आवश्यक बात है युवा डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में जाने के लिए आकर्षित करना। यदि सरकार ने ग्रामों में कार्य करने वाले डाक्टरों की समस्या को सुलझाने के लिए उचित कदम उठाए तो निश्चय ही युवा डाक्टर भी कर्त्तव्य को पहचानने में देरी नहीं करेंगे।

# सोनगढ़ का लुगदी-कागज कारखाना

डा० कमलाकान्त होरक

आज अपने देश में कागज की जितनी मांग है, आवश्यकता है, खपत है—उसके अनुसार उतना कागज न मिलने के कारण दिन-प्रतिदिन, हर प्रकार के कागजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं। दैनिक जीवन में, जितनी पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं, अखबारों का महत्व है; उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बौद्धिक, कलात्मक, वैज्ञानिक, आदर्शवादी एवं शारीरिक विकास के लिए इन सबका जीवन में होना अति आवश्यक है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि पुस्तकें देश की प्रगति की इकाइयां हैं। किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि भारत में कागज मिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता, आज की मांग को देखते हुए बहुत ही कम है। वैसे मशीनों से कागज बनाने का कार्य 1870 से कलकत्ता के निकट स्थापित मिलों की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था और दूसरे महायुद्ध तथा 1944 तक 1,03,884 टन कागज अपने यहां बनने भी लगा था। 1950 से इस उद्योग में और प्रगति हुई है। आजकल कागज, लुगदी एवं गत्ते बनाने के 58 छोटे-बड़े कारखाने — कलकत्ता, टीटागढ़, रानीगंज, लखनऊ, पूना, नेपानगर, श्रीपुर, अहमदाबाद, जगाधरी, बम्बई इत्यादि जैसे प्रमुख नगरों-शहरों में स्थित हैं जिनकी प्रस्थापित क्षमता 7,68,000 टन प्रतिवर्ष है, जबकि 1950 में कुल उत्पादन क्षमता 1,09,000 टन ही थी। इसके अतिरिक्त लुगदी एवं कागज बनाने का बहुत बड़ा कारखाना (सेन्ट्रल पल्प मिल्स) गुजरात के सूरत जिले में स्थित सोनगढ़ में खोला गया है। सोनगढ़—उकाई बांध के निकट, चारों ओर से फैली हुई मनोरम पहाड़ियों के बीच, कल-कल ध्वनि से बहती हुई ताप्ती नदी की लहरों को छूता हुआ दिखलाई देता है। यह स्थान कागज एवं लुगदी बनाने के लिए हर दृष्टिकोण से उपयुक्त तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लुगदी बनाने के लिए राजपीपला, व्यारा और डोग क्षेत्र के जंगलों से प्रचुर मात्रा में बांस मिल जाता है तथा मिलता रहेगा।

इस सोनगढ़ स्थित "सेन्ट्रल पल्प मिल्स" की स्थापना पांच उद्योग-कर्त्ताओं ने मिलकर 1968 में की थी। महाराष्ट्र एवं गुजरात की सरकारों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं ने भी इसमें आर्थिक सहयोग दिया है। शुरू-शुरू में देश के कागज निर्माताओं को सारी लुगदी विदेशों से मंगानी पड़ती थी जिस पर कि करीब-करीब 4 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च करने पड़ते थे। किन्तु, सोनगढ़ का कारखाना बन जाने के कारण विदेशों से केवल लुगदी आना ही नहीं बन्द हो गया, बल्कि यहां से 1.5 करोड़ रुपए की लुगदी भी निर्यात की जा चुकी है। इस कारखाने का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों से काफी महत्व है। जैसा अच्छा माल यहां तैयार किया जा रहा है, वह अपने ढंग का अनूठा है। क्योंकि इतनी अच्छी लुगदी और किसी कारखाने में, इसके पूर्व तैयार नहीं की जाती थी।

इस कारखाने में कार्य करने वाले, निदेशक एन०एस० सदावर्ते से लेकर इंजीनियरों तथा छोटे-बड़े तकनीकी कर्मचारियों तक, सभी भारतीय ही हैं। निदेशक सदावर्ते ने अमेरिका के सिराक्यूज विश्वविद्यालय से कागज की तकनीकी विद्या में 'मास्टर' की उपाधि प्राप्त की है। इनमें योग्यता के साथ ही साथ, इस ओर प्रगति करने की क्षमता, दृढ़ विश्वास, आशा एवं अधिक से अधिक कार्य करने की उत्सुकता है। उनका लक्ष्य है अपने देश के अन्य मिलों को अधिक मात्रा में उच्च कोटि की लुगदी तैयार करके देना और स्वयं कागज बना कर, कागज की मांग को पूर्ण करना। उन्होंने 1971 में एक बार कहा था—

"मैं जानता हूं—यह कारखाना भारत का ऐसा पहला कारखाना है जहां कागज बनाने लायक सबसे अच्छी और अधिक लुगदी तैयार की जाती है। यहीं से लुगदी का निर्यात भी किया गया है जबकि इसके पूर्व भारत से कभी लुगदी बाहर नहीं भेजी जाती थी। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया है। लक्ष्य-पूर्णता की कसौटी तो उस समय मानूंगा जबकि अपने देश में हर प्रकार के कागजों की मांग को पूर्ण करते हुए अधिक उत्पादन करके, अन्य देशों से पैसा कमाकर भी देश को दे सकूं।"

और यह सच भी है। इस कारखाने का लक्ष्य 40,000 टन वार्षिक लुगदी उत्पादन करने का है। इसके साथ ही साथ यह भी सोचना है कि 16,500 टन अच्छे प्रकार के कागजों को तैयार करने के लिए एक संयन्त्र को शीघ्रातिशीघ्र लगाया जाए। और इस ओर कार्य भी शुरू हो गया है। वैसे देश में सबसे अधिक कागज-मिलें जिनकी संख्या छः है, गुजरात प्रान्त में ही स्थित हैं। इनकी उत्पादन क्षमता देश के कागज उत्पादन का 2 या 2.5 प्रतिशत अर्थात् 22,000 टन प्रतिवर्ष है। किन्तु 'सेन्ट्रल पल्प मिल्स' की विस्तार योजना के अनुसार ऐसा अनुभव किया जाता है कि 16,500 टन कागज का अतिरिक्त उत्पादन कर इस प्रान्त के कागज उत्पादन में 80 से 85 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। विस्तार योजना में अधिक सहयोग देने के लिए अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक ने, आधुनिक मशीनों के साथ ही साथ अन्य साज-सामानों का आयात करने के लिए लगभग 5 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया है और यहां की दो फर्मों

(सैण्डी हिल एवं सैण्डी इन्टरनेशनल) ने निर्माण-कार्य के समय डिजाइन इत्यादि बनाने में भी सहयोग दिया है। विभिन्न प्रकार के कल-पुर्जों को देकर सहायता की है तथा आगे भी देते रहने का आश्वासन दिया है।

औद्योगिक प्रगति में 'सेन्ट्रल पल्प मिल्स' का हर दृष्टिकोण से महत्व है। अपने देश की अन्य कागज मिलों के लिए लुगदी तैयार कर देने के साथ ही साथ इस क्षेत्र के लोगों का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है। कम से कम 7,000-7,500 आदिवासियों को बांस के जंगलों में काम करने के लिए प्रेरित किया है। इनको रोजगार दिया है। उकाई झील के आसपास के क्षेत्रों में नए ढंग से बांस के जगलों को लगाने तथा रक्षा करने के तौर-तरीकों को जानने के लिए उत्साहित किया है। क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि यहां की मिट्टी में वे सभी तत्व मौजूद हैं जो कि बांस के जंगलों को अनवरत बढ़ने देने के लिए उपयुक्त होते हैं। और बांस ही इस कारखाने को चलाने के लिए अति आवश्यक है। बिना इसके एक दिन भी काम नहीं चल सकता है। यदि बांस के जंगलों की भलीभांति रक्षा की जाए तो कोई कारण नहीं कि सोनगढ़ स्थित 'सेन्ट्रल पल्प मिल्स' से कुछ ही वर्षों के अन्दर कम से कम 1,000 टन कागज का प्रतिदिन उत्पादन न हो सके। और इस प्रकार उपरोक्त बातों को पढ़ने तथा इस सम्बन्ध में सोचने-समझने से स्पष्ट हो जाता है कि इसका औद्योगिक प्रगति में आज कितना महत्व है।

क्या आप जानते हैं ?

## रोजगार के अवसरों में वृद्धि

* शिक्षित बेरोजगारों के लिए सरकार ने एक नया कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसके लिए 1973-74 के बजट में 1 अरब रुपए की व्यवस्था की गई है।
* उद्यमशील बेरोजगार व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है।
* योजना आयोग तथा राज्य सरकारें भी रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने की योजनाएं बना रही हैं ताकि योग्य व्यक्तियों को रोजगार ढूंढने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता न पड़े।
* सरकार ने देश की बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा करने और इसको दूर करने के बारे में उपाय सुझाने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अल्पकालीन उपायों पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
* एक मासिक पत्रिका "टेक्नीकल मैनपावर बुलेटिन" प्रकाशित की जाती है, जिसमें रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों के बारे में विस्तृत विवरण दिया होता है।

## परिवेश से जूझता बोध

डा० श्यामसिंह शशि

पूरे पच्चीस वर्षों के बाद
गांव जाता हूं
निहारता हूं
एक-एक वस्तु को
नए परिवेश के माध्यम से
आधुनिक बोध के समक्ष
देखता हूं—
पनघट यहां अभी भी
खनखनाता है
किसी की याद में—
कुछ गुनगुनाता है
पनिहारिन बदल गई है
किन्तु कुआं वही है
नलकों के कुछ अपवादों को छोड़
कन्धे चढ़ता घड़ा भी वही है
यहां रात अभी भी
तारों से आंख-मिचौनी खेलती है
और दीपक की लौ
किसी पतंग के साथ जलती है
निभृत अन्धकार
विस्तृत आकाश
तालाब में बढ़ता मेंढ़कों का शोर
कोयल का पंचम स्वर
वीर बहूटी का स्नेह-निमन्त्रण
वर्षा का मदभरी कुछ फुहार
खेतों में यौवन की बहार
तुम कहते हो—
छायावाद के दिन लद गए हैं
पुराने प्रतीक फीके पड़ गए हैं
किन्तु मित्र
मेरे गांव में कोई रांझा
हीर की पीर में गाता है
विरह गीत
और कोई मांझी
नदिया के तीर पर
नगर के कवि को
आज भी बुलाता है।

सम्पादक – "सैनिक समाचार"
नई दिल्ली

# शिक्षा के विकास से बेरोजगारी का उन्मूलन

डी० पी० नायर

शिक्षितों में बढ़ती हुई बेरोजगारी गम्भीर चिन्ता का विषय है। बेरोजगारी छात्रों तथा उनको शिक्षा दिलवाने में कड़ी कठिनाइयां उठाने वाले अभिभावकों में फैले हुए असन्तोष की परिचायिका है। यह सामाजिक अपव्यय की भी परिचायिका है। क्योंकि राज्य एक स्नातक की शिक्षा पर जो व्यय करता है वह प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कहीं अधिक है और, फिर भी ऐसे असंख्य कार्य हैं जिन्हें और बेहतर तरीके से करना बहुत जरूरी है तथा उत्पादकता में बढ़ोत्तरी शिक्षा का ही उत्तरदायित्व है। अतः शिक्षा और बेरोजगारी के बीच प्रभावशाली सामंजस्य स्थापित करना एक अनिवार्य आवश्यकता है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास पर अधिक जोर दिया जाएगा। शिक्षा और रोजगार का सम्बन्ध अधिक निकट का होने के बावजूद भी सीमित ही है। अतः लोगों द्वारा कल्पना की जाने वाली दोनों चरम स्थितियों से बचने के लिए इस सम्बन्ध को स्पष्ट रूप से समझ लेना अत्यावश्यक है। एक ओर तो शिक्षितों की बेरोजगारी का सारा दोष शिक्षा प्रणाली के सिर मढ़ दिया जाता है तथा दूसरी ओर इस प्रणाली को मौजूदा स्थिति के उत्तरदायित्व से बिल्कुल ही मुक्त कर दिया जाता है।

रोजगार की स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा का दायित्व तिहरा है। उपलब्ध रोजगार के अनुसार ही व्यक्ति को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में आने वाले व्यावसायिक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढाल सके। एक सीमा तक यह रोजगार भी पैदा कर सकती है। इन सभी कार्यों के लिए शिक्षा को रोजगार प्रणाली के साथ सामंजस्य बनाए रखना होगा। पहले दो दायित्व भलीभांति स्पष्ट ही हैं। तीसरे दायित्व को थोड़ा स्पष्ट करना होगा। विकासशील देशों के पास प्राकृतिक सम्पदा का बहुत बड़ा भण्डार है, अच्छी चीजों की बहुत व्यापक मांग भी है जो प्रायः आयातों से पूरी की जाती है। ये सभी मांगें स्वदेशी साधनों तथा तकनीकी जानकारी के विकास के द्वारा भी पूरी की जा सकती हैं। इस स्थिति में कई अवसर और चुनौतियां सामने आती हैं, जिनके लिए पहल, साधन-सम्पन्नता, जिज्ञासा, जोखिम उठाने की प्रवृत्ति, सहकारी दृष्टिकोण और नेतृत्व की आवश्यकता है तथा ये सभी गुण उचित शिक्षा प्रणाली द्वारा ही विकसित हो सकते हैं।

रोजगार केन्द्रों के रजिस्टरों में नौकरी चाहने वालों की बढ़ती हुई संख्या, प्रत्याशियों की योग्यता के बारे में मालिकों में फैले व्यापक असन्तोष, मांग और पूर्ति के बीच असन्तुलन, शिक्षितों में अपना काम धन्धा करने के प्रति अरुचि और अक्षमता आदि इस बात का ज्वलन्त उदाहरण हैं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली अपना दायित्व सही प्रकार से नहीं निभा रही है। अतः शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा इसका पुनर्गठन बहुत जरूरी है। इस समस्या पर खूब गौर किया गया है और कई लाभप्रद प्रयोग भी इस दिशा में किए गए हैं तथा किए भी जा रहे हैं, जिनको आधार बनाकर भविष्य के लिए नीतियां तैयार की जा सकती हैं।

शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों में परिवार नियोजन की समस्या के प्रति जागरूकता ला सके। इसके लिए पाठ्यक्रम के विभिन्न स्तरों पर जनसंख्या नीति का अनिवार्य रूप से समावेश किया जाना चाहिए तथा लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि उनकी विवाह-योग्य आयु बढ़ाई जा सके। टेक्नोलाजी में सुधार करके शिक्षा रोजगार विकास नीति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

कालेज स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को सामान्य शिक्षा का रूप दिया जाना चाहिए। इस दिशा में कुछ अनुभव तो पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इसके अलावा, समूचा पाठ्यक्रम किसी न किसी रूप में व्यावहारिक जीवन तथा सामाजिक उपभोग से सम्बद्ध होना चाहिए। सामान्य शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों में उद्यमी बनने की क्षमता का भी विकास होना चाहिए। इस उद्देश्य से छात्रों को यथार्थवादी दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विभिन्न शिक्षा संस्थानों और उद्योगों में सम्पर्क स्थापित करने की परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा। सामान्य शिक्षा से हमें जो अपेक्षाएं हैं उनमें भी हमें परिवर्तन करना होगा। इसको व्यवसाय विशेष के लिए तैयार करने वाला माध्यम नहीं समझा जा सकता बल्कि यह तो जनशक्ति का सामान्य स्तर उठाने वाली एक व्यवस्था है। प्रायः यह होना चाहिए कि सामान्य शिक्षा प्राप्त छात्र उपलब्ध किसी भी काम-काज को अपना सकें। जब एक समाज में व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार होता है तब शिक्षितों को ऐसे काम-काज अपनाने पड़ते हैं, जिन्हें पहले अशिक्षित लोग कर रहे थे लेकिन धीरे-धीरे ऐसे काम-काजों का स्तर तथा उनसे प्राप्त होने वाली आय में वृद्धि होने लगती है। एक सीमा तक यह प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। नाइयों की दुकानें 'ब्यूटी सैलून' बन गई हैं, चाय की दुकानों ने 'रेस्टोरेण्ट' का रूप ले लिया। लेकिन यह परिवर्तन कुछ आसान नहीं होगा। एक उपाय जो इस्तेमाल किया गया है तथा जिसे लाभदायक पाया गया है वह है व्यापार सम्बन्धी सूचना की व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय रोजगार कार्यालयों की स्थापना। विश्वविद्यालय और रोज-

सार केन्द्र मिल कर इस प्रयोग को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

उत्पादकता बढ़ाने तथा जन सामान्य में रोजगार सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा कामचलाऊ शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। युवाओं में नेतृत्व सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, औपचारिक शिक्षा तथा उद्योग में प्रशिक्षण व्यवस्था से भी श्रमिक सम्बन्धी जानकारी के अनुरूप श्रम शक्ति में सन्तुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।

वैसे शिक्षा का उद्देश्य सही नीतियों में सहयोग देना ही नहीं बल्कि नीति निर्णय भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय एक विशेष स्तर पर और मुक्त वातावरण में अध्ययन-अध्यापन कर सकते हैं, खोज और जांच पड़ताल कर सकते है, जो किसी भी आयोजन या प्रबन्ध संस्था द्वारा सम्भव नहीं है। किसी आयोजन संस्था के लिए शैक्षणिक संस्थानों का अनुसन्धान सम्बन्धी सहयोग एक अमूल्य योगदान होगा। रोजगार समस्या की चुनौती के परिणामस्वरूप कई सुझाव सामने आए हैं तथा कई सुझाव विश्वविद्यालय भी देगा, जिनकी जांच करके उन्हें स्वीकार किया जा सकता है या नकारा जा सकता है या उनमें सुधार किए जा सकते है। लेकिन इन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को समस्यापूरक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उदाहरणार्थ विश्वविद्यालय किस प्रकार ग्रामीण विकास को दिशा दे सकते हैं इसकी अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न विवेचना शिक्षा आयोग की रिपोर्ट के 'ग्रामीण विश्वविद्यालय' परिच्छेद में दी गई है।

इस तरह पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा को रोजगार प्रणाली के साथ सम्बद्ध करने तथा शिक्षितों की रोजगार-सामर्थ्य बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाने की व्यवस्था है। इसी तरह से शिक्षा एक पूंजी बन सकती है।

# 'स्वप्न गीत'

कुमारिल पन्त

आओ, हम स्वप्न संजोएं···
किरनीली भोर और दूधिया जुन्हाई की रातों के···
आशाएं हों सफला, और सांसें हों गन्धी
अपनी नियति अपनी मुट्ठी में हो बन्दी
फूलों की ऋतुएं हों मुक्त, और पतझर के कांटों पर पाबन्दी
आओ, हम आयोजित हो जाएं
पग पग पर आगे बढ़ जाने को
होकर समवेत···
लिए हाथों में हाथों को···
आओ, हम स्वप्न संजोएं
किरनीली भोर और दूधिया जुन्हाई की रातों के···
दिन भर की मेहनत से थकी हुई देह
रात मीठी सी निन्दिया की गोदों में सो पाए
आज की खुशियों में जीने का आदी जन···
कल की सुखद कल्पनाओं में खो पाए
आओ, हम बन जाएं चिर प्रतीक—
जीवन के सारे ही ऊंचे आदर्शों के
व्यर्थ नहीं बातों के···
आओ, हम स्वप्न संजोएं—
किरनीली भोर और दूधिया रातों के···
आओ, हम शब्द नए गढ़ें
और बनें, नई रचनाएं···
आओ, हम जड़ता को करें विदा
और गीत नए जीवन के गाएं,
आओ, हम स्याही बन जाएं गीली
गहरी नीली और चमकीली
सुख के बिथुरते सन्देशों की···
लिपि में न हो पाएं बन्दी हम
भरे हुए खातों के···।
आओ, हम स्वप्न संजोएं—
किरनीली भोर और दूधिया जुन्हाई की रातों के···।

क्षेत्र प्रसार शिक्षक
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
डीडी हाट (जि० पिथोरागढ़) यू० पी०

# पारिवारिक अर्थ व्यवस्था के लिए अभिशाप

ओम् प्रकाश चोहान

हमारे समाज में रीति-रिवाजों की इतनी भरमार है कि इसका असर एक मध्यमवर्गीय परिवार की आर्थिक अवस्था के ऊपर पड़े बगैर नहीं रह सकता। ये रीति रिवाज जन्म से लेकर, शादी-ब्याह तथा मृत्यु तक पीछा नहीं छोड़ते। अगर इनको न मानो तो बड़े-बूढ़ों तथा समाज के अन्य लोगों की बुराइयां सहन करो, लेकिन नतीजा यह निकलता है कि इन रीतिरिवाजों को आज की बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक तंगी तथा सरकार द्वारा बनाए हुए कानूनों को देखते हुए, बदलना अत्यन्त आवश्यक है।

रीति-रिवाजों से तात्पर्य होता है जो किसी परिवार, समाज, प्रदेश या देश में प्राचीन समय से लगातार बगैर किसी बाधा के चले आ रहे हैं और कहीं कहीं तो इन्हीं रीति-रिवाजों ने कानूनी रूप ले लिया है, जैसे कि 1955-56 में हिन्दू मैरिज एक्ट, एडोपशन एक्ट, तलाक एक्ट सक्सेसन एक्ट, दहेज के कानून, विडो प्रोपर्टी एक्ट आदि। रीति-रिवाजों का सम्बन्ध किसी समाज की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा होता है, उनको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन कम किया जा सकता है। आजकल के इस महंगाई के युग में एक व्यक्ति को बहुत सी जगह इन रीति-रिवाजों की वजह से मुंह छिपाना पड़ता है चाहे कितनी ही बुराइयों का सामना क्यों न करना पड़े। कारण है कि आजकल संयुक्त परिवार भी विघटित होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार में तो सब कुछ बड़े-बूढ़ों की मर्जी पर होता है लेकिन संयुक्त परिवार से अलग रहने पर वही व्यक्ति बहुत से रीतिरिवाजों तथा ढकोसलों से पिण्ड छुड़ाने की कोशिश करता रहता है जैसे तेरहवीं के दिन बड़े-बूढ़े तो चाहते हैं कि 5-6 मन के पूआ या पूड़ी हों और सब रिश्तेदारों, मित्रों को बुलाया जाए लेकिन क्या आजकल एक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से ऐसा कर सकता है।

## डस्टोन

किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म ले तो यह एक प्रसन्नता का समय होता है। यदि लड़का हो तो अत्यधिक खर्चा करना पड़ता है। मित्रों-रिश्तेदारों को पार्टी दिए बिना काम नहीं चलता। एक रिवाज है :छटी: के दिन औरतों के गाने बजाने होते हैं तथा 10 वें दिन :डस्टोन: जिस दिन नामकरण होता है, शाम को पार्टी होती है। लड़के की ननसाल वालों को कपड़े आदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार लाने पड़ते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो समाज में बहुत बुराइयों तथा बदनामी का सामना करना पड़ता है।

## दहेज

शादी-विवाह के अवसर पर एक व्यक्ति या परिवार की जिन्दगी की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है और ज्यादातर तो कर्जे लेकर काम चलाते हैं तथा इन कर्जों का भुगतान वह व्यक्ति अपनी जिन्दगी में नहीं कर पाता जिसका असर उसके बच्चों पर पड़ता है। जिस व्यक्ति के एक से अधिक लड़की हों तो समझ लो उस व्यक्ति को घुन लग गया और वह इसी उधेड़-बुन में लगा रहता है कि इन लड़कियों की शादी मैं कैसे कर पाऊंगा जबकि वह देखता है कि आजकल लड़कों के ऐसे दिमाग हो गए हैं जो चाहते हैं कि लड़की किसी फिल्म स्टार से कम न हो, पढ़ी लिखी भी हो तो बी० ए० या एम० ए० पास से कम न हो और यदि कहीं सर्विस में हो तो सोने में सोहागा। लड़के अपनी ओर नहीं देखते कि मैं कैसा हूं और इतना रुपया कमा रहा हूं कि नहीं जिससे उसके साथ सुखपूर्वक रह सकूं।

हमारे समाज की व्यवस्था कुछ इस प्रकार की है कि हर तरह से लड़की वाला दाबा जाता है। लड़के वाला तो ऐसे रौब में रहता है जैसे वह कौन से खजाने का मालिक है। जितनी उसकी हैसियत नहीं होती उससे ज्यादा दहेज मांगता है और लड़के को चाहे कुछ मिले या न मिले स्कूटर या मोटर साइकिल जरूर मिलनी चाहिए। लड़के का बाप यह कोशिश करता है कि उसे ज्यादातर नकदी मिले जिससे कि वह अपने लड़के के ऊपर जो पढ़ाई आदि का लर्चा किया है उसको वसूल कर सके। वह ऐसे समय में अपने लड़के को चैक समझता है जिसका भुगतान लड़की वाले से चाहता है। अब देखिए लड़की वाले की स्थिति जितना वह दहेज आदि के लिए वादा करता है उतना ही उसे अन्य तैयारियों में खर्च करना पड़ता है जैसे बरातियों की खातिर, दावत तथा अन्य खर्च। वह अपने जीवन की सारी जमा पूंजी को लगा देता है तब भी उसे धौंस धपाड़ का सामना करना पड़ता है।

हालांकि सरकार ने ऐसे रिवाजों को बन्द करने के लिए कुछ कानून भी पास किए हैं जैसे दहेज प्रथा उन्मूलन, दान-करों (गिफ्ट टैक्स) आदि। तथा शादी-विवाह के अवसरों पर 100 से अधिक व्यक्तियों को दावत देना कानूनी अपराध माना गया है तथा किसी प्रदेश में तो अन्नरहित दावतों के बारे में ही छूट है। लेकिन इन कानूनों के बावजूद भी क्या कोई मानता है? गर्ज है लड़की वाले की। किसी न किसी तरह अच्छा लड़का और अच्छा घर पाने के कारण वह लड़के वालों की सभी शर्तों को दबे छिपे पूरी करने की कोशिश करता है।

अब समय आ गया है और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, राजनीतिज्ञों, तथा प्रत्येक व्यक्ति का कर्त्तव्य हो गया है कि इस प्रकार की खींचातानी को समाप्त कर

इस पवित्र अवसर को ज्यादा ढकोसले बाजी में न रख कर सीधा-सादा रहने दें। केवल लड़का तथा लड़की अपनी-अपनी पसन्द का चयन करें। इस ओर यदि अन्तर्जातीय तथा अन्तर्प्रान्तीय शादियों को प्रोत्साहित किया जाए तो समस्या कुछ हद तक सुधर सकती है। काश ऐसा दिन जल्दी आए कि लड़कियां किसी के लिए भार बन कर न आएं।

## मृत्यु भोज

मृत्यु-शोक के अवसरों पर भी खर्चे पिण्ड नहीं छोड़ते। कुछ ऐसे रिवाज बना लिए गए हैं जो व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ते हैं। जैसे क्या जरूरी है कि तेरहवीं के अवसर पर 8-9 मन आटे के पूए किए जाएं जिसमें सारा गांव, गांव में आए हुए रिश्तेदार तथा आसपास के मित्र नाते रिश्तेदार यानी सभी को बुलाया जाए जिसमें बेहद खर्चा होता है। क्या इसको कम नहीं किया जा सकता। क्या मृतक की आत्मा को तभी शान्ति मिल सकती है जब ऐसे मंहगाई के समय में भी बहुत सारा तथा कर्जा लेकर खर्चा किया जाए। संयुक्त परिवार में रहकर तो ये सब खर्चे अपनी मर्जी को मारते हुए भी अन्य सदस्यों की इच्छानुसार करने ही पड़ते है। पहले के समय में ये सब चल जाते थे लेकिन अब समय आ गया है कि इस प्रकार के खर्चों से बचा जा सकता है। मृत्यु-शोक के अवसरों पर बहुत साधारण तरीके से और कम खर्चे में मृत्य आत्मा की शान्ति के लिए उपाय किए जा सकते हैं। वास्तव में हमारे ये पुराने रीति रिवाज हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अभिशाप बन गए है।

मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि पुराने समय से पूर्वजों तथा पण्डितों द्वारा बताए गए रीति-रिवाज व्यर्थ हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये रीति रिवाज तो व्यक्ति तथा समाज की संस्कृति का हिस्सा है जिसको भुला देने पर जीवन शून्य हो जाएगा। कोई समाज का कार्य चलेगा ही नहीं तथा व्यक्ति तथा समाज बिलकुल रूखा तथा अलग हो जाएगा। मनुष्य से सम्पर्क इन्हीं रीति रिवाजों के द्वारा होता है तथा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ उठना बैठना तभी है जब व्यक्ति पुरानी मान मर्यादाओं को जो बड़े बूढ़ों ने हमें दी हैं, निभाता चला जाता है। यूरोपियन देशों में एक व्यक्ति पड़ोसी, नाते रिश्तेदार, यहां तक बाप बेटे को भूल जाता है, यही कारण है कि वहां पर इस प्रकार की मान मर्यादाएं नहीं हैं। मेरा तो तात्पर्य यह है कि इस बदलती दुनिया में इन रीतिरिवाजों को ऐसा माध्यम बनाया जाए जहां किसी परिवार या व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर ऐसा प्रभाव न पड़े कि वह जिन्दगी भर कराहता रहे।

# चम्बल घाटी में सड़क निर्माण कार्यक्रम

चम्बल घाटी के बीहड़ इलाकों कों, जो अब तक डाकुओं के छिपने के स्थान थे, कृषि योग्य बनाया जा रहा है तथा वहां सड़कें बनाई जा रही हैं।

यमुना चम्बल माही तथा इनकी सहायक नदियों के कारण वहां की घाटियां संकरी हो गयी हैं। इससे कई राज्यों की 36 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन को नुकसान पहुंचा है। इसमें से सबसे अधिक 12 लाख 30 हजार हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश की है। संकरी घाटियां प्रति-वर्ष 8 हजार हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन को बेकार कर देती हैं।

अकेले उत्तर प्रदेश में चम्बल घाटी के डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए लगभग 1 करोड़ 34 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य को यह राशि केन्द्रीय ऋण सहायता के रूप में दी जायगी।

इससे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राज्यस्थान की सीमा से लगते हुए क्षेत्रों में 134 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। ये सड़कें इस क्षेत्र को मुख्य शहरों से जोड़ देंगी तथा इससे विकसित क्षेत्रों में कृषि और उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। इन सड़कों के निर्माण से यहां के लोगों को अपना जिस निकटतम मुख्य सड़क तक लेजाना सम्भव होगा।

इन अन्तर्राज्यीय सड़कों को 9 खण्डों में बांटा गया है। 39 किलोमीटर लम्बी है डमोरी-कनवर, फोप, चौरीला सड़क। पालो-पिरघाट, खिमलासा-कांजिया सड़क 38 किलोमीटर लम्बी है। दूसरी सड़के हैं 10-10 किलीमीटर लम्बी मचन्द-माधोगढ़ तथा डबोह-समथर सड़कें, 14.5 कि० मी० लम्बी वानपुर-कैलवान-गोरा सड़क, 8 कि० मी० लम्बी सोजना-जागरा सड़क, 7 कि० मी० लम्बी इन्द्रगढ़-पांडोखार-समधर सड़क, 5 कि० मी० लम्बी वानपुर-टिकमगढ़ सड़क तथा 3 कि०-मी० लम्बी उदीतगढ़-कादराचट-कीजरा सड़क। मध्य-प्रदेश को सीमा को सोजना-जागरा सड़क बड़ागांव-कजार-वाह सड़क से जाकर मिलेगी।

संकरी घाटियों के कारण भूमि का लगभग 4 करोड़ रु० का नुकसान होता है। उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान को इन संकरी घाटियों का इस्तेमाल किया जाए तो इनसे प्रतिवर्ष 30 लाख टन खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकता है।

# बैंगन की खेती

सुन्दर लाल त्रिपाठी

आजकल बैंगन की बहार है। आयुर्वेद की दृष्टि से यह अनेक रोगों को दूर करता है। यकृत् और प्लीहा के रोगों में यह रामबाण है। आयुर्वेदिक ग्रन्थों में इसकी बड़ी महिमा गाई गई है। यथा :—

वार्ताकुरेषा गुणसप्तयुक्ता बह्निप्रदा मारुतनाशिनी च।
शुक्रप्रदा शोणितवर्धनी च हृल्लास कासारुचिनाशिनी च॥
सा बाला कफपित्तघ्ना पक्वा सक्षार पित्तला॥

अर्थात् बैंगन अग्निवर्धक, वातनाशक, शुक्रल, रक्तवर्धक, हृदय रोग नाशक, है और खांसी तथा अरुचि को दूर करता है। कच्चा बैंगन कफ और पित्त को नष्ट करता है। पर पकने पर यह छार युक्त हो जाता है और पित्तकारक बन जाता है।

बैंगन की सब्जी कई प्रकार से बनाई जाती है। भूंज कर इसका भुर्ता भी बनाया जाता है जिसे लोग बड़े चाव से खाते हैं। आयुर्वेद में सफेद बैंगन को अखाद्य बताया गया है। परन्तु बवासीर के रोगियों के लिए बड़ा हितकर है। भाव प्रकाश में बताया गया है :

अपरं श्वेतवृंताकं कुक्कुटाण्डसमं भवेत्।
तदर्शःसु विशेषेण हितम् पथ्यञ्च सर्वतः॥
—भाव प्रकाश।

## भूमि की तैयारी

बैंगन की खेती के लिए बलुआ दुमट भूमि सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन अच्छी खाद और गहरी जुताई होने पर सामान्य भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना कर के अच्छी गहरी जुताई कर देनी चाहिए। अच्छी जुताई हो जाने के पश्चात् छोटी-छोटी क्यारियां बनाकर खाद डाल देनी चाहिए। प्रति 100 वर्गफुट की क्यारी में पांच टोकरी गोबर या मेंगनी की सड़ी खाद डालनी चाहिए। पौध लगाने के एक माह पश्चात् भी प्रति क्यारी 250 ग्राम अमोनिया सल्फेट और 250 ग्राम सुपरफास्फेट का मिश्रण डालना चाहिए। यदि इसके साथ-साथ गोबर की सड़ी खाद दे सकें तो और भी लाभदायक होगी।

**बुवाई** : खेत में बोने से पूर्व नर्सरी से पौध लाइए और 2-2½ फुट के अन्तर से पौध चापते जाइए। पौध लगाने की कतारों में भी 2½ से 3 फुट का अन्तर अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

**सिंचाई-निराई-गुड़ाई** : समय-समय पर फसल की सिंचाई अनिवार्य रूप से कर देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। खरपतवार से बचाने के लिए समय-समय पर निराई करते रहना भी अत्यन्त आवश्यक है। जब भूमि जरा कड़ी मालूम पड़ने लगे तभी उसे खुरपी या फावड़े से हल्की-हल्की गोड़ देना चाहिए, जिससे भूमि में नमी बनी रहे।

**फसल की तैयारी** : सामान्यतया पौध को खेत में लगाने के 3-4 माह बाद फसल आने लग जाती है। प्रति सप्ताह या फलों की बाढ़ के अनुसार फलों को नर्म हालत में ही तोड़ते रहना चाहिए, जिससे वे अच्छी मात्रा में बाजार में शीघ्रता से बिक सकें। बैंगन को नर्म-नर्म ही तोड़ते रहना चाहिए, इससे फसल का मूल्य अच्छा मिलता है। अच्छी फसल होने पर प्रति एकड़ 250 से 300 मन तक उपज मिलती है।

## बैंगन के कीड़े

**टिड्डा** : एक प्रकार का कीड़ा होता है जो बैंगन में ही पाया जाता है। परन्तु इसके अतिरिक्त कभी-कभी आलू, टमाटर और ककड़ी वर्गीय तरकारियों में भी लग जाता है। यह कीड़ा गोल-सा तांबे के रंग का काले धब्बों वाला होता है। यह कीड़ा तथा इसकी सूंडी पत्तों की हरियाली को खा जाती है और पत्ते छलनी हो जाते हैं।

**रोकथाम** : 400 मिलीलिटर मैलाथिआन 50 ई० सी० को 250 लिटर पानी में घोलकर हर 10-15 दिन के बाद छिड़कते रहें।

बैंगन की सूंडी छोटी और गुलाबी रंग की होती है। इसका शाखाओं पर भी प्रकोप होता है जिससे शाखाएं मुरझा जाती हैं और सूख जाती हैं। जब कीड़ा फल में लगता है तो इसे फलछेदक कीड़ा कहते हैं। इस कीड़े के प्रकोप से फल खराब हो जाते हैं और वे खाने के लायक नहीं रहते। यह कीड़ा लम्बे बैंगनों की अपेक्षा गोल बैंगन में ज्यादा लगता है और अप्रैल-मई में इसका सबसे ज्यादा प्रकोप होता है। तना छेदक कीड़ा तने में सूराख कर देता है और उसे अन्दर खाता रहता है। इस कीड़े के प्रकोप से पौधे की बढ़वार रुक जाती है और पौधा सूख जाता है।

**रोकथाम** : फलछेदक तथा तनाछेदक कीड़े की रोकथाम के लिए मार्च से जून तक हर दो हफ्ते के बाद छिड़काव करते रहना चाहिए। छिड़काव के लिए थायोडेन 350 मिलीलिटर या मैलाथिआन 400 मिलीलिटर या सेविन 750 ग्राम में से किसी एक को 250 लिटर पानी में घोलकर छिड़कें।

पंखहीन बग के बच्चे एवं प्रौढ़ दोनों ही कभी-कभी बहुत बड़ी संख्या में पत्तियों के निचले भाग पर रस चूसते हुए पाए जाते हैं। यह कीड़ा सफेद से रंग का होता है। इसकी रोकथाम के लिए मैलाथिआन 400 मिलीलिटर या सेविन 750 ग्राम को 250 लिटर पानी में घोल कर छिड़कना प्रभावी रहता है।

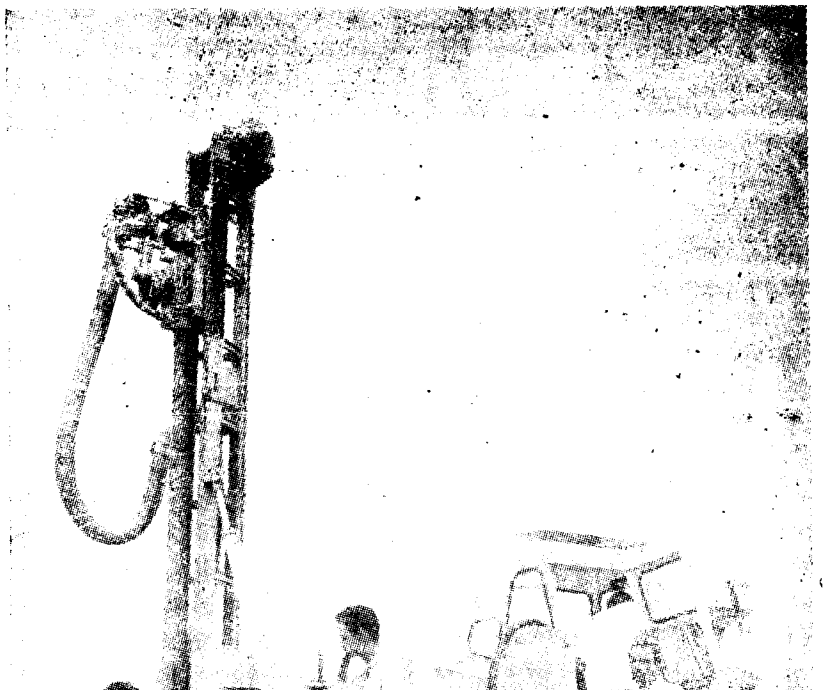

# मध्य प्रदेश के गा

राज्य सरकार अपने सीमित वि
लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने के प्रब
निर्भर है। वास्तव में जल ही जीवन है। इसी
पूर्ति के लिए पांचवीं योजना में 161.98 करोड़

तीन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत
को 3.91 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से
योजनाओं में इस समस्या के समाधान का प्रयत
योजनाओं के लिए 8.5 करोड़ रु० की व्यवस्था
प्रबल उपायों के फलस्वरूप मार्च 1973 के अन
मार्च 1974 के अन्त तक अतिरिक्त 2,364
598 ग्रामों को ही यह सुविधा प्राप्त हुई थी।
को सुविधा प्राप्त हो जाएगी। निस्सन्देह यह सं
प्रगति का सूचक है।

"पानी में है मीन प्यासी।" यह बात सुनकर किसे हंसी नहीं आएगी। परन्तु यह वस्तुस्थिति है। मध्य प्रदेश के बहुत से समस्या-मूलक ग्राम ऐसे हैं जहां वर्ष के अनेक महीनों में ग्रामीणों को कई मील चलकर जल लाना पड़ता है। वे बीहड़ निस्तार के लिए तालों, पोखरों आदि का जल ले सकते हैं, परन्तु यह दूषित जल पीने से रोग उत्पन्न होने का भय होने के कारण उन्हें बहुत दूर स्थित कुओं तक जाना पड़ता है। इस स्थिति के निराकरण के लिए राज्य-सरकार ने समस्या मूलक ग्रामों में जल की पूर्ति के कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसके साथ ही उसने नगरों की ओर ध्यान देते हुए उनमें भी जलपूर्ति योजनाएं कार्यान्वित की हैं।

सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर उनमें 1972 से 3.04 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से एक पृथक् योजना संचालित की है जिसके अन्तर्गत आदिवासी बहुल 845 ग्रामों में मार्च 1974 के अन्त तक पेयजल पूर्ति की व्यवस्था पूरी हो जाएगी। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए 7 अधिक द्रुत वेधन यन्त्र और 20 मन्द वेधन यन्त्र प्राप्त किए जा रहे हैं तथा यूनीसेफ से मिले हुए 15 वेधन यन्त्रों के अतिरिक्त और भी 5 द्रुत वेधन यन्त्र प्राप्त करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार ने समस्यामूलक ग्रामों में विशेष सुविधा के लिए नए 450 मिस्त्रियों की स्वीकृति दी है। ये कर्मचारी हाथ पम्पों से चलने वाले नलकूपों की सम्भाल करेंगे। वैसे उनकी सम्भाल का उत्तरदायित्व वास्तव में ग्राम पंचायतों पर है।

## नलों द्वारा जलपूर्ति

सरकार ने बड़े ग्रामों के लिए नलों द्वारा जल की पूर्ति के प्रयत्न किए हैं। मार्च 1969 के अन्त तक 232 बड़े ग्रामों को नलों से जल प्राप्त था तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चौथी योजना में और 62 बड़े ग्रामों में जल की पूर्ति करने का लक्ष्य है।

# पेयजल की पूर्ति

ों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के निवासियों के
रही है। जल पर ही जनता का स्वास्थ्य
र ने 24,500 ग्रामों में शुद्ध पेयजल की
महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किया है।

98 समस्यामूलक ग्रामों और 424 अन्य ग्रामों
की सुविधा प्राप्त हुई थी। चौथी पंचवर्षीय
तापूर्वक आरम्भ किया गया और ग्राम जलपूर्ति
। चौथी योजना के विगत दो वर्षों में किए गए
636 ग्रामों में पेयजल उपलब्ध हो गया है और
उपलब्ध हो जाएगा। मार्च 1969 के अन्त तक
ना में चौथी योजना के अन्त तक 6,598 ग्रामों
नात्मक दृष्टि से बहुत अधिक है और हमारी द्रुत

आशा है कि इन प्रबन्ध प्रयत्नों के फलस्वरूप चौथी योजना में 6,000 समस्यामूलक व 62 बड़े ग्रामों को 9.5 करोड़ रु० के खर्च से पेयजल प्राप्त हो जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 8.5 करोड़ रु० का प्रावधान है। पर, इस रकम से 1 करोड़ रु० अधिक व्यय होंगे।

## नगर जलपूर्ति

सरकार नगरों में भी जलपूर्ति के प्रति सतर्क रही है। मार्च 1969 में 248 नगरों में से केवल 72 नगरों में ही संगठित व्यवस्था थी जिससे प्रतिदिन 10,20,20,000 गैलन जल प्राप्त होता था। चौथी योजना में 39 चालू योजनाएं पूर्ण कर ली जाएंगी और 39 नवीन योजनाएं तथा 10 सुधार व वृद्धि योजनाएं आरम्भ की जाएंगी। चौथी योजना के अन्त तक 119 नगरों में ये योजनाएं संचालित हो जाएंगी तथा प्रतिदिन 13,90,00,000 गैलन जल मिलेगा। अगस्त 1973 में समाप्त स्वतन्त्रता रजत जयन्ती वर्ष में झाबुआ, छतरपुर, पन्ना, ग्वालियर, बैतूल, आंकापुर, भीकनगांव, डवरा, जबलपुर और सीधी में पांच हजार जल यन्त्रालय पूर्ण हो चुके थे।

## पांचवीं योजना के लक्ष्य

सरकार ने पांचवीं योजना के अन्तर्गत 161.98 करोड़ रु० की लागत से महत्वाकांक्षी कार्यक्रम निर्धारित किए हैं जिनके अन्तर्गत 24,500 समस्यामूलक व अन्य ग्रामों में पेयजल प्रदाय के लिए 88.04 करोड़ रु० 100 बड़े ग्रामों में नल जल की पूर्ति के लिए 2 करोड रु०, पम्पों की सम्भाल के लिए 5 करोड रु०, तीर्थयात्रा केन्द्रों में जलपूर्ति के लिए 1.20 करोड़ रु०, चौथी योजना में चालू कार्यक्रमों व इन्दौर जल पूर्ति के लिए 23.39 करोड़ रु०, 24 नवीन नगरों के लिए 5.30 करोड़ रु०, 22 महत्वपूर्ण नगरों के जल यन्त्रालयों के परिवर्धन व सुधार के लिए 10.01 करोड रु० तथा 4 महत्वपूर्ण नगरों की जल निकास योजनाओं के लिए 15 करोड़ रु० की राशियां सुलभ की गई हैं। 5वीं योजना का प्रारूप अभी अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं हुआ है।

# दुलारपाली में खुशहाली का नवप्रभात

नरेन्द्र पारख

हरीतिमा के आभालोक-दुलारपाली की सैर हम जैसे-सपाट शहरी सड़कों के अभ्यस्त पथिकों के लिए शान्ति-दायक तो थी ही, आज के ऊहापोह में मानसिक सन्तोष देने वाली भी थी। मैं खुशकिस्मत हूं, इस लिहाज से कि एक वर्ष पूर्व, इन्हीं दिनों श्रम और सौन्दर्य के इसी अविनाशी तीर्थ की यात्रा मैंने की थी।

हां, तो अब दूसरी बार दुलारपाली के साधकों से मिलने आए हैं हम 'शहरी बाबू लोग'। गांव में प्रवेश करते ही पवन झकोरों पर ताल देती आम, बबूल पलाश और महुआ वृक्षों की फुनगियां मुक स्वागत करती हैं हमारा। धरती का शृंगार इर्द-गिर्द बिखरा पड़ा है और हम सोच रहे हैं—इतना सब अपने अन्दर समेटें कैसे ? दल के सदस्य विपुल अन्न बालियों से बतिया रहे हैं—आयुक्त श्री मिश्र, ग्रामसेवक अयोध्यासिंह अथवा दुलारपाली के ही कृषकों के माध्यम से। फसल की भाषा समझने के लिए हम अनाड़ियों को ग्रामीण दुभाषियों की जरूरत आखिर पड़ ही गई।

दुलारपाली के किसान हमारे आश्चर्य पर आश्चर्य करते हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं के भाव में कहते हैं—यह तो शुरू-आत है. आज से 6 वर्ष पूर्व यहां न तो विपुल बौनी किस्मों को और न ही रासायनिक उर्वरक को कोई जानता था। ग्राम के प्रमुख किसान परसुराम साव ने 5 एकड़ के रकबे में, जिसे दीवाल से घेर दिया गया था, आई. आर. 8 की बोआई की और कीट ने आक्रमण कर दिया। कृषक घबरा गए, तब उन्हें सहसा ग्राम सेवक अयोध्यासिंह की याद आ गई। संकट की इस वेला में अयोध्या सिंह की याद फसल के लिए संजीवनी सिद्ध हुई। इसके बाद रबी में परसुराम ने गेहूं की फसल ली और यह प्रयोग भी सफल रहा। शुरू-शुरू के तीन वर्षों में इस विपुल किस्म की फसल का फैलाव 5 कृषकों तक ही सीमित रहा था।

थोड़े से लोगों की थोड़ी सी सफलता ग्राम के प्रमुख कृषकों तथा ग्रामसेवक को सन्तोष नहीं दिला सकी। 1971 में खरीफ अभियान के पूर्व एक बैठक हुई और गांव के युवा-नेतृत्व में गांव को एक नई दिशा देने का संकल्प किया। इस सामूहिक प्रयास से 23 कृषकों ने 1971 में 90 एकड़ के रकबे में जया धान की फसल ली। सभी के लिए यह एक चुनौती थी। किन्तु मेहनतकश कृषकों ने इस पर सफलता प्राप्त की।

कृषकों के इस सामूहिक प्रयास की सफलता ने अन्यों को भी प्रेरणा दी। किन्तु, एक प्रश्न पुनः उपस्थित हो गया। वह था छोटे कृषकों के लिए आर्थिक साधन का। बड़े कृषक बौनी किस्म का फैलाव अधिक से अधिक करने के इच्छुक थे, अतः उन्होंने छोटे कृषकों के साथ भूमि हीन कृषकों को बीज व खाद हेतु ऋण दिया।

दुलारपाली गांव : आखिर पत्रकारों की टोली पुनः 20 अक्तूबर को वहां पहुंच गई, जहां कृषकों की मेहनत खेतों में हरित बालियों के रूप में लहलहा रही है। जिधर भी दृष्टि डाली जाए, जया और रत्ना धान के खेत अपनी आभा बिखेर रहे हैं। यह खोज पाना कठिन सा है कि कौन-सा खेत मालिक का है, कौन सा खेत ज्यादा साधन वाले बड़े किसान का है और कौन सा खेतिहर मजदूर का।

कृषि विशेषज्ञ डा० रिछारिया भी हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि सभी कृषकों ने जापानी पद्धति से बोआई की है। उनका मत था कि 50 से 55 क्विण्टल के मध्य फसल प्राप्त होनी चाहिए। आयुक्त श्री मिश्र भी, जो खेती करते हैं, इस लहलहाती फसल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके, और कहा कि—"कृषि महाविद्यालय के प्रक्षेत्रों में लहलहा रही फसल से यह कुछ कम नहीं है।" विधायक द्वय लक्ष्मण सतपथी, और महेन्द्र बहादुर तथा राज्यसभा सदस्य वीरेन्द्र बहादुर भी हमारे साथ थे। श्री सतपथी का मत था कि—"यह जमीन की नहीं, कृषकों के श्रम की महिमा है। दुलारपाली का हर कृषक एक भावना से प्रेरित होकर चल रहा है।"

खेतों के निरीक्षण के बाद कुछ कृषकों से मेरी अचानक भेंट हो गई। राज्य स्तरीय स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परसुराम का कहना था, "आगामी वर्ष रकबा और बढ़ेगा, किन्तु आबपाशी के साधनों का अभाव हमेशा खटकता रहता है। ऊबड़ खाबड़ रास्तों के कारण अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, फिर भी "नया बटरा धान" बढ़ता जाएगा। 7 वर्ष पूर्व बटवारे में मैं 110 बोरा धान पाता था, किन्तु आज 1,200 बोरा धान। राज्य स्पर्धा में दो बार प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद इस वर्ष मैं अखिल भारतीय धान स्पर्धा में भाग ले रहा हूं।" रामगोपाल, सन्तराम जैसे छोटे कृषकों का मत था कि "बौनी ने हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहे हैं।

नया बटरा धान अपनाने से कृषकों को कितना लाभ हुआ, यह भी विचारणीय है। 1972-73 के आंकड़ों के अध्ययन से यह पता चलता है कि 366 एकड़ रकबे में लगी बौनी किस्मों से, 8,875 क्विण्टल धान पैदा हुआ। 5 वर्ष पूर्व रकबे में 3,500 क्विंटल धान उत्पादन रिकार्ड किया गया था। दूसरे शब्दों में 30.75 लाख रु० का अतिरिक्त धान प्राप्त हुआ।

वर्तमान खरीफ मौसम में 632 एकड़ कृषि योग्य रकबे में से 485 एकड़ में

बौनी किस्म बोई गई है और प्रत्येक कृषक ने इसे अपनाया है। उसमें 11 खेतिहर कृषक भी समाविष्ट हैं। दुलारपाली दौरे के अवसर पर आयोजित किसान सभा में पढ़े गए एक प्रतिवेदन के अनुसार—"कीट प्रकोप के बावजूद अच्छी फसल की आशा है। ग्राम का शेष 20 प्रतिशत रकबा भी बौनी किस्म के तहत आ जाएगा, यदि तारमुड़ा बांध का निर्माण कर दिया गया। धान के बाद दूसरी फसल लेने का क्रम भी इस गांव में प्रारम्भ हो गया है। गत वर्ष 126 एकड़ में गेहूं बोया गया था, किन्तु आने वाले रबी मौसम में कृषक 200 एकड़ में गेहूं की फसल लेना चाहते हैं।

अच्छे कार्यों का प्रभाव हमेशा अच्छा होता है। 1971 में निकटस्थ ग्राम अमरकोट में शंकर भगवान का अवतार हुआ, तब हजारों कृषक दुलारपाली होते हुए दर्शन हेतु वहां गए थे। उन्हें भगवान प्रसन्न कर सके या नहीं, पता नहीं। किन्तु, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि वे इस गांव की फसल से प्रभावित हुए। इसका प्रतिफल यह हुआ कि बसना खण्ड में 11,300 एकड़ में बौनी किस्म के धान बीज रोपित किए गए, जबकि सिंचाई सुविधा नाममात्र को उपलब्ध है। गत वर्ष रबी का रकबा 3,180 एकड़ था जो इस वर्ष बढ़कर 6,000 एकड़ तक पहुंच गया।

निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि जमीन पर मिले-जुले श्रम ने जिस घड़ी बीजों में हरीतिमा के उत्फुल्ल प्राणांकुर डाले, उसी घड़ी उस गांव में निर्धनता की न खत्म होने वाली अंधेरी कहानी का पटाक्षेप हो गया। खुशहाली का उजाला भरने वाली किरणें फूटीं और आर्थिक स्वराज के आदर्श लोक को धरती पर सशरीर आने का प्रथम दृश्य अभिनीत हो गया।

# हाड़ौती का प्रसिद्ध चन्द्रभागा पशुमेला

चन्द्रभागा पशु मेला झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध और प्राचीन पशु मेला है जो प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला 11 से अगहन कृष्ण 5 तक आयोजित किया जाता है। यह मेला चन्द्रभागा नदी के किनारे लगता है और इसमें पशुधन के साथ लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

यह मेला मालवा और हाड़ौती क्षेत्र के विभिन्न भागों से आने वाले यात्रियों तथा व्यापारियों, पशु पालकों व पशुओं का मेला है जो सदियों से पुष्करराज के प्रसिद्ध मेले के साथ-साथ आयोजित होता रहा है।

चन्द्रभागा पशु मेला पूर्व में झालरापाटन की नगर पालिका द्वारा आयोजित किया जाता था, किन्तु सन् 1958 में इस मेले को पशुपालन विभाग ने अपने अधीन ले लिया और इसे नया स्वरूप प्रदान किया।

मेले का उद्देश्य पशु पालकों को अधिक से अधिक सुविधा देना, व्यापारियों को क्रय-विक्रय के लिए अवसर प्रदान करना, मेले में सम्मिलित पशु पालकों को उत्तम नस्ल के पशु पालने के लिए प्रोत्साहित करना और पशु पालकों को आर्थिक लाभ पहुंचाना है।

भारतीय संस्कृति में गोधन का जो महत्व है, वह सर्वविदित है। वेदों में परमात्मा से गोधन की निरन्तर उन्नति के लिए की गई प्रार्थनाओं के प्रसंग हैं। भगवान् शिव को पशुपति के नाम से स्मरण किया गया है और मानव जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी पशुधन की उपयोगिता समझी गई है। यही नहीं, प्राचीन समय से मनुष्य ने पशुओं को परिवार के सदस्य की तरह स्वीकार किया है और उसके पालन में मानव की आस्था रही है।

पशु सुरक्षा और पशु क्रय-विक्रय के साथ पशुधन की उन्नति के लिए यह मेला लगाया जाता है।

राजस्थान में पाए जाने वाले श्रेष्ठ पशु वंशों में मालवी नस्ल का अपना स्थान है। राज्य के दक्षिणी-पूर्वी भाग में यह काफी संख्या में उपलब्ध है। भारवाहक क्षमता की दृष्टि से इस नस्ल की बड़ी उपयोगिता है। यह नस्ल पठारी भाग में भार ढोने में अपना सानी नहीं रखती।

मालवा की सीमा पर स्थित झालावाड़ जिला मालवी पशुओं से समृद्ध है। राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति क्षेत्र में स्थापित राजकीय प्रजनन एवं वृषभ पालन केन्द्र इस दिशा में कार्यशील है।

चन्द्रभागा पशु मेले में 1972 में 5,825 पशुओं का क्रय-विक्रय हुआ। राज्य सरकार को क्रय-विक्रय हुए पशुओं पर वाणिज्य कर विभाग से लगभग 50 हजार रुपए की प्रति वर्ष आय होती है। इस मेले से गत वर्ष 1,470,865 रुपए पालकों को और 41,588 रुपए पशु पालन विभाग को आय के रूप में प्राप्त हुए थे।

पिछले पांच वर्षों में पशुपालन विभाग द्वारा झालावाड़ जिले में 4,23,002 पशुओं की चिकित्सा की गई। 1,91,196 पशुपालकों को औषधियां वितरित की गईं और 11,42,055 पशुओं के रोग निरोधक टीके लगाए गए। इसी प्रकार पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत 91,677 पशुओं को बधिया किया गया, 10,128 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया और 1,327 बांझ पशुओं की चिकित्सा की गई। जिले की पंचायतों को 30 उन्नत सांड वितरित किए गए और 640 एकड़ में हरे चारे का विकास किया गया।

मेले के अवसर पर राज्य की विभिन्न प्रचार इकाइयों द्वारा प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं और विभिन्न गोष्ठियां तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन रखे जाते हैं।

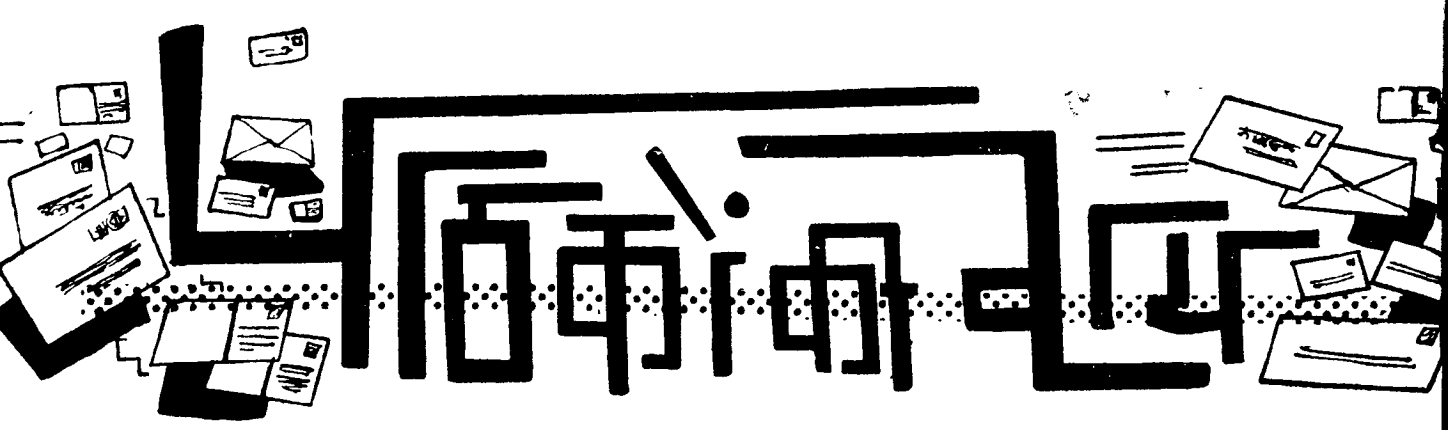

बहुत सी वस्तुओं के व्यवसाय और उसमें भारी मुनाफाखोरी के बारे में काफी कुछ सुना और पढ़ा होगा। परन्तु आज दुनिया में गरीबों के खून का व्यवसाय जिस भारी मुनाफाखोरी के साथ किया जा रहा है वह वास्तव में मानव जाति का सिर नीचा करने वाला है और सभ्य समाज पर कलंक है।

भारत के प्राय: सभी बड़े अस्पतालों में रजिस्टर्ड रक्तदाताओं की संख्या काफी अधिक है परन्तु इनमें से अधिकांश लोग अपना रक्त बेचकर दो जून रोटी जुटाने वाले होते हैं। राजधानी दिल्ली में रजिस्टर्ड शुदा रक्तदाताओं की संख्या लगभग 6 हजार है परन्तु इनमें से 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो रक्त बेचते हैं। पहले 250 से लेकर 300 सी. सी. रक्त का मूल्य केवल 10-15 रुपये तक था परन्तु बम्बई के चार हजार व्यावसायिक रक्तदाताओं के सहयोग से अब इसका मूल्य बढ़ गया है। अब 300 सी. सी. रक्त का दाम 15 रु० से लेकर 40 रु० तक हो गया है। ये व्यावसायिक रक्तदाता अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य के शरीर से यदि 250 सी. सी. रक्त निकाल लिया जाए तो उसकी पूर्ति 48 घण्टों के भीतर ही हो जाती है। यह तो ठीक है कि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पांच हजार सी. सी रक्त होता है और 250-300 सी. सी. रक्त एक बार में निकल जाने से कोई असा मान्यता भी शरीर में नहीं आती परन्तु फिर भी एक व्यक्ति को तीन माह से पहले रक्त नहीं देना चाहिए। गरीबी की मार से ये बेचारे हर माह ही रक्त बेचने को विवश होते हैं।

गरीब का खून खरीदकर अस्पतालों द्वारा उसका भुगतान कराकर उस रक्त को अन्य जरूरतमन्दों को उपलब्ध कराया जाता हो ऐसी बात नहीं है। उस पर लगभग 3 सौ से लेकर 5 सौ प्रतिशत तक का भारी मुनाफा कमाया जाता है और बहुत ऊंची कीमत पर इसे बेचा जाता है। विक्रय मूल्य ऐसा होता है कि अमीर लोग ही इसे खरीद पाते हैं। गरीब और असहाय रोगी रुपयों की व्यवस्था न कर पाने पर रक्त के अभाव में प्राण त्याग देता है। इस शोषण के क्षेत्र में न भारतीय व्यवसायी कम है और न विदेशी। भारत में भी एक बार खून देने के लिए 40 रु० दिए जाते हैं जो कि अधिकतम हैं। दूसरी ओर एक मरीज को खून चढ़ाने के एवज में दो सौ रुपये वसूल किए जाते हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में गरीबों के खून का व्यवसाय खूब धड़ल्ले से होता है। सयुक्त राज्य अमेरिका में दस कम्पनियां इसका व्यवसाय करती हैं और प्रति वर्ष 15 करोड़ डालर का मुनाफा कमाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्शदाता श्री एंटोनियो पासी वोरल ने पेकिंग में एक इन्टरव्यू के समय कहा कि दुनिया के गरीब आदमियों के खून की शर्मनाक तिजारत समय रहते बन्द हो जानी चाहिए।

## तीन पहलू

इस व्यवसाय का पहला शर्मनाक पहलू यह है कि गरीब, जिसका खून पहले से ही चारों ओर चूसा होता है, अब सामर्थ्य से भी अधिक खून देने के लिए विवश हो जाता है। उसकी विवशता का पूरा फायदा उठाया जाता है। रक्त जैसी बहुमूल्य प्राणरक्षक चीज के लिए उसे कौड़ियां दी जाती है। शरीर से रक्त निकलने के बाद वह पौष्टिक खुराक प्राप्त करना तो दूर अनिवार्य आवश्यकताएं ही बड़ी मुश्किल से पूरी कर पाता है। परिणाम यह होता है कि उसका दुर्बल शरीर और अधिक क्षीण हो जाता है जिसे रोग जल्दी ही धर दबोचता है। इन व्यक्तियों द्वारा रक्तदान दूसरों को जीवनदान देने की भावना से नही बल्कि पैसा जुटाने मात्र के लिए किया जाता है।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि इस रक्त का लाभ हर प्रकार से अमीर और सम्पन्न लोग ही उठाते है। बेचारे गरीब वंचित ही रहते हैं। एक ओर तो इसका व्यवसाय करने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियां मोटी रकमें मुनाफे के रूप में हड़पती है, दूसरी तरफ सम्पन्न व्यक्ति अपनी दौलत का किंचित सा भाग व्यय करके रोगी को शीघ्र स्वस्थ कर लेते हैं। लाभ दोनों ओर अमीर को ही है।

तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन व्यावसायिक रक्तदाताओं के खून में

प्रायः बीमारी के तत्व मिले रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अधिकांश गरीब रक्त-दाता बहुत ही घटिया किस्म का रक्त देते हैं। रक्तदान बार बार और बहुत जल्दी-जल्दी करने के कारण ये लोग प्रायः अस्वस्थ रहते हैं। अस्वस्थ व्यक्ति के रक्त में पीलिया, सिफलिस और मलेरिया के तत्व प्रायः मौजूद रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जिन लोगों के रक्त में यह मिश्रित अस्वस्थ तत्व पहुंचते हैं वे खून की पूर्ति के होने के कारण जीवन भले ही प्राप्त कर लें, परन्तु पहले के मुकाबले और अधिक रोगों के शिकार हो जाते हैं।

## आखिर हल क्या हो?

समस्या बड़ी जटिल है। बीमार व्यक्ति के लिए तुरन्त खून प्राप्त करने की आवश्यकता को भी नहीं नकारा जा सकता, गरीबों के खून की तिजारत भी सिर नीचा कर देती है और बीमार खून के जरिए बीमारियां बढ़ने के खतरे को भी नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। शोषण की इस व्यवस्था से राहत पाने के लिए निम्नांकित सुझाव विचारणीय हैं :—

रक्त के इस शर्मनाक व्यवसाय को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्तदाताओं की संख्या में वृद्धि की जाए। हमारे देश में ऐच्छिक आधार पर रक्तदाताओं की संख्या प्रायः नगण्य ही है। आवश्यकता इस बात की है कि आम जनता के मन में यह भावना पैदा की जाए कि रक्तदान करने का अर्थ अपना जीवन खो देना नहीं है वरन् दूसरे को जीवन दान देना है। रक्तदान करने वाला व्यक्ति तो केवल 48 घण्टे में ही पुनः सामान्य स्थिति प्राप्त कर लेगा और जरूरतमंद रोगी, यदि रक्त उसी श्रेणी का है, तो बड़ी जल्द तेजी से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। इस कार्य के लिए यदि जनसेवी संस्थाएं प्रयास करें तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो जनसेवा के लिए वर्ष में एक-दो बार रक्तदान के लिए तैयार हो जाएं। भारत पाक युद्ध के दौरान रक्तदान के लिए लाखों लोगों ने अपने नाम स्वेच्छा से दर्ज कराए थे। यदि यही स्थिति सामान्य बन जाए तो इससे दोहरा लाभ प्राप्त होगा। एक तो यह कि गरीब का शोषण बन्द होगा, हर जरूरतमन्द रोगी को रक्त प्राप्त हो सकेगा। दूसरे यह कि जो रक्त प्राप्त होगा वह व्यावसायिक रक्तदाताओं की अपेक्षा कहीं अधिक शुद्ध होगा।

शासन की ओर से ऐसी कड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे कोई भी व्यावसायिक रक्तदाता 3 माह से पूर्व रक्तदान न कर पाए। उसके एक बार के रक्तदान के लिए उसे वर्तमान दर से कम से कम तिगुना मूल्य दिया जाए। रक्त लेने से पूर्व उसके स्वास्थ्य की पूरी जांच कर ली जाए। इससे अन्य रोगियों को आवांछित बीमारियों से बचाया जा सकता है। रक्त के मूल्य में वृद्धि करने से एक ओर तो रक्तदाताओं का शोषण बन्द होगा, उन्हें आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी, दूसरी ओर अधिक जल्दी-जल्दी रक्तदान न करने के कारण वे स्वस्थ रह सकेंगे।

## रक्त का मूल्य

जरूरतमन्द लोगों की विवशता का लाभ उठाकर उनसे रक्त के मनमाने पैसे न वसूल किए जाएं। इसके लिए कड़ी व्यवस्था की जाना बहुत जरूरी है। ये निर्धारित मूल्य ऐसे होने चाहिए कि गरीब लोगों की पहुंच से बाहर न हो। शासन इनके मूल्य निर्धारण करने में आर्थिक सहायता प्रदान कर सकता है। मूल्य निर्धारण रक्त एकत्रण के व्यय पर आधारित न होकर सेवा भावना से प्रेरित होना चाहिए।

स्पष्ट है कि रक्त लेने और देने की यह सम्पूर्ण व्यवस्था अत्यधिक दोषपूर्ण है। यह व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शोषण से मुक्त होनी चाहिए। गरीब के खून से अमीरों को अपनी कोठियां भरने का कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शर्मनाक व्यवसाय को बन्द करने के लिए तेज अभियान छेड़ने की अत्यधिक आवश्यकता है। समस्या की गम्भीरता पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का ध्यान भी गया है। 1974 में होने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधिवेशन में इस समस्या के प्रति दुनिया का ध्यान आकृष्ट किया जाएगा। परन्तु अच्छा होगा कि इस अमानवीय व्यवसाय को रोकने के लिए भारत में अभी से कुछ प्रयास कर लिया जाए।

□

राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
87/30 बी (1250 आवास)
दक्षिणी तांत्या टोपे नगर
भोपाल
462003

# साहित्य समीक्षा

**कृषि चयनिका**—सम्पादक : रमेश दत्त शर्मा; प्रकाशक : भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली; पृष्ठ संख्या : 100; मूल्य : दो रुपये।

अभी तक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का हिन्दी भाषा में बहुत ही कम प्रकाशन हुआ है। पर, इस प्रकार की पुस्तकों की अब मांग है और विशेष रूप से किसान अपने मतलब की बातें हिन्दी में ही पढ़ना चाहता है। इसे अब अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। कृषि अनुसन्धान से सम्बन्धित लगभग सभी पुस्तकें अंग्रेजी में ही हैं। इन सब में निहित जानकारी को हिन्दी में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने **कृषि चयनिका** निकाली है।

प्रस्तुत अंक प्रवेशांक है। इसमें अनुसन्धान पत्रिकाओं के महत्वपूर्ण शोध पत्रों के सार दिए गए हैं तथा साथ ही विशेषज्ञों के मौलिक लेख भी दिए गए हैं।

"कृषि चयनिका" में तकनीकी विषयों को बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है, पर भाषा यदि अधिक सरल होती तो बहुत अच्छा होता। इससे प्रबुद्ध पाटकों के साथ-साथ आम जनता भी पूरा-पूरा लाभ उठा सकती थी। डा० अम्बिकासिंह का लेख— उर्वरक सम्बन्धी भ्रामक धारणाएं और उनका समाधान—किसानों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। डा० त्रिवेणीप्रसाद ओझा और सतीश बल का "धान सुखाने की नई विधि", डा० रामनाथ सिंह का "आम अनुसन्धान की नई दिशाएं" तथा विष्णुस्वरूप का "गोभी वर्गीय सब्जियों का विकास"—ये लेख तो ऐसे हैं कि किसान उन्हें तुरन्त अमल में लाने की सोचेगा, और फिर कोई वजह नहीं कि वैज्ञानिक जानकारी को आधार मानकर चलने पर उसे लाभ न हो।

आवश्यकतानुसार चित्र और सारणियां भी दी गई हैं। विशेषज्ञों ने अपने लेखों में पर्याप्त आंकड़ों का भी समावेश किया है। पुस्तिका का आकार-प्रकार बहुत आकर्षक है। छपाई-सफाई की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया है। आशा की जाती है कि ऐसा साहित्य शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। ※

**मधु नाथ**
14/848, **लोदी कालोनी,**
**नई दिल्ली**-110003

**ठहरो क्षण भर**—**राजेन्द्र मिलन**; मूल्य : आठ रुपये; **प्रकाशक** : यनिको पब्लिकेशंस; घटिया आजम खां; आगरा-3।

गीत विद्या यद्यपि आज 'आउटडेटेड' हो गई है किन्तु रसिक हृदय आज की कविता में भी किसी स्वर लहरी को तलाशता दीखता है। वास्तव में मानव में जब तक भावुकता का एक अंश भी जीवित है, गीत किसी न किसी रूप में जन्म लेता रहेगा। रसमग्न करता रहेगा।

मिलन मूलत: ऐसे ही गीतकार हैं। पाठक के समक्ष चमत्कार उत्पन्न करने की अपेक्षा वे उसके हृदय में पैठने का प्रयत्न करते हैं। वे लिखते हैं तो केवल आत्म-तुष्टि के लिए और जीते हैं तो केवल साहित्य की विशिष्ट विधा—कविता के लिए। उनका यह कहना सटीक ही होगा—

"मुझमें रवीन्द्र, ताल्स्ताय, अजरापाउन्ड इलियट, गोर्की और प्रसाद अभी जीवित हैं।"

'ठहरो क्षण भर' में समय के हस्ताक्षर हैं और 'भगदड़' में बेतहाशा दौड़ने वाले आज के मानव के लिए 'ब्रेक' भी है। मिलन की ये कविताएं जन जन को आल्हादित करेंगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

डा० श्यामसिंह शशि

**सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय खण्ड-पचास**—प्रकाशक : निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली; मूल्य—7 रु० 50 पै०।

प्रस्तुत खण्ड में 1 जून से 31 अगस्त 1932 तक की सामग्री दी गई है। यह वृहदाकार ग्रन्थ गांधी जी द्वारा समय समय पर विभिन्न व्यक्तियों को लिखे गए पत्रों का संकलन है। यों तो गांधी जी के अधिकांश पत्र ऐतिहासिक महत्व के हैं पर कुछेक पत्र ऐसे हैं जिनमें इतिहास का नया रूप बनता-संवरता परिलक्षित होता है। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को लिखा गया इतिहास को मोड़ देने वाला पत्र है। गांधी जी ने हरिजनों को हिन्दुओं का अविच्छिन्न अंग रहने देने के लिए जो बीड़ा उठाया था उसका परिणाम आज हम इस विशाल देश के रूप में देख रहे हैं वरना पाकिस्तान के आकार का एक और प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र शायद भारत को देखना पड़ता। यों तो भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास की माला गांधी जी के विपुल कार्यकलाप की मणियों से गुंथी हुई है परन्तु इस बात का तब तक विश्वास नहीं होता जब तक कि हम गांधी जी के पत्रों में न झांक लें। कोई भी पत्र क्यों न हो उसमें गांधी जी का वह त्रास बोलता है जिसका जन्म राष्ट्र की पराधीनता और पीड़ा से हुआ है। पर गांधी

जो पलायनवादी नहीं थे। बड़े से बड़े योद्धा सर्व शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना करने से घबराते थे पर निर्भीक गांधी जीवनपर्यन्त उससे जूझते रहे। प्रत्येक पत्र इसका प्रमाण है। लेकिन है अजीब बात कि गांधी जी के एक भी पत्र में 'अंग्रेज से घृणा' नहीं है केवल 'अंग्रेजियत से परहेज है।'

गांधी जी कितने कर्त्तव्यपरायण थे इसका प्रमाण पृष्ठ 195 पर दिया गया यह अंश है 'क्या पलायन कर जाऊं, गुफा में जा बसूं या मौन ले लूं ?' वे कायर नहीं थे। पूर्णतः जागरूक थे। वे आगे लिखते हैं 'गुफा में बैठ कर सत्य की खोज नहीं होती ··· '

गांधी जी के इन शब्दों में कर्मठता के लिए कितनी प्रेरणा है (पृष्ठ 115) :—

'ज्योतिष् पर तनिक भी विश्वास न कर। उसका विचार मात्र छोड़ दे। ज्योतिष की बातें यदि सच हों तो भी उन्हें जानने से कोई लाभ नहीं, हानि स्पष्ट है।'

ग्रन्थ के 189वें पृष्ठ पर 'सत्याग्रह आश्रम का इतिहास' अत्यन्त मूल्यवान और महत्वपूर्ण सामग्री है। गांधी जी ने यह इतिहास 5 अप्रैल 1932 को जेल में गुजराती में लिखना शुरू किया था और इस पर रुक रुक कर काम किया। इसका अन्तिम उपलब्ध अंश 11 जुलाई, 1932 को लिखा गया। वस्तुतः यह संक्षिप्त इतिहास 'गांधी-दर्शन' के सागर को गागर में भरने के समान है। स्वयं गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, प्रार्थना, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वदेशी, अस्पृश्यता, खेती, गोसेवा, शिक्षा तथा सत्याग्रह पर अपने वैज्ञानिक और तर्कसंगत विचार पेश किए हैं। यदि आपके पास गांधी जी को समझने के लिए पोथे पढ़ने का समय नहीं है तो कम से कम इन थोड़े से पृष्ठों का पारायण कर जाइए और आप निश्चय ही उस महामानव को कुछ तो समझ पाएंगे। अहिंसा का इतना विशद विवेचन किया गया है कि कठोर बुद्धिवादी भी उसे स्वीकारे बिना नहीं रह सकता।

ग्रन्थ उपयोगी एवं संग्रहणीय है। छपाई बहुत सुन्दर व साफ है।

राजीव उनियाल
2646, नेताजी नगर,
नई दिल्ली-23

# पहला सुख निरोगी काया

## मसाले के मसाले और दवा की दवा

हल्दी काली मिर्च, अदरख, बड़ी इलायची, इमली और धनियां आदि चीजें रोजाना हमारे घरों में काम आती हैं। ये मसाले का भी काम करती हैं और दवा की दवा भी हैं।

हल्दी जहां मसाले के काम आती है और खाने को रुचिकर बनाती है वहां खून को शुद्ध करने की दवा भी है। इसका चूर्ण खून खराबी को दूर करता है। हल्दी को नीम के पत्ते के साथ पीसकर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग दूर होते हैं। हल्दी जलाकर उसका धुआं नाक में लेने से हिस्टीरिया का दौरा उतर जाता है। हल्दी का ताजा रस मिर्गी रोग में लाभप्रद है और यह हैजा में भी फायदा पहुंचाता है।

**काली मिर्च** :— काली मिर्च भूख बढ़ाती है। पाकस्थली को सबल बनाती है और पेट में एकत्रित वायु को निकाल देती है। काली मिर्च स्त्रियों के मासिक धर्म की गड़बड़ी में भी फायदा पहुंचाती है। दूध के साथ काली मिर्च चबाने से खांसी दूर होती है।

**अदरख** :— अदरख एक लाभदायक पदार्थ है। यह भूख तथा पाचन शक्ति को बढ़ाता है। खाने से पूर्व इसे नमक के साथ लेने से यह पेट की सभी गड़बड़ियों को दूर कर देता है। सर्दी, खांसी और दमा के लिए भी यह लाभदायक है।

**बड़ी इलायची** :— यकृत् के रोगों में फायदा पहुंचाती है। इसके सेवन से पित्त यकृत् से नीचे उतर आता है भोजन का परिपाक होता है।

**इमली** :— इमली एक रेचक खाद्य पदार्थ है। यह आंतों के कीड़ों को मारती है। पुरानी पेचिस में इसकी चटनी से काफी लाभ होता है। इमली का शरबत पीने से बुखार उतर जाता है। पित्त की पथरी, पित्त कोश की सूजन, यकृत् वृद्धि आदि में भी इस का प्रयोग लाभदायक है।

**लहसुन** :— लहसुन वायु रोगों के लिए रामबाण दवा है। इसके सेवन से देह से कृमि बाहर निकल आते हैं। उच्च रक्तचाप कम हो जाता है तथा सूजन भी गायब हो जाती है।

**पीपल** :— पीपल का चूर्ण दूध के साथ पीने से वायु नहीं बनती। इससे यकृत् और तिल्ली के दोष दूर होते हैं। पेट की अन्य खराबियों में यह लाभदायक है।

म. पा. सिंह

# सहयोगियों की राय

उत्तर प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री श्री शिव प्रसाद सिंह ने वाराणसी में पत्रप्रतिनिधियों को सोमवार को बताया कि गरीबों और असमर्थ लोगों को उनके घर पर ही चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए शीघ्र ही सचल चिकित्सालयों की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत डाक्टर विभिन्न क्षत्रों में जाकर असमर्थ एवं गरीब लोगों को उनके घर पर ही देखेंगे। आपने जो दूसरी महत्वपूर्ण बात कही है वह यह कि प्रदेश में आयुर्वेद को समुचित प्रोत्साहन देने की दृष्टि से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित आयुर्वेदिक महाविद्यालय को शुद्ध आयुर्वेद अनुसधान केन्द्र के रूप में परिवर्तित किया जाए ताकि यहां ऐसी आयुर्वेदिक दवाओं का अनुसंधान किया जा सके। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य सरकारें एवं केन्द्रीय सरकार राज्यों में तथा अखिल भारतीय स्तर पर यह निर्णय लें कि राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में आयुर्वेद की मान्यता दी जाए तथा सर्वत्र इसी के प्रचार, प्रसार, अनुसन्धान, प्रशिक्षण आदि पर जोर दिया जाए। इतना ही नहीं, इसकी बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप इस मद पर खर्च में भी निरन्तर वृद्धि की जाएगी। नव चिकित्सा पद्धति को राजकीय स्तर पर गौण स्थान ही दिया जाना चाहिए। ब्रिटिश शासकों ने अपने शासन काल में चिकित्सा तथा चिकित्सालयों की स्थापना के सम्बन्ध में जो आधारभूत नीति अपनाई थी उसे पूर्णतः उलट देने की आवश्यकता है। यह कार्य पहले ही किया जाना चाहिए था किन्तु विगत पच्चीस छब्बीस वर्षों में अन्य क्षेत्रों के समान चिकित्सा के क्षेत्र में भी ब्रिटिश परम्पराओं को ही निभाया जा रहा है। सरकार का मुख्य कर्त्तव्य धनी एवं सम्पन्न वर्ग के लोगों के लिए सर्वाधिक चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करना नहीं है वरन् सामान्य जनता को उसके लिए उपयोगी चिकित्सा पद्धति का देश के कोने-कोने में अधिक से अधिक प्रचार करना है।

आज 28 नवम्बर 1973

प्रदेश के बिजली के संकट को कम करने के लिए तत्काल ये तीन कदम—उत्पादन क्षमता का अधिकतम उपयोग व वितरण में होने वाली बरबादी को रोकना, विभिन्न स्थानों पर जल व ताप बिजलीघरों का निर्माण तथा दूसरे राज्यों से बिजली प्राप्त करने के लिए शक्तिशाली लाइनों की व्यवस्था—तो उठाए ही जाने चाहिए। पर इस समस्या को हल करने के लिए सम्पूर्ण उत्तर क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रख कर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। जैसा कि श्री बहुगुणा ने कहा है, निर्माणाधीन टिहरी बांध की भांति नदियों के उद्गमस्थलों के निकट और भी बिजलीघर बनाए जाने चाहिए। प्रदेश के उत्तरी भाग में बिजलीघरों के निर्माण में नेपाल का भी सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए। इसी तरह उत्तर प्रदेश-मध्य प्रदेश की सीमा पर ताप बिजलीघरों को बनाया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर कोयले का प्रचुर भण्डार है। पारस्परिक सहयोग के आधार पर यदि इन योजनाओं को तत्परता से पूरा किया जाता है, तो दिनोंदिन बढ़ती हुई बिजली की आवश्यकता के अनुरूप बिजली के उत्पादन में भी वृद्धि की जा सकेगी और सम्पूर्ण क्षेत्र बिजली में आत्मनिर्भर हो सकेगा।

नवजीवन 30 नवम्बर 1973

जमाखोरों से कैसे निपटा जाए? 1918 में लेनिन के पार्टी कार्यकर्त्ताओं को लिखे एक खत से रूस की उस समय की हालत का पता चलता है—"अनाज का सरकारी व्यापार नाममात्र को है। बड़े किसान और व्यापारी सालों से अपने अड़ोस-पड़ोस को लूट रहे हैं और अनाज की कमी के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। दक्षिण-पंथियों की भी यही दलील है। वे अनाज के एकाधिकार व्यापार का विरोध कर रहे हैं और उसे तानाशाही बता रहे हैं। वे बड़े किसानों का सामना करने से डरते हैं, पर यह कहते फिर रहे हैं कि किसानों को अधिक कीमतें दी जाएं। बड़े किसान कुछ सस्ता अनाज देकर छोटे किसानों को भ्रष्ट बनाना चाहते हैं जिससे वे भी सरकार का विरोध करें और कुछ अनाज मुनाफे पर बेच कर पैसा कमा लें ... हमें ऐसे दसियों हजार कार्यकर्त्ता चाहिएं जो किसानों को समझाएं, मुनाफाखोरों के खिलाफ कदम उठाएं, सरकार के हाथ मजबूत करें और गली-गली, गांव-गांव अनाज के वितरण पर नियन्त्रण करें। अनाज के व्यापार में राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। निजी क्षेत्र में व्यापार बिलकुल खत्म कर देना चाहिए। निर्धारित कीमतों पर समूचे फालतू अनाज की सप्लाई राज्य को की जानी चाहिए और जमाखोरी पर रोक लगनी चाहिए। ऐसी वितरण व्यवस्था कायम होनी चाहिए जिसमें सुविधा-सम्पन्न वर्ग को बिलकुल लाभ न हो।"

लेनिन का नारा था—"जो काम नहीं करेगा, वह खाएगा भी नहीं।" क्या भारत इस नारे को मूर्तरूप देने की हालत में है? यदि नहीं तो समाजवाद का नारा बमानी है।

सेवाग्राम 3 दिसम्बर, 1973

# सवेरा

देवेन्द्र आर्य

सौ सौ के पूरे पचास नोट, उसने एक बार फिर गिना, कितने करारे और आकर्षक, ओह ! कैसी पकड़ है इनमें ? शायद जीवन में पहली बार एक साथ इतने सारे रुपयों को देखना नसीब हुआ था उसे, मन में एक अजीब सी खुशी एक उमंग ..... ।

शादी को दस वर्ष हो गए, हर बार सुखदा ने सोचा कि इस फसल पर एक गले की जंजीर बनवाऊंगी, पर सुबह की ओस सी यह इच्छा न जाने किन मनहूस पलों में गायब हो जाती। जवानी ढल गई, और हर बीते पल के साथ उसके शरीर का कसाव और चेहरे का निखार अन्धी काई के पत्तों से घिरता गया ... ।

लेकिन सुखदा को और प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा, पचास नोट—सौ-सौ के—ऊपर से नीचे तक पीली कर दूंगा उसे। एक बार फिर उसका हाथ रुपयों पर ठहर गया— एक कम्पन सारे शरीर में दौड़ गई । सामने डूबता सूरज लाल कूची से आसमान को रंग रहा है। मेरे अरमान भी तो रंगीन हो रहे हैं।

हरीराम गांव का एक प्रभावशाली किसान है, सरकार द्वारा दी गई हर सुविधा का लाभ उठाना उसे खूब आता है, इस बार सौ क्विण्टल गेहूं हुआ— चना, सरसों आदि अलग से।

सरपंच तो वह नहीं है पर सरपंच अलगूराम का जिगरी यार और दायां हाथ है। गांव की प्रत्येक योजना में दोनों साथ रहते हैं। व्यक्तिगत स्वार्थों से परे चौधरी अलगूराम को बस एक धुन है कि मेरा गांव आदर्श गांव बने। हरीराम चौधरी के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलने वाला प्राणी है, इसीलिए सारा गांव इन दोनों की बात बहुत मानता है। गांव धीरे-धीरे प्रगति की मंजिल चढ़ रहा है। पीने का पानी, सड़क, रोशनी, स्कूल, पंचायत घर सभी कुछ तो हैं।

इस बार गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर गांव वासियों में कुछ हलचल है। कुछ किसान सरकारी केन्द्रों में ही गेहूं बेचना चाहते हैं लेकिन कुछ इसके खिलाफ भी हैं।

पिछले दिनों चौधरी अलगूराम ने सारी पंचायत के सामने घोषणा की कि सालभर की जरूरत का गेहूं रख कर बाकी गेहूं सरकारी केन्द्रों में बेच दिया जाए।

पंचायत का फैसला हो चुका था, माल धीरे धीरे मण्डियों में पहुंचने लगा लेकिन हरीराम अभी चुप है।

× × ×

सौ सौ के पचास नोट उसकी जेब में हैं, हरीराम किसी अदृश्य लोक में कल्पना की पेंग बढ़ाए—खुश है। उस व्यापारी लाला ने कहा था कि पैसों की चिन्ता मत करना, सारा गेहूं सौ के भाव बेच दो, सरकारी खरीद में क्या रखा है ? सब अपना देखते हैं, मुसीबत में कौन किसका होता है ? दो पैसे पास होंगे तो हम लोग आगे पीछे घूमते फिरेंगे ...'

और तब सुखदा का म्लान चेहरा उसकी आंखों में उभर आया।

हां। अब मैं उसे ... ... सोने से ढक दूंगा, वह भी क्या याद रखेगी ?

लाला ने कहा था 'अधिक से अधिक गेहूं हमें बेच दो, अपने प्रभाव का प्रयोग करो, औरों के माल पर खासा कमीशन भी लो।'

और हरीराम .... ? पंचायत के फैसले पर अमल नहीं करना चाहता। लालच का राक्षस उभर कर उसके मन-मस्तिष्क पर छा जाता है, देश की सुदूर सीमाओं तक फैले उसके सद्भाव-तंतु सिमटने लगते हैं—एक व्यक्ति में, एक सीमा में... .

सौ सौ के पचास नोट उसकी जेब में हैं .. ..उस व्यापारी के दिए हुए— पचास क्विण्टल की पहली खेप के .....

सरकारी केन्द्रों से उसे कितना मिलता ? उंह ।

संध्या हो चली है। हरीराम खुश है। 'इन रुपयों को सुखदा की झोली में डाल दूंगा—कितनी खुश होगी वह ?' वह सोचता है।

लेकिन उसने कुछ पूछ लिया तो— एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। मुझे सच कहना ही होगा। चाहने पर भी मैं सुखदा से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। जीवन के कठिन से कठिन क्षणों में जो अडिग रही है उससे क्या दगा कर पाऊंगा ?

उसका मन कच्चा होने लगता है, पानी में तेल की एक बूंद जैसे फैल जाती है, उसी प्रकार एक सिहरन उसकी शिराओं में फैलने लगी।

उसने धीरे से अर्गला खोली। चूल्हे में धीमी-धीमी आग जल रही है, दीवार से सर टिकाकर सुखदा इन्तजार कर रही है। अर्गला की आवाज सुनते ही उठ बैठती है।

'इतनी देर कहां लगाई जी ?' सुखदा के मुख पर एक साथ कई प्रश्न तैर जाते हैं।

'कुछ न पूछ सुखदा, आज मैं बहुत खुश हूं, पहले अपना पल्ला पसारो, और बातें फिर करूंगा .....' हरीराम ने कहा सौ-सौ के पचास जगमगाते नोट उसने झोली में उलट दिए।

ये सब तुम्हारे हैं जो चाहो बनवालो।' उसकी आंखों में चमक उभर आती है।

सुखदा ने एक बार नोटों की ओर देखा, उसे आश्चर्य हुआ, अभी तक अनाज घर में ही है, फिर ये रुपये? उसका मन किसी अज्ञात भय से कांप जाता है।

'कहां से लाए ये रुपये? मण्डी तो तुम गए नहीं, फिर कौन बरस पड़ा?'

और हरीराम चाह कर भी झूठ न बोल सका। सुखदा का चेहरा तमतमा उठा, झोली से रुपये दूर फेंक दिए जैसे वे जहरीले नाग हों, बोली—

'जब पंचायत ने एक फैसला कर दिया तो तुम अलग जाने की क्या जरूरत थी? दूसरे लोग भी तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन नहीं, वे वफादार हैं, समय और देश की पुकार को पहचानते हैं।'

'लेकिन सुखदा व्यापारी के हाथों माल बेचना कोई बुरी बात नहीं है। खून पसीना एक कर जो उगाया है उसका पूरा मूल्य लेना हमारा अधिकार है और फिर जो हमें अच्छी कीमत देगा, उसी के हाथों माल बेचेंगे। हमने क्या किसी का ठेका लिया है?'

'तुम नहीं तुम्हारा स्वार्थ, तुम्हारा पाप बोल रहा है। कहां गए तुम्हारे वे आदर्श? कहां गई तुम्हारी वह सौगन्ध—जब तुम सबने पंचायत में खड़े होकर कहा था, त्यजेत् एकं कुलस्यार्थम्.....? आज देश जाति, समाज सब पीछे छूट गया? और कीमत? हां, कीमत तो वह व्यापारी देता है और हजारों-लाखों लोगों की भूख अपने गोदाम में कैद कर लेता है, ऊंची कीमतों पर इन्सानी खून बेचता है, भूखी आंत की मजबूरी को काले बाजार में भुनाता है। तुम्हारे हर पसीने की बूंद से उस व्यापारी की तिजोरी भरती है, तोंद फलती है और भूखे देश का कोई एक सपना मरघट में सो जाता है। कीमत देता है वह व्यापारी.......जिन्दा लाशों की, तुम्हारे अन्न की नहीं... । लौटा दो यह रुपया, मैं अपने अन्न का एक भी दाना उसे नहीं बेचूंगी, बेचूंगी तो बस सरकार को' सुखदा का स्वर दृढ़ हो जाता है, चेहरे पर आभा दौड़ जाती है।

'.....लेकिन सुखदा, मैं वायदा कर चुका हूं, सुबह वह माल लेने आ जाएगा, माल न दूंगा तो मुंह दिखाने काबिल न रहूंगा.....' हरीराम ने कुछ विवश स्वर में कहा। 'वायदा? हां, वायदा तो मैंने भी किया है, और किया तुमने भी है कि समाज और देश के हितार्थ व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ देंगे। जहां तक मुंह दिखाने की बात है मुझे इसमें कोई तुक नजर नहीं आती। एक व्यक्ति से वायदा तोड़ने पर तुम इतना घबराते हो और हजारों लाखों के मुंह का निवाला छीनकर तुम मुंह दिखाने के काबिल बने रहोगे . देखती हूं तुम कैसे बेचते हो, मैं अभी चौधरी अलगूराम के पास जाती हूं।' और बिजली की सी तेजी से सुखदा निकल जाती है।

× × ×

उसे मालूम था कि व्यापारी के हाथ गेहूं बेचने पर सुखदा क्या कहेगी, लेकिन उसने सोचा—स्त्री जाति है, गहने कपड़े का लोभ होता ही है इनमें, वह सुनकर राजी कर लूंगा, इतने सारे रुपयों को देख कर एकायक भला किस पर लालच सवार नहीं हो जाता। लेकिन इतने दृढ़ रुख को देख कर वह कुछ हतप्रभ सा हो गया दूर पड़े नोटों की चमक धुंधली पड़ने लगी, उसे लगा जैसे नोटों के ऊपर उठकर हजारों भूखे नंगे लोग बुलबुलाती भूखी आंतों में मौत बांधे उसी की ओर चले आ रहे, उनके हाथ नाग बन गए हैं और वह धीरे-धीरे उसमें बंध रहा है, शिराओं में तेज जहर दौड़ने लगा है। आंखों में अंधेरा छाने लगता है। कोई उसके गले को मजबूती से दबा रहा है—सब कुछ जैसे डूबने लगा है।

न जाने कितनी देर वह उसी हालत में रहा, आंख खुली तो देखा सामने चौधरी अलगूराम खड़े हैं, सुखदा पंखा झल रही है।

'क्यों, क्या हुआ हरीराम?' कन्धे पर हाथ रखते हुए चौधरी कहते हैं—

'कुछ नहीं, बस ऐसे ही ....'

'सुना है तुम व्यापारी के हाथों अपना गेहूं बेच रहे हो?'

'हां', एक संक्षिप्त उत्तर देकर हरीराम चुप हो जाता है।

'फिर पंचायत के फैसले का क्या होगा?'

'.............'

'चुप क्यों हो, मैं जवाब सुनना चाहता हूं।' चौधरी का स्वर क्रमशः दृढ़ होने लगता है।

हरीराम के मन में द्वन्द्व मचा हुआ है। एक ओर सुखदा, चौधरी, पंचायत का फैसला और आदर्श और दूसरी ओर यथार्थ, हरे-हरे नोटों की चमक और...। चौधरी की दृढ़ता में उसे चुनौती झलकती है। उसे अपना व्यक्तित्व दबा-दबा सा लगता है, एक बार नोटों की ओर देख कर कहता है—

'चौधरी साहब। मैं अपना गेहूं व्यापारी को ही बेचूंगा, ऊंचे दाम उठाऊंगा ...'।

'लेकिन ऐसा तो और भी कर सकते थे, पंचायत से तुम अलग नहीं जा सकते हरीराम, आखिर हमारे भी कुछ आदर्श हैं।'

चौधरी के स्वर में अधिकार उभर आता है, उसने सुखदा की ओर देखा। उसकी आंखों में समर्थन था।

'चौधरी साहब। ऐसे आदर्शों को मैं ओढ़ूं या बिछाऊं, हमारे साथ ही कौन सा न्याय होता है? हमारा माल सस्ते में तुलवा लिया जाता है, बदले में मिलता है महंगा बीज, महंगा पानी महंगी बिजली, महंगी खाद, बाजार में जाओ तो जैसे सब लपलपाती जीभों से हमें चाट जाना चाहते हैं, महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है और हम लगातार बौने होते जा रहे हैं, जब और चीजें महंगी हैं तो हम भी अपना उत्पादन महंगा बेचेंगे, चाहे व्यापारी खरीदे या सरकार, हमें इससे क्या.....? आदर्श मैं भी बखान सकता हूं, लेकिन भूखे पेट, फटे वस्त्र और टूटी छान लिए

तुम्हारे आदर्शों को मैं नहीं ढो सकता, घुन लगी व्यवस्था को मैं गले का हार नहीं बना सकता ... ।' हरीराम एक ही सांस में जैसे सब कह देता है, मन का गुबार निकल जाने पर वह कुछ हल्का-हल्का सा महसूस करता है। चौधरी अलगूराम के मुख पर चिन्ता की रेखाएं उभर आती हैं। हरीराम की बातों में वजन है। लेकिन शत्रु से जूझने वाला जवान और खेतों में खून-पसीना बहाने वाला किसान भी यदि सौदेबाजी की भाषा में सोचेगा तो..... देश का क्या होगा? एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह उसकी आंखों के आगे झूमने लगा, आखिर देश की सुरक्षा समृद्ध के दो ही प्रमुख आधार हैं—जवान और किसान.....। उनका सर घूमने लगा, लगा जैसे सैंकड़ों बिच्छुओं ने उनके शरीर में जहरीले डंक चुभा दिए हैं। मंहगाई है, वे स्वीकार करते हैं पर इसका यह तो अर्थ नहीं कि हम आंख चुराकर बैठ जाएं, इससे क्या और मंहगाई नहीं बढ़ेगी? चोरबाजारी और भ्रष्टाचार अपनी जड़ें नहीं जमाएंगे? लेकिन इसका उपाय... ?

चौधरी अलगूराम कुछ सोच कर बोलते हैं—'हरीराम। तुम्हारी बातों में वजन है—मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। हम अपनी एक उपभोक्ता समिति बना सकते हैं और उसके द्वारा जीवन की सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था कर सकते हैं, सस्ते भावों पर बीज, खाद, बिजली पानी आदि की बात सरकार से कर सकते हैं, आखिर सरकार हमारी है, हमारा अहित कभी नहीं करेगी ....'

'और मैं समझती हूं सरकार ऐसी व्यवस्था करने और आवश्यक सुविधा देने का वायदा भी कर चुकी है, हम सरकार से सहयोग करें और सरकार हम से सहयोग करे फिर कोई कारण नहीं कि देश सुख-समृद्धि की मंजिलें पार करता न चला जाए ....' जैसे सुखदा के चेहरे पर भविष्य का सुनहला स्वप्न तैर गया हो।

'ठीक है, यदि हमें सस्ते मूल्य पर बीज, खाद आदि मिलेंगे तो मैं भी अपना फैसला बदल दूंगा।' हरीराम कहता है।

'तो फिर लौटा दो ये रुपये, मुझे इनमें नाग उभरते लगते हैं जिनके जबड़ों में छटपटा रही है देश की आत्मा ... ।'

हरीराम नोटों को समेट कर पोटली में बांधने लगता है। चौधरी अलगूराम ने सुखदा को और सुखदा ने चौधरी को देखा। दोनों की आंखों में खुशी नाचने लगती है।

आगे बढ़ कर चौधरी ने हरीराम को गले लगा लिया, सुखदा चरण-धूलि माथे पर लगाती है - आंखों से दो बूंद आंसू पैरों पर ढुलक जाते हैं।

और सुदूर पूर्व से सुबह की नन्हीं किरणें नाचने लगती हैं।

ई 6/17, कृष्ण नगर,
दिल्ली

# कृषकों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता

देश में इलायची के बगीचे केरल, मैसूर तमिलनाडु में केन्द्रित हैं। मैसूर, तमिलनाडु और केरल राज्यों में इलायची के बगीचों के कुल क्षेत्र का क्रमशः 96 प्रतिशत, 81 प्रतिशत और 80 प्रतिशत, छोटे कृषकों के अधिकार में हैं। इन कृषकों की आवश्यक आर्थिक तथा अच्छी खेती के लिए तकनीकी सहायता करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है।

अलाभकारी इलायची के बगीचों में इलायची उगाने के लिए तीन वार्षिक किश्तों में प्रति एकड़ 1,600 रुपये ऋण दिया गया है। 110 ऋण प्राप्तकर्त्ताओं में से 82 ऐसे किसान हैं जिनके पास 20 एकड़ से कम भूमि है। ऐसे किसानों को जिनके पास 5 से 10 एकड़ तक भूमि है कृषि के लिए विशेष उपकरण खरीदने के वास्ते 20,000 रुपये तक ऋण की सहायता दी जाती है। 25 एकड़ तक भूमि वाले कृषकों को आसान शर्तों पर 15,000 रु० तक ऋण मिल सकता है।

किसानों की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त इलायची के पौधों के संरक्षण के लिए रोग नियन्त्रण योजना भी आरम्भ की गई है। इस रोग से प्रभावित पौधों को बदलने के लिए छोटे किसानों को 75 पैसे प्रति पौधा आर्थिक सहायता दी जाती है।

अच्छे किस्म के इलायची के पौधों की सप्लाई बढ़ाने के लिए विभाग की तरफ से क्यारी रोपण योजना पर कार्य किया जा रहा है। उर्वरक सम्बन्धी सलाह देने के लिए छोटे किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 20 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को बागीचों के संक्षरण के लिए तथा रसायन तथा उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता देने का सुझाव दिया गया है। बेहतर कृषि की तकनीकों के प्रदर्शन के लिए किसानों के खेतों में ही व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है।

नई शोध परियोजनाओं का कार्य करने के लिए इलायची मण्डल ने शोध विभाग की स्थापना के लिए सुझाव दिया है। इलायची के प्रवर्धन, इकट्ठा करके रखने, किस्म सुधारने की शोध के लिए शोध संस्थानों को धन दिए जाने की भी सम्भावना है।

## रूपक

# रीती गागर उछला पानी

मदनमोहन 'कमल'

[पूरण—एक अनपढ़ ग्रामीण युवक। बबलू—पूरण का डेढ़ वर्षीय रोगी पुत्र। मनोहरी—पूरण की अनपढ़ ग्रामीण पत्नी। उपेन्द्र कुमार—एक एम० बी० बी० एस० (डाक्टरी स्नातक) किन्तु एक निर्धन परिवार का युवक (आयु 25 वर्ष) दयाराम—उपेन्द्र कुमार का पिता। धीरेन्द्र सिंह—ग्राम पंचायत का प्रधान, अधेड़ आयु का व्यक्ति।]

**स्थान :** गांव के एक पुराने घर का कमरा, जिसमें दीवारों की सफेदी बहुत मैली हो गई है। कुछ मैली सी, धार्मिक तस्वीरें, कुछ नेताओं व फिल्मी अभिनेत्रियों के कलैंडर टंगे हैं। एक पुराना सा मेज, दो कुर्सियां जिन में एक बैंत की व दूसरी लोहे की है। एक चारपाई, एक खूंटी से लटका स्टैथस्कोप, तथा एक अलमारी में थर्मामीटर (आवरण सहित) कैंची, उस्तरा, परीक्षण-नलियां आदि, यही सब कुछ कमरे का सामान है। सूट-बूट वाला उपेन्द्र कुमार मस्तानी चाल से कुछ गुनगुनाता हुआ कमरे में प्रवेश कर जूते खोलता है। फिर एक टेस्ट-ट्यूब में पानी भर कर उसमें कुछ दवा मिलाने लगता है। तभी दयाराम क्रोधावेश में कमरे में प्रवेश करता है।)

**दयाराम :** पहुंच गया? सारे दिन इधर-उधर चक्कर काटने और औजारों में सिर मारने के सिवा और काम भी है तुझे?

**उपेन्द्र :** और मैं कर ही क्या सकता हूं पिता जी?

**दयाराम :** (क्रोध से) पिता जी के बच्चे, कहीं जाकर नौकरी ढूंढ। औरों का पेट तो तू क्या पालेगा, पहले अपना पाल।

**उपेन्द्र :** आपको क्या पता है पिता जी, कि नौकरी न मिलने से मैं कितना परेशान हूं? लेकिन योग्यता या डिग्री प्राप्त करने का उद्देश्य नौकरी तो नहीं। सरकार के पास इतनी जगह कहां कि हर पढ़े-लिखे को नौकरी दे। शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य तो यही है कि मानव किसी योग्य बनकर अपने लिए कोई आजीविका तलाश कर सके।

**दयाराम :** तो तेरे वास्ते अस्पताल खोलूं? हमें घर से बाहर निकाल कर झोंपड़ी नीलाम कर दे। मेरे पास तो यही जायदाद है। इसके अतिरिक्त फूटी कौड़ी नहीं। तुझे यह ख्याल होना चाहिए कि मेरे बाप ने मुझे किस तरह पढ़ाया। बाल-बाल बिंध गया करजे में तेरी पढ़ाई में हमारा! ये कोर्स तो अमीरों के चोंचले होते हैं। हम जैसे गरीबों के वश की बात नहीं। दसवीं करके किसी दफ्तर में लगता चार पैसे लाता। खाली बैठे को कहां तक पूजूं?

**उपेन्द्र :** यही तो मुश्किल है पिताजी, गरीब परिवारों के हजारों युवक डाक्टरी करके मेरी तरह बेकार फिर रहे हैं। अपने अस्पताल खोल सकने योग्य उनकी हालत नहीं। सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं कि उन्हें जगह दे। वे बेचारे जाएं तो कहां?

**दयाराम :** जहन्नुम में, और कहां। निकल जा मेरे घर से अभी। मैं कब तक तुझे बैठ कर ये सूट-बूट दूंगा। पढ़ा लिखा कर योग्य करने का फर्ज मैंने अदा कर दिया, अब कमा और खा। जा रास्ता नाप।

(उपेन्द्र जाने लगता है, तभी बीमार बबलू को लिए पूरण व मनोहरी प्रवेश करते हैं)

**पूरण :** (उपेन्द्र से) बाबू जी हमारा लड़का बहुत बीमार है इसको देख लो बाबू जी।

**मनोहरी :** बाबू जी तुम्हारी काली गऊ हूं मेरे बच्चे की जान बचा लो बाबू जी।

(उपेन्द्र स्टैथस्कोप के एक सिरे की नलियां कानों में लगाते हुए दूसरा सिरा बच्चे के पेट पर लगाता है, फिर नब्ज देखता है, उसके बाद बच्चे के मुंह में थर्मामीटर डाल कर तापमान की परीक्षा करता है)

**पूरण :** बाबूजी, हमारा बच्चा बच भी जाएगा?

**उपेन्द्र :** इसे निमोनिया है। बच्चा बच जाएगा। घबराओ नहीं। यह दवा शहर से ले आओ (पर्चा लिख कर देता है)

**पूरण :** इस पर्चे को मैं क्या करूं बाबू जी, दवा दो।

**उपेन्द्र :** भैया, मेरे पास दवा होती तो मैं तुम्हें शहर से मंगवाने को कहता ही क्यों। मैं तो नौकरी की तलाश में बेरोजगार बैठा हूं।

**पूरण :** (गिड़गिड़ा कर) बाबू जी, तुम एक पैसे की बजाए दो पैसे ले लो, पर दवा दे दो। शहर में किस तरह जाऊं?

**उपेन्द्र :** भाई, मेरे पास अगर दवा होती तो तुम्हें इन्कार ही कब था। तुम्हें बता जो दिया मैं बेकार बैठा हूं।

**दयाराम :** यह भी रोज का झगड़ा हो गया, इन औजारों को बाहर फेंक। फिजूल का कूड़ा-करकट रखा हुआ है।

**धीरेन्द्र :** (प्रवेश करके) क्या बात हो गई दयाराम ?

**दयाराम :** बात क्या होनी थी, इस लड़के ने लहू पी लिया। काम का ना काज का, ढाई सेर अनाज का। पढ़ा लिखा दिया। इसके सूट-बूट ही नहीं पूरे होते। यहां रोटियों का गुजारा नहीं चलता। तुम्हीं बताओ प्रधान जी, कहां से लाऊं आमदनी इस भारी परिवार के वास्ते। तीन छोकरे इससे छोटे, चार लड़कियां, उनमें से दो विवाह के योग्य हो गईं, इनके अतिरिक्त दो हम पति-पत्नी। जायदाद सिर्फ यह बाप-दादों की फूटी झोंपड़ी।

**धीरेन्द्र :** भाई सुन तो सही, तूने तो लैक्चर ही झाड़ दिया। नौकरी नहीं मिली, इसमें लड़के का क्या कसूर ?

**दयाराम :** कसूर नहीं तो इसे चाहिए कि सूट-बूट छोड़े। मैं इसे रोटी दूं या इसके सूट-बूट पूरे करूं ?

**धीरेन्द्र :** हा यह बात तेरी ठीक है। भाई उपेन्द्र सिंह, कपड़े सादे पहना करो।

**उपेन्द्र :** चाचा जी, हमें अपनी शिक्षा व योग्यता के अनुसार ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। दो कपड़े अच्छे पहनने से ही आदमी की इज्जत होती है।

**धीरेन्द्र :** बेटा, इस झूठी शानशौकत में कुछ नहीं रक्खा है। आदमी की गरीबी बेशक नजर आ जाए पर गन्दगी नजर नहीं आनी चाहिए। कपड़े खद्दर के हों पर साफ होने चाहिए।

**उपेन्द्र :** अच्छा चाचा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

**धीरेन्द्र :** (पूरण से) भई, क्या नाम है तेरा ?

**पूरण :** मेरा नाम पूरण है जी।

**धीरेन्द्र :** भाई पूरण, बच्चे को लेकर घर चले जाओ, परचा मुझे दे जाओ, दवा मैं ला दूंगा शहर से। इन्सान इन्सान के काम आता है, पैसे तुम्हारे पास हों तो दे देना, ना हो तो कोई बात नहीं। मैं समझूंगा भगवान् को अर्पित कर दिए।

**मनोहरी :** तुम्हारे बच्चे जिएं परधान जी। तुम्हारे नगर खेड़े बसें। तुमने हम गरीबों की मदद की।

**दयाराम :** देखो प्रधान जी, लड़का पढ़ लिख कर घर के द्वार बेरोजगार बैठा है। और गांवों में दूर-दूर तक कोई डाक्टर वैद्य, हकीम नहीं जहां जाकर किसी को नब्ज दिखा लें। तुम किसी मेम्बर या मिनिस्टर को कह कर कोई अस्पताल नहीं तो दवाखाना खुलवा दो। क्या नाम उसका डिस्पैंसी।

**धीरेन्द्र :** अरे भाई, डिस्पैंसी नहीं डिस्पैन्सरी। (धीरेन्द्र व उपेन्द्र हंसी से लोट पोट हो जाते हैं।)

**दयाराम :** क्या बेइज्जती करने लगा तू लड़के, तेरे वास्ते तो पापड़ बेल रहा हूं। जिससे तेरा रोजगार भी लग जाए और गांव वालों को भी दवा बूटी का आराम हो। (धीरेन्द्र से) करो प्रधान जी कुछ गवर्नमैन्ट से डिस्पैन्सरी के लिए लिखा पढ़ी।

**पूरण :** हां प्रधान जी, यह दिक्कत तो तुम दूर करो।

**उपेन्द्र :** मेरा भी यही विचार है, चाचा जी। सरकार से पत्र-व्यवहार करके यहां एक सरकारी डिस्पैन्सरी खुलवा दीजिए। कैसी उल्टी बात है कि एक ओर गांवों में डाक्टर, वैद्य, हकीम नहीं गांवों के स्कूलों में अध्यापक नहीं, डाकखाने व डाकिए नहीं, दूसरी ओर हजारों युवक मैट्रिक, इण्टर, बी० ए० व एम० ए०, एम० बी० बी० एस० करके बेरोजगार बैठे हैं।

**धीरेन्द्र :** अरे भाई, डिस्पैन्सरियां तो गांवों में आज खुल सकती हैं पर तुम लड़कों को शहरों की हवा लगी हुई है, तुम गांवों में रहना नहीं चाहते। आजकल तो जहां चार अक्षर पढ़ कर बाबू जी बने, अपना गांव बुरा लगने लगा, मानो खाने को आता हो।

**उपेन्द्र :** चाचा जी, आज गांवों में रक्खा ही क्या है, जो हम यहां ठहरें ? क्या यहां किसी प्रकार का मनोरंजन, सफाई, सभ्य वातावरण है ?

**धीरेन्द्र :** बेटा जी, यहां तहजीब नहीं तो अपनापन तो है। शहरों की तरह नहीं कि दिल में कुछ और मुंह पर कुछ। एक दूसरे की जड़ें काटते फिरते हैं। जरा-जरा सी बात में खून हो जाते हैं। रही बात रौनक और सफाई की सो आदमी तो जंगल में मंगल कर सकता है। जो चीजें शहर में तुम देखते हो वे यहां भी लाई जा सकती हैं। रेडियो आ सकते हैं, सिनेमाघर बन सकते हैं।

**उपेन्द्र :** चाचा जी, यह सब ठीक है। अपनी जन्म भूमि, उसकी सोंधी अपनत्व-भरी मिट्टी, लहलहाते खेतों व बागों तथा झोंपड़ियों से बढ़कर सुखमय संसार का कोई स्थान नहीं होता। पांच सौ रुपल्ली की नौकरी के पीछे मैं मारा-मारा फिरता हूं और उस नौकरी के मिल जाने के बाद भी न जाने मुझे कितनी बार जलील होना पड़ेगा कितनी बार अपमान सहकर विष के घूंट पीने पड़ेंगे। न चाहते हुए ड्यूटी पर उपस्थित होना पड़ेगा। समय पर छुट्टी न मिल सकेगी। कई बार सम्बन्धियों या मित्रों द्वारा आमोजित उत्सवों में शामिल न हो सकने के कारण उन्हें नाराज करना पड़ेगा। इतनी सारी समस्याओं व कठिनाइयों का भार सहन करने की शर्त केवल दो

रोटी के लिए स्वीकार करनी पड़ती है। ऐसे हालात में जब कि मैं या मुझ जैसे अनेकों युवक अपना व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ होते हैं।

**धीरेन्द्र :** इसका इलाज हम कर सकते हैं पर कोई गांव की शक्ल ही न देखना चाहे तो उसके लिए हजार बहाने हैं जिनका कोई इलाज नहीं।

**उपेन्द्र :** सच चाचा जी, मैं नौकरी की बजाए अपनी डाक्टरी की दुकान खोल लेना चाहता हूं। पर अपने गांव की हालत अच्छी न होने तथा अपनी दुकान खोल सकने योग्य धन न होने के कारण ही मैं नौकरी पसन्द करता था।

**धीरेन्द्र :** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के अधिनियम, 1968 की धारा 18 (1) के उपखण्ड (ज) के अन्तर्गत ग्राम पंचायतें, सार्वजनिक सफाई स्वास्थ्य के प्रबन्ध के लिए बाध्य है और इसी उद्देश्य के लिए धारा 18 (2) के उपखण्ड (ख) के अन्तर्गत प्राथमिक चिकित्सा तथा औषधियों आदि का प्रबन्ध करना भी उसका कर्तव्य है। इसके लिए आर्थिक साधन जुटाने हेतु धारा 42 ग्रामपंचायत जिलाधीश से अनुमति लेकर अपने क्षेत्र में विशेष कर लगा सकती है, जो कि गृह-कर व्यवसाय-कर, सम्पत्ति-हस्तान्तरण-कर आदि हो सकते है। इनकी वसूली के बारे में भी उक्त अधिनियम की धारा 43 के अन्तर्गत निर्धन व्यक्तियों से धनराशि की बजाय शारीरिक श्रम के रूप में कर वसूल कर सकने का प्रावधान है। ऐसी ही सुविधाएं कुछ थोड़े फेर-बदल के साथ देश के अन्य राज्यों में लागू पंचायत अधिनियमों में भी निहित हैं और वहां की ग्राम-पंचायत उन वैधानिक सुविधाओं को अपनी जनता के स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार के लिए प्रयुक्त कर सकती हैं। आपके पिता आपके साथ कम्पाउन्डर का काम भी कर सकते हैं। गांव के अधिकांश लोगों से हमें शारीरिक श्रम के रूप में ही कर मिलता है। फिर भी इस कार्य के लिए लगाया गया कर धनराशि के रूप में वसूल किया जाए, यह भी पंचायत की स्वेच्छा पर निर्भर है। मेरा विचार है कि डिस्पैन्सरी के लिए हमारे गांवों का हर एक आदमी कर देने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि दुख-तकलीफ सब को होती है।

**उपेन्द्र :** तो फिर आप यह कार्य करने के लिए तैयार हैं न ?

**धीरेन्द्र :** हां, मैं ग्राम पंचायत की आगामी बैठक में इसके लिए प्रस्ताव रखूंगा, मुझे आशा है कि प्रस्ताव बहुमत से पास हो जाएगा। क्यों भाई दयाराम, यह दवाखाना तो आप अपने घर में चला सकते है न ? आपके घर में जगह तो मिल ही जाएगी।

**दयाराम :** बड़ी खुशी से। मेरे लडके को रोजगार मिले, गांव में दवाखाना खुले और मैं इन्कार कर दूं।

**धीरेन्द्र :** उपेन्द्र बाबू, रोग परीक्षण के औजार तो आपके पास हैं ही। रही-सही कमी बाद में पूरी की जा सकती है।

**उपेन्द्र :** मुझे मन्जूर है। यह कार्य करके मुझे प्रसन्नता होगी।

**धीरेन्द्र :** और सुनो पंचायत द्वारा दिया हुआ पैसा जब तक पंचायत को वापिस प्राप्त नहीं होता तब तक आपको पंचायत का कर्मचारी माना जाएगा। राशि का वितरण इस प्रकार होगा कि प्रतिदिन की कुल आय का 50 प्रतिशत आप अपने वेतन आदि के रूप में रखेंगे और शेष आधी आप आप पंचायत द्वारा दिए गए ऋण की किस्तवार भुगतान के रूप में पंचायत को ब्याज सहित वापिस करेंगे। ब्याज की दर पंचायत सर्वसम्मति से निश्चित करेगी।

**उपेन्द्र ।** मुझे मन्जूर है इस सार्वजनिक कार्य में मेरा व सबका फायदा है।

**धीरेन्द्र :** फायदा तो सबका है, जो तुझे काम चलने पर मुनाफा खोरी की आदत न पड़े। भाई लड़के, रुपये पर चार छः आने मुनाफा लेना कोई बुरी बात नहीं आखिर तू भी अपने घरवालों के पेट के वास्ते दुकान पर बैठेगा। पर रुपये पर दस आने, बारह आने, चौदह आने और इससे ज्यादा बताना बड़ा पाप है। यह चस्का एक बार लगा तो फिर अपने और पराए की पहिचान नहीं रहेगी। किसी के दुख दर्द का ख्याल नहीं रहता। पैसे को देख कर सबकी आंखें फूल जाती है।

**उपेन्द्र :** आप मुझे इतना कमीना समझते हैं चाचा जी। आखिर जिन लोगों के बलबूते पर मेरा रोजगार बने, उन्हीं से मैं मुनाफा-खोरी करूं, यह कहां की बुद्धिमानी है ? गांव के सब लोग तो अपने ही हैं। क्या यह सारा गांव एक ही परिवार नहीं है। इनमें भेद-भाव कैसा।

**धीरेन्द्र :** शाबाश बेटा, हमें तुम जैसे निःस्वार्थ युवक की जरूरत है। जो गांवों की काया पलट कर सकते हैं। तभी हमारा देश उन्नति कर सकता है। अब लाओ, पर्चा दो, मैं इस रोगी बच्चे के लिए दवा का प्रबन्ध करूंगा।

**पूरण :** परचा यह है। (परचा देता है)

**धीरेन्द्र :** पूरण, व उसकी पत्नी बच्चे को लेकर जाने लगते हैं। (दयाराम व उपेन्द्र धीरेन्द्र को अभिवादन करते हैं। और पूरण व उसकी पत्नी दयाराम व उपेन्द्र को अभिवादन करते हैं।)

(धीरेन्द्र, पूरण व पूरण की पत्नी का प्रस्थान)

"कमल—निकुंज"
निकट जैन मन्दिर,
नाहन (हि० प्र०)

# केन्द्र के समाचार

## वन अनुसन्धान का विकास

केन्द्रीय कृषि राज्य मन्त्री प्रोफेसर शेरसिंह ने ऐसे उद्योगों द्वारा, जिन्हें कच्चा माल वनों से मिलता हैं, वन विज्ञान और वन उत्पादों के विकास में अधिक योगदान देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनुसन्धान का काम अकेले सरकार पर ही नहीं छोड़ देना चाहिए। वनों का उ पादन बढ़ाने तथा वन साधनों के पूरे उपयोग के लिए एकजुट प्रयास करने चाहिए। वन उत्पादन का उचित उपयोग करने की जिम्मेदारी न केवल उत्पादकों की है बल्कि उपभोक्ताओं की भी है। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने में वनों से अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना बहुत आवश्वक है। गूदे और कागज के लिए वनों का विकास करते समय जन-जाति के लोगों तथा गांव वालों के हितों को भी ध्यान में रखरा बहुत जरूरी है

## सैनिक फार्मों को लाभ

देश में 29 सैनिक फार्म हैं तथा इनमें कुल 16 हजार दुधारू पशु हैं। 1972-73 के दौरान इन फार्मों में 1 करोड़ ६0 लाख लिटर दूध प्राप्त हुआ तथा इससे 1 करोड़ 72 लाख रुपये का लाभ हुआ। आशा है, 1973-74 तक इन सैनिक डेरी फार्मों में दूध का उत्पादन 2 करोड़ लिटर तक पहुंच जाएगा।

जवानों और सैनिक अस्पतालों में दूध और दूध से बनी बस्तुएं सप्लाई करने के लिए 1890 में इलाहाबाद में सरकारी डेरी खोली गई। 1899 में कई सैनिक फार्म खोले गए तथा सभी सैनिक छावनियों में डेरी फार्म स्थापित करने के लिए एक फार्म विभाग खोला गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद सैनिक घास फार्म तथा सैनिक डेरियों को मिलाकर सैनिक फार्म विभाग बना दिया गया। 1947 में सैनिक फार्म विभाग को वेटरिनरी कोर के साथ मिला दिया। 1960 में फिर सैनिक फार्मों का एक अलग कोर बना दिया गया।

## खारे पानी से खेती

कृषि राज्य मन्त्री श्री अन्ना साहेब शिन्दे ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1972 में कृषि में खारा पानी प्रयोग करने की परियोजना मंजूर की थी जिसके लिए चौथी योजना में 27 लाख 12 हजार रु० खर्च की व्यवस्था है। खारे पानी से खेती के तीन केन्द्र समुद्री अनुसन्धान केन्द्रों के पास हैं जो समुद्री पानी से खेती का अध्ययन करेंगे।

## गांवों को बिजली

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 768 करोड़ रु० की 22 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है जिनमें से 11 पिछड़ व कम विकसित क्षेत्रों में होंगी। इन परियोजनाओं से 1,600 गांवों को लाभ होगा। 13,000 पम्प सेटों और 44,000 छोटी औद्योगिक इकाइयों, इतने ही घरों और 6,000 गली के खम्भों को बिजली दी जाएगी।

## चावल वसूली

इस साल चावल की वसूली लक्ष्य से काफी अधिक होगी और वसूली का नया रिकार्ड कायम होगा। अब तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तमिलनाडु और जम्मू-कश्मीर में 7 लाख टन चावल की वसूली की जा चुकी है। 8 लाख टन 'लेवी' का चावल मिलों के पास है। इस तरह 15 लाख टन चावल की वसूली हो चुकी है जो पिछले साल की इसी समय की वसूली से 4 लाख टन ज्यादा है और इस साल के लक्ष्य 50 लाख टन के एक-चौथाई से अधिक है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, बिहार और केरल जैसे धान उत्पादक राज्यों में चावल मण्ड़ी में अभी आना शुरू नहीं हुआ है।

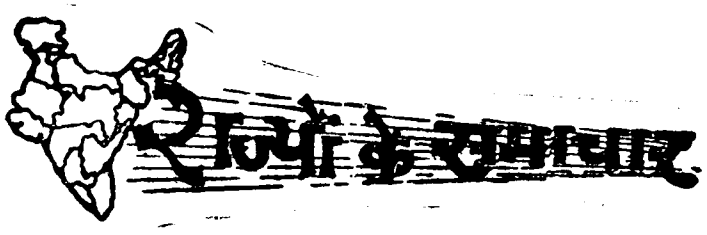


## उत्तर प्रदेश

### लघु सिंचाई कार्यक्रम

चौथी योजना के पहले चार वर्षों, अर्थात् 1969-73 के दौरान उत्तर प्रदेश में 19 लाख 50 हजार हैक्टेयर भूमि में लघु सिंचाई की व्यवस्था की गई। आशा है कि मार्च 1974 तक लघु सिंचाई कार्यक्रमों के अन्तर्गत और 5 लाख 30 हजार हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी।

भूमिगत जल विकास के केन्द्रीय व राज्य सरकारों के मिले-जुले प्रयासों द्वारा ही यह सम्भव हो पाया है। निजी नल-कूपों के निर्माण पर प्रमुख रूप से जोर दिया गया।

इसके परिणामस्वरूप, 1969-73 के दौरान 2,450 सरकारी नल-कूपों का विद्युतीकरण किया गया तथा राज्य में 2 लाख से भी अधिक निजी नल-कूप लगाए गए। इस अवधि में लगभग 1 लाख 40 हजार कुएं खोदे गए तथा 3 लाख 50 हजार कुओं को बेहतर बनाया गया।

इस कार्यक्रम में कई वित्तीय संस्थाओं का सहयोग भी प्राप्त है। कृषि पुनर्वित्त निगम ने जून, 1973 तक 77 लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 59 करोड़ 47 लाख रुपये की मंजूरी दी है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने भी 33 करोड़ 86 लाख रु० की लागत की 52 योजनाएं स्वीकृत की हैं। इनमें 32,989 पम्प सैटों का विद्युतीकरण शामिल है।

इन कार्यक्रमों से उत्तर प्रदेश की कृषि पैदावार बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।

## दिल्ली

### ग्रामीण सहकारी समिति

राज्य के पांच विकास खण्डों में लगभग 280 बहुद्देशीय सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। इनकी सदस्य संख्या 36,000 है जो कुल ग्रामीण जनसंख्या का 57 प्रतिशत भाग है। समितियों की कार्यशील पूंजी 200 लाख रु० तथा अमानतें 17 रु० लाख व हिस्सा पूंजी 40 लाख रु० है। सहकारी आन्दोलन का आधार ग्रामीण सहकारी समितियां हैं।

## बिहार

### रोजगार कार्यक्रम

राज्य के लिए रोजगार कार्यक्रम के निमित्त आठ करोड़ पचास लाख रु० की सीमा रखी गई है और योजना आयोग ने इस निमित्त अब तक 390 लाख रुपये की योजनाएं स्वीकृत की हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए काफी संख्या में परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, ताकि इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत यह राशि खर्च की जा सके। इसके लिए व्यवस्था यह है कि नए लोगों को अधिक-से-अधिक 9 महीने की अवधि के लिए छात्रवृत्ति के आधार पर रोजगार दिया जाए, ताकि इसकी समाप्ति के बाद वे स्वयं रोजगार प्राप्त करने के योग्य हो जाएं।

उद्योग विभाग द्वारा 500 तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दिए गए हैं और 600 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा व्यापार तथा उद्योग के लिए दिए गए आवेदन पत्रों की जांच की गई है। बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और 500 से भी अधिक आवेदन-पत्रों को ऋण स्वीकृत करने के लिए बैंक के पास भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 1,500 स्वास्थ्य कर्मियों को छात्रवृत्ति के आधार पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है और आशा है कि 600 अन्य पढ़े-लिखे लोगों को भी यह सुविधा प्रदान की जाएगी। कृषि विभाग ने मुर्गीपालन-फार्म की स्थापना की कार्रवाई की है। साथ ही, दूसरे कार्यक्रम भी कार्यान्वित किए जा रहे हैं जिनके द्वारा लगभग 1,200 व्यक्तियों को काम दिए जाएंगे। सहकारिता विभाग ने भी सहकारी समितियों के प्रबन्धकों की नियुक्ति के लिए कार्रवाई की है और शीघ्र ही 5,000 से अधिक व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे। इस दिशा में, शिक्षा विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है ताकि यहां अधिक से-अधिक शिक्षकों, विज्ञान-शिक्षकों, कृषि डिप्लोमाधारियों, शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षकों तथा स्नातकोत्तर व्यक्तियों को काम दिया जा सके। आशा है, शिक्षा विभाग द्वारा लगभग 1,300 व्यक्तियों को काम दिया जाएगा। उद्योग मन्त्री द्वारा पुनरी-

क्षण के अवसर पर बताया गया कि इस महीने के अन्त तक पचास प्रतिशत नियुक्तियां हो जाएंगी और शेष नियुक्तियां आगामी अक्तूबर माह तक की जाएगी।

# मध्य प्रदेश

## मिट्टी परीक्षण

धार जिले के विभिन्न विकास खण्डों के कृषकों के खेतों की मिट्टी की उर्वराशक्ति ज्ञात करने हेतु एक चलती फिरती मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 5-12-73 से 31-12-73 तक वृहत् पैमाने पर जिले में 6 शिविर, धार, बदनावर, सरदारपुर, मनावर, कुक्षी एवं धरमपुरी में आयोजित किए गए हैं। इस मिट्टी परीक्षण से कृषकों को यह लाभ होगा कि उन्हें उसी समय अपने खेत से लिए गए नमूनों के परिणाम विदित हो जाएंगे, जिससे कृषक रबी मौसम में ही अपने खेतों में आवश्यक तत्वों की पूर्ति कर अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेगा।

## मत्स्य बीज फार्म

होशंगाबाद जिले में 25.75 लाख रुपये की लागत की महत्वाकांक्षी मत्स्यपालन योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिससे निकट भविष्य में यह जिला राज्य में मत्स्योद्योग में अग्रणी हो जाएगा। योजना के अन्तर्गत पवारखेड़ा में राज्य के सबसे बड़े 100 एकड़ के मत्स्य बीज फार्म के लिए भूमि का अर्जन किया गया है। इसी के साथ तवा के जलाशय में डूब में आने वाले क्षेत्र की सफाई का कार्य प्रगति पर है। योजनानुसार 1974 में तवा के जलाशय के पूर्ण होने पर इसमें प्रति वर्ष 20 लाख मत्स्य बीज का संचय किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में प्रति वर्ष 500 टन मछली का उत्पादन हो सकेगा। इसके फलस्वरूप राज्य की आय में प्रति वर्ष 23 लाख रुपये की वृद्धि का अनुमान है।

योजना के अन्तर्गत बढ़ी हुई मछली के उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए एक बर्फघर तथा मछली विक्रय के लिए होशंगाबाद और इटारसी में आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त दो दुकानों का निर्माण भी प्रस्तावित है।

## आदिवासियों के लिए मकान

राज्य शासन ने आदिवासी ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 1973-74 में मध्य प्रदेश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों के आदिवासियों के लिए निम्नलिखित जिलों में 56.80 लाख रुपये की लागत से 1,420 मकान बनाने का निश्चय किया है :—

बस्तर-250 मकान, शहडोल-300, छिंदवाड़ा-150 होशंगाबाद-30, रायगढ़-140, मंडला-250 तथा बैतूल-300 मकान।

इसके अतिरिक्त शासन ने इन नए मकानों के निवासियों को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी 14.20 लाख रुपये निर्धारित किए हैं।

# राजस्थान

## पंचायत चुनाव

राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में तृतीय पंचायत आम चुनावों की तिथियां 25, 28 तथा 31 मार्च, 1974 निर्धारित की गई हैं।

पंचायत चुनाव के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने के लिए बनाए गए विस्तृत कार्यक्रम के अनुसार, जिसे सरकार ने अनुमोदित कर दिया है, पंचायत हलकों का प्रकाशन 28 दिसम्बर, 1973 को, गणकों द्वारा घर-घर जाकर मतदाता-सूचियों की तैयारी 18 जनवरी, 1974 को अथवा इससे पूर्व, मतदाता सूचियों का मुद्रण 19 जनबरी से 18 फरवरी, 1974 तक, मतदाता-सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 21 फरवरी, 1974 को किया जाएगा। दावे एवं वापसियां प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 8 मार्च, 1974 रखी गई है, जबकि अन्तिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन 12 मार्च, 1974 को सम्पन्न किया जाएगा।

## कृषि उपज की बिक्री

राज्य की नियमित मण्डियों में गत अक्तूबर माह में 13 करोड़ रु० मूल्य की 6 लाख क्विंटल कृषि उपज की खरीद और बिक्री की गई जिससे उपज के विक्रेताओं को लगभग 34 लाख रु० की आर्थिक बचत होने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि मण्डी नियमन के अभाव में यह बचत बिचौलियों के पास चली जाती।

इस समय राज्य में जयपुर की फल सब्जी मण्डी को छोड़कर लगभग सभी मण्डियों में कार्य चालू है।

हाल में अलवर की खेडली, मालखेड़ा तथा कोटा की रामगंजमण्डी में भूमि प्राप्त की गई है जिस पर कृषकों की सुविधाओं के लिए विश्रामगृह, पशुओं के लिए शेड आदि के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। सीकर मण्डी में मण्डी समिति द्वारा 40 ट्यूब लाइटें लगाई गई हैं। श्री करणपुर, गजसिंहपुर तथा भादरा में समितियों के कार्यालय भवन तथा चारदिवारी के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है।

## श्रम के बदले भोजन

"श्रम के बदले भोजन" योजना सिरोही जिले में भी प्रारम्भ करने का निर्णय जिलाधीश की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में किया गया।

जिले में हाल ही की बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के

व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कराकर उन्हें तात्कालिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारम्भ की जा रही है।

कैथोलिक रिलीफ सर्विस के सौजन्य से चलाई जाने वाली इस योजना की जानकारी देते हुए इस सर्विस के प्रतिनिधियों ने बताया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,000 श्रमिकों को निर्माण, सिंचाई, भूसंरक्षण तथा वन विभागों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

इनके अनुसार सी० एस० एम० के 2,000 थैले जिले में समाप्त हो गए है और शेष 1,000 और शीघ्र समाप्त हो जाएंगे।

## कृषकों को पुरस्कार

भीलवाड़ा जिले की गुलाबपुरा कृषि उपज मण्डी समिति ने उन्नत किस्म की अमेरिकन कपास (सी-इन्दौर-1) बौने व समिति मण्डी यार्ड में अधिकतम नियन्त्रित कृषि उपज बेचने वाले कृषकों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

ऐसे कृषक, जिन्होंने अपने खेतों में अमेरिकन कपास (सी-इन्दौर-1) की बुवाई की है एवं जो अपने उत्पादन को गुलाबपुरा तथा आसीन्द के मण्डी यार्ड म 1 अक्टूबर, 1973 से 28 फरवरी, 1974 तक विक्रय करेंगे, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे।

प्रतियोगिता में बढ़िया किस्म की कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले कृषक को 100 रु०, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75 रु० और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 50 रु० का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

इसी प्रकार मण्डी में अधिकतम समस्त नियन्त्रित कृषि उपज बेचने में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 100 रु०, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को 75 रु० तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाल को 50 रु० का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

मण्डी कार्यालय में निर्धारित फार्म भर कर देने की अन्तिम तिथि उत्पादनकर्त्ता के लिए 1 जनवरी, 1974 तथा अधिकतम उपज बेचने वाले के लिए 28 फरवरी, 1974 है।

पुरस्कार की घोषणा इस कार्य के लिए अलग से गठित समिति द्वारा मार्च, 1974 में की जाएगी।


प्रकाशन लागत में बढ़ोतरी हो जाने के कारण 1 जनवरी, 1974 से कुरुक्षेत्र के मूल्य में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं :—

| | प्रतिअंक | मूल्य वार्षिक | द्विवार्षिक | त्रैवार्षिक |
|---|---|---|---|---|
| कुरुक्षेत्र (हिन्दी) | 50 पैसे | 5.00 रुपये | 9.00 रुपये | 12.00 रुपये |
| | 15 सेण्ट | 1.50 डालर | 2.75 डालर | 3.75 डालर |
| | 5 पैनी | 0.50 पौण्ड | 0.90 पौण्ड | 1.20 पौण्ड |
| कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी) | 40 पैसे | 8.00 रुपये | 14.00 रुपये | 20.00 रुपये |
| | 13 सैण्ट | 2.40 डालर | 4.25 डालर | 6.00 डालर |
| | 4 पैनी | 0.80 पौण्ड | 1.40 पौण्ड | 2.00 पौण्ड |

विद्यार्थियों, अध्यापकों (सर्टिफिकेट दिखाने पर) और लाईब्रेरियों को वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रैवार्षिक चन्दे पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाती है। यह छूट 'भगीरथ' पत्रिका पर नहीं दी जाएगी क्योंकि इसका मूल्य नहीं बढ़ाया गया है।

कुरुक्षेत्र के ग्राहकों को हमारी 5 रु० या इससे अधिक मूल्य की पुस्तकें खरीदने पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट देने की व्यवस्था है। सूचीपत्र मुफ्त मगाएं

**व्यापार व्यवस्थापक,**
**प्रकाशन विभाग पटियाला हाउस,**
**नई दिल्ली-1**

# छोटे किसानों के लिए नई आशा

चौथी योजना में निर्धन ग्रामीणों और कृषि मजदूरों की सहायता के लिए शुरू की गई प्रायोगिक परियोजनाओं का परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा है। इन परियोजनाओं को कार्यरूप देने वाली लघु किसान विकास और लघु किसान तथा कृषि मजदूर संगठन जैसी संस्थाओं की उपेक्षा की गई और इनके लिए निर्धारित थोड़ी सी धनराशि का इस्तेमाल भी नहीं किया गया।

अनुभव से पता चलता है कि अस्थायी प्रयत्नों से इन लोगों के जीवन और काम में कोई विशेष सुधार नहीं होगा। इसके लिए अब समन्वित और क्षेत्रीय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यही राय दी है।

छोटा किसान उन्हें माना गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है। इससे उनकी दुर्दशा का पता चलता है। आशा है कि पांचवी योजना में ऐसे 1 करोड़ 10 लाख किसान शामिल किए जाएंगे।

आयोग ने निर्धन किसानों की आवश्यकताएं पूरी करने वाले विभिन्न संगठनों को मिलाने की सिफारिश की है और कहा है कि ये संगठन क्षेत्रीय आधार पर काम करें। समन्वित कृषि विकास और सूखा के क्षेत्रों से सम्बद्ध योजना आयोग के कार्यदल ने भी ऐसी ही सिफारिश की है।

पांचवी योजना के दृष्टिकोण पत्र में भी यही विचार प्रकट किया गया है। इसके अनुसार एस० एफ० डी० ए० और एम० एफ० ए० एल० जैसे कार्यक्रमों, ग्रामीण रोजगार के लिए जोरदार योजना और सूखे वाले क्षेत्रों में लागू किए जाने वाले कार्यक्रम अलग-अलग बनाए गए थे और इनके संचालन स्थान भी भिन्न थे। लेकिन अगर हम इन कार्यक्रमों को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें इनको समन्वित करना होगा तथा क्षेत्रीय विकास पर और अधिक जोर देना होगा ताकि छोटे किसानों तथा ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक दशा में सुधार हो सके।

इस दृष्टिकोण पत्र का यह विचार है कि ये लोग भूमि और कृषि पर निर्भर रह कर अपने जीवन स्तर में सुधार नहीं कर सकते। अतः इनको पूरा रोजगार दिलाने और अपनी आय बढ़ाने के लिए मुर्गी-पालन, पशु-पालन जैसे व्यवसाय अपनाने चाहिएं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसका जोरदार समर्थन किया है और ऐसे तरीकों की रूपरेखा तैयार की है जिनसे छोटे किसान मुर्गी, भेड़ और सूअर पालन के विभिन्न सहायक व्यवसायों द्वारा अपनी आय बढ़ा सकेंगे। इन कार्यक्रमों पर 71 करोड़ रु० से अधिक खर्च करने का विचार है।

यह दुख की बात है कि कृषि योजनाओं पर करोड़ों रू० लगाने के बाद भी छोटे किसानों की हालत पहले की भांति खराब है। यह इस बात का सच्चा सबूत है कि विकास के लाभ धनी वर्ग के किसानों को ही प्राप्त हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए भी क्षेत्रीय विकास का दृष्टिकोण और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के विचार महत्वपूर्ण हैं। इस दिशा में कमजोर वर्ग के किसानों को संगठन, ऋण और कृषि उपकरण आदि देकर काफी सफलता प्राप्त की जा सकती है।

लेकिन ये विचार नए नहीं हैं। ये 1950 से शुरू की गई विकास योजनाओं में किसी न किसी रूप में सामने आए हैं। इनको समय-समय पर परिमार्जित किया गया है और यह क्रम अभी जारी है किन्तु छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ है।

इन लोगों के लाभ के लिए चालू परियोजनाएं और कार्यक्रम लागू नहीं होंगे। ऐसा केवल इसलिए हुआ है कि समर्थ किसानों ने ग्राम विकास में लगाए गए साधनों पर एकाधिकार कर लिया है।

कृषि और ग्रामीण जीवन के आधुनिकीकरण की पहली शर्त आधारभूत भूमि सुधार है। गांव के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए किए गए अब तक के प्रयत्न असफल हुए हैं और उनके जीवन में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है।

दूसरी ओर सिंचाई वाले क्षेत्रों में किसानों पर निर्भरता की कृषि नीति से स्थिति और बिगड़ी है। उनको दिए गए प्रोत्साहन मूल्यों से उनकी स्थिति और अधिक मजबूत हुई है तथा ग्रमीण अर्थव्यवस्था में असन्तुलन और बढ़ गए हैं। देश में कमजोर वर्गों के किसानों को सहायक व्यवसायों द्वारा रोजगार प्रदान करने की काफी चर्चा रही है, लेकिन अधिकांश राशि बड़े किसानों ने हथिया ली है। इस रूपये से उन्हें यान्त्रिक कृषि शुरू करने में सहायता मिली है।

यह प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ रही है तथा खेती जैसे मुख्य व्यवसाय में छोटे किसानों और कृषि मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। ग्रामीणक्षेत्रों में कमजोर वर्ग के किसानों के उत्थान के लिए बनाए गए कार्यक्रम तब तक कारगर सिद्ध नहीं होंगे जब तक कि कृषि के बुनियादी ढाचे में सुधार नहीं किए जाते।

निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1
द्वारा प्रकाशित तथा केसर क्यारी इलैक्ट्रिक प्रेस, लाइब्रेरी रोड, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित।

LIBRARY
MINISTRY OF I. & B.

Regd. No. D—28



[आवरण II का शेषांश]

मत्स्योद्योग एवं अन्य लघु उद्योग भी प्रारम्भ किए जाएंगे। इनके अलावा दन्तेवाड़ा एवं कोंटा क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का जाल बिछाने हेतु 88 लाख रु० की एक योजना भी प्रस्तावित की गई है।

## आदिवासी परिवारों से सहायता

विकास अभिकरण दन्तेवाड़ा ने अभी तक करीब 16,000 आदिवासी परिवारों का प्रारम्भिक चयन किया है जिनमें लगभग 2,500 परिवारों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता भी दी जा चुकी है। दस सिंचाई कुओं का निर्माण आदिवासी कृषकों के खेतों में किया जा चुका है तथा 50 और कुओं का निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा। 1,400 से अधिक परिवार 'धान मिनीकिट योजना' के अन्तर्गत लाए जा चुके हैं। उन्हें धान की दो-तीन उन्नत किस्में उपलब्ध की गई हैं, तथा उन्हें आवश्यक रासायनिक खाद के छोटे-छोटे थैले मुफ्त वितरित किए गए हैं, ताकि वे अपने खेतों में उनका प्रयोग कर उनके परिणाम स्वयं देख सकें। इस प्रकार वे अपने खेत के लिए उपयुक्त किस्म के धान का चुनाव स्वयं कर सकेंगे। अब तक 480 क्विंटल उन्नत धान बीज और 150 टन रासायनिक खाद का वितरण किया जा चुका है। 1,500 ग्राम के पौधे भी आदिवासियों को बागवानी कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किए जा चुके हैं। आंगनबाड़ी लगाने हेतु 500 आदिवासियों को साग-सब्जी के बीज भी दिए गए हैं। मुर्गी पालन कार्यक्रम के अन्तर्गत आदिवासियों को उन्नत नस्ल के 210 मुर्गे वितरित किए जा चुके हैं और इस वर्ष का कार्यक्रम 1,000 मुर्गे वितरित करने का रखा गया है।

आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करना आसान काम नहीं है क्योंकि साधारण आदिवासी अभी इसके लिए तत्पर नहीं हैं। फिर भी इस दिशा में जो प्रयास किया गया है वह सन्तोषप्रद दिखाई देता है। हाल ही में 50 आदिवासी किसानों का एक दल जबलपुर में आयोजित किसान मेला देखने पहुंचा था। यहां इन आदिमजाति किसानों ने मेले में जो रुचि दिखाई उससे आशा बंधती है कि भांडा की तरह अन्य आदिवासी भी उन्नत कृषि की ओर जल्दी ही आकृष्ट होंगे। ●